खण्ड-234, अंक-5
सोमवार, 26 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(17 सितम्बर, 1962 ई0)

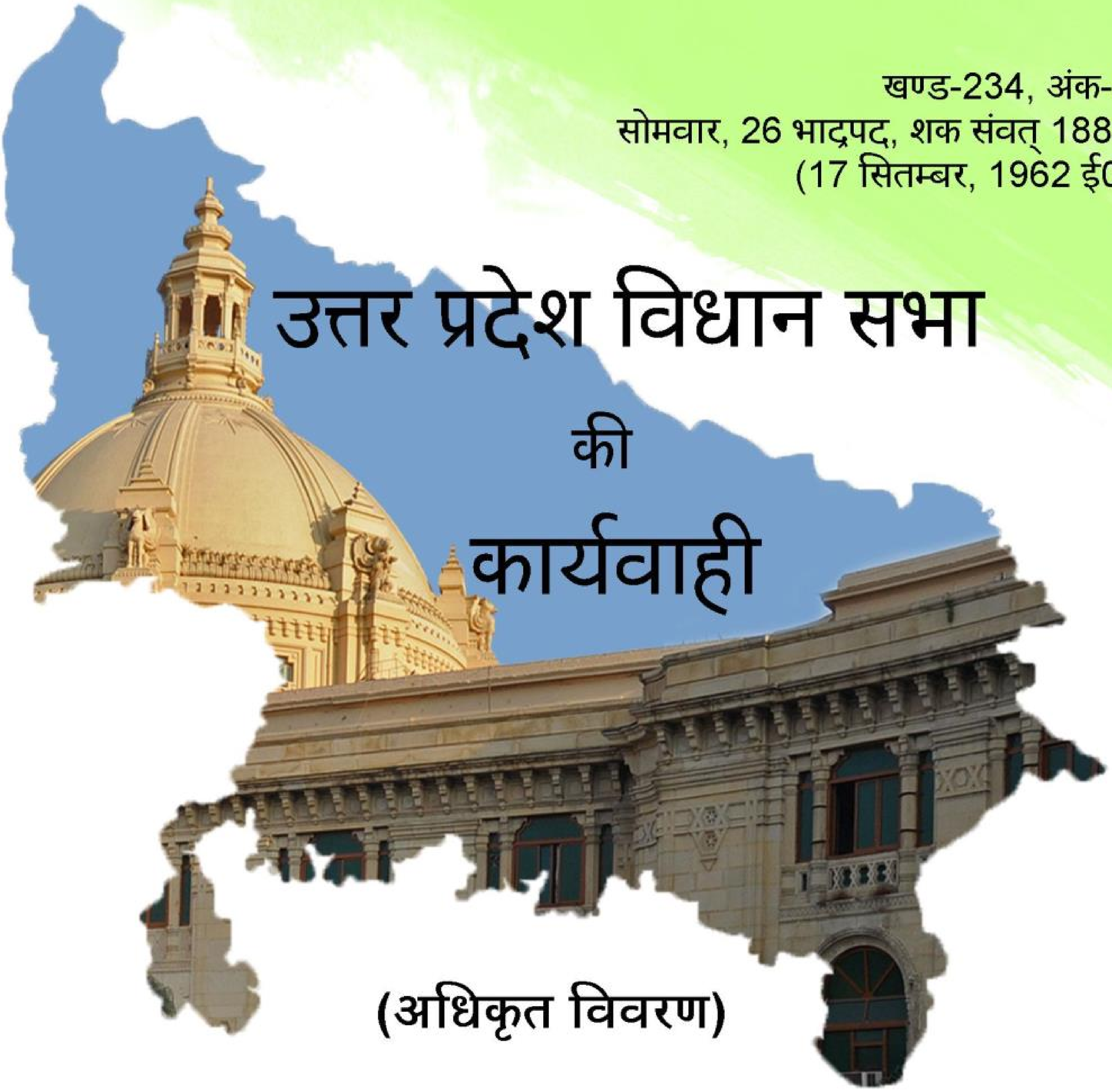

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 234 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	५७१–५७५
मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में आपत्ति (जारी) ..	५७५
प्रश्नोत्तर	५७६–५९७
मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में आपत्ति ..	५९७–५९८
श्री उग्रसेन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना ..	५९८–५९९
कामरोको प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं ..	५९९–६०२
काशी विद्यापीठ, वाराणसी के छात्रावास के मेसों में छुआछूत के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६०२–६०३
कानपुर शहर में कोयले की कमी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	६०३–६०८
साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना	६०८
उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में सूचना की मांग ..	६०८–६०९
मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में आपत्ति ..	६०९–६१४
मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में 'नेशनल हेरल्ड' समाचार पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना ..	६१४–६१५
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (जारी) ..	६१५–६५३
विभिन्न समितियों के निर्वाचन–कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना ..	६५३
उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ (पारित) ..	६५३–६६१
नत्थियां	६६२–६६८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १७ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन से अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधई लाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशी राम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मेठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराज सिंह, श्री
छत्रपति प्रभुदेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशशरण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज सिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परसाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पालीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषण शरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधो नारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर अधिवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपाल सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा नियोजन मंत्री, श्री हरगोविंदसिंह भी उपस्थित थे।

मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये वक्तव्य के संबंध में आपत्ति

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के पहले ही आप से एक निवेदन करना उचित समझता हूं और उस पर आप की व्यवस्था चाहता हूं

श्री अध्यक्ष---पहले प्रश्न हो जायं उसके बाद आप कहें.....।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, पहले ही कहना आवश्यक है। मेरा कहना यह है कि माननीय मुख्य मंत्री ने कानपुर में एक बयान अखबारों में दिया है, जिसमें उन्होंने अपने वरिष्ठ मंत्रिपरिषद् के सदस्यों और उनकी नीति के सम्बन्ध में आलोचना की है। मेरा कहना यह है कि मंत्रि परिषद् के सदस्यों पर विधान सभा का भार.....।

श्री अध्यक्ष---यह सब आप लिख कर दे दें, इस समय प्रश्न चलने दें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---बस एक मिनट में कहे देता हूं.....।

श्री अध्यक्ष---मैं समझ गया आपकी बात। मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया है और ज्वाइंट जिम्मेदारी है इसलिये.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि.....।

श्री अध्यक्ष---अभी प्रश्न चलने दें बाद में आप इस प्रश्न को रेज कर लें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---मैं सूचना तो दे ही रहा हूं, लेकिन यहां जो यह कार्यवाही चल रही है, उसके बारे में भी मुझे कहना है कि यहां का कार्य कैसे चल सकता है जबकि ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी है और संविधान की धारा १६४ (२) में साफ लिखा है कि---

"The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State."

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जायं, यह प्रश्न जो आप उठा रहे हैं, इस को देखना होगा कि क्या उन्होंने कहा है, क्या उसका मतलब है। वह आप क्वेश्चन आवर के बाद उठायें।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---मैं लिखकर भी दे रहा हूं और बाद में उठाऊंगा।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १७ सितम्बर, १९६२

अल्पसूचित तारांकित-प्रश्न

लखनऊ जिले में तलाक के लिये प्रार्थना-पत्र

***१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला लखनऊ में जनवरी से दिसम्बर, १९६१ तक तलाक के कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये और उसमें कितने महिलाओं तथा कितने पुरुषों की तरफ से अलग-अलग दिये गये हैं ?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—कुल ३२ प्रार्थना-पत्र दिये गये थे जिनमें से १८ महिलाओं की तरफ से और १४ पुरुषों की तरफ से थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रार्थना-पत्रों पर अलग-अलग निर्णय क्या-क्या हुआ है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि इस अल्पसूचित प्रश्न में और कोई खास बात नहीं पूछी गई थी सिर्फ गुजिश्ता साल में जो तलाक हुये हैं वह मालूम किये गये थे, जितना प्रश्न में चाहा गया था वह जवाब मिल गया। हमें इत्तला मिली है कि १९ मामलों का फैसला हुआ है, ७ में तो तलाक दी गई है जिनको माना गया है और बाकी १२ का फैसला और दूसरी तरह से हो गया है, सुलह हो गई हो या खारिज हो गये हों, तफसील मेरे पास नहीं है और बकिया का फैसला नहीं हुआ है।

[श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—उनमें मुख्य-मुख्य क्या कारण . . . .

श्री अध्यक्ष—इसमें प्रश्न यह है कि कितने प्रार्थना-पत्र दिये गये और उसमें कितने महिलाओं तथा कितने पुरुषों की तरफ से अलग-अलग दिये गये हैं, तो इतने डिटेल कैसे मिल सकते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

***१—२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—[१३ वें गुरुवार के लिये प्रश्न १२२-१२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

***१—४—श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)—[१३ वें गुरुवार के लिये प्रश्न २३—२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

[१७ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जेल कम्पाउन्ड्स से बाहर काम करनेवाले कैदी

***१—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या कारागार मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन जेलों के कैदी जेल कम्पाउन्ड के बाहर कार्य करने जाते हैं और उनको बाहर कार्य करने हेतु कोई वेतन या भत्ते के रूप में धन दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना ?

कारागार राज्य मंत्री (श्री गोविन्दसहाय)---सम्पूर्णानन्द शिविर, धुर्मा, जिला मिर्जापुर; किशोर सदन बरेली, जिला जेल उन्नाव; आदर्श कारागार, लखनऊ तथा रिफार्मेटरी स्कूल, लखनऊ के बन्दी जेल कम्पाउन्ड के बाहर कार्य करने जाते हैं। इन बंदियों को जो वेतन या भत्ता दिया जाता है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६६२ पर)

*२---श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के किन-किन जेलों के कैदी बाहर कार्य करने में १९६०-६१ और ६१-६२ में भाग गये तथा उसमें कितने कैदी पुनः पकड़े गये और कितने लापता हैं ?

श्री गोविन्दसहाय---जेल कम्पाउन्ड से बाहर काम करते समय कोई बन्दी १९६०-६१ में नहीं भागा। १९६१-६२ में तीन बन्दी सम्पूर्णानन्द शिविर धुर्मा से भाग गये जिनमें २ पुनः पकड़ लिये गये और १ अभी लापता है।

नैनी जेल में पानी का प्रबन्ध

*३---श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)---क्या कारागार मंत्री कृपया बतलावेंगे कि इलाहाबाद की ननी जेल में कितने बैरिकों में बिजली के पम्प से पानी दिया जाता है तथा बाकी बैरिकों में पानी देने की कौन सी सुविधा की गयी है ?

श्री गोविन्दसहाय---इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये आवश्यक सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

*४---श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---[२० सितम्बर, १९६२ के लिये प्रश्न ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी नगरपालिका में चुंगी के उप-सुपरिंटेण्डेण्ट की मुअत्तली

*५---श्री लखपतराम शर्मा---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ६० या ६१ में झांसी नगरपालिका के चुंगी विभाग के उप-सुपरिन्टेन्डेन्ट के ऊपर बिला चार्जशीट लगाये उन्हें कई माह मुअत्तल रखा गया ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या अभियोग थे व चार्जशीट न देने का क्या कारण रहा ? यदि चार्जशीट दी गई, तो मुअत्तल किये जाने के कितने माह बाद दी गयी तथा उन्हें कब बहाल किया गया और किसकी आज्ञा पर ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)---जी हां। उनके विरुद्ध ३६ गस लालटेनों के चुकावरे में गड़बड़ी व पिछले अनेक मामलों में असेसमेंट संदिग्ध एवं संदेहजनक होने का अभियोग था। उनको ३० अगस्त, १९६१ से निलम्बित किया गया और पांच माह बाद २९ जनवरी, १९६२ को चार्जशीट दी गई। २८ अप्रैल, १९६२ को उन्हें अध्यक्ष नगरपालिका की आज्ञा पर इस प्रतिबन्ध के साथ बहाल किया गया कि जांच जारी रहे।

*६---श्री लखपतराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगरपालिका के चुंगी के उप-सुपरिन्टेंडेंट को सन् ५७ से मई, सन् ६२ तक अनेक बार मुअत्तल किया गया ? यदि हां, तो किन अभियोगों में व कितनी बार मुअत्तल किया गया और बहाल कब किया गया ? क्या मुअत्तली के हर वक्त की पूरी-पूरी तनख्वाह उन्हें दी गयी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां। इस अवधि में उन्हें तीन बार मुअत्तल किया गया। प्रथम बार उन्हें १७ फरवरी, १९५९ को मुअत्तल किया गया और २४ मई, १९६० को बहाल किया गया। उनके विरुद्ध यह अभियोग था कि रिश्वत लेने के विचार से उन्होंने श्री आर० एम० चटर्जी से इस आशय का सर्टीफिकेट देने को कहा कि उनके द्वारा लाया गया माल सरकारी था और उस पर चुंगी नहीं लग सकती थी और उन्होंने उस सार्टीफिकेट को मान लिया और बगैर चुंगी लिये माल निकल जाने दिया।

दूसरी बार उन्हें ३१ अगस्त, १९६० को मुअत्तल किया गया और ८ मार्च, १९६१ को बहाल किया गया। उनके विरुद्ध यह अभियोग था कि उन्होंने ६ दर्जन कार्ड डिकिया, कुछ ग्लूकोज की पेटियां, १७ ड्राई बैट्रीज के चुंगी के असेसमेंट में गड़बड़ी की थी।

तीसरी बार उन्हें ३० अगस्त, १९६१ को मुअत्तल किया गया जिसका विवरण प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में दिया जा चुका है।

पहले दो बार मुअत्तली के अवधि में उन्हें पूरा वेतन दिया गया और तीसरी बार के मुअत्तली के संबंध में उन्हें ३० अगस्त, १९६१ से २८ अप्रैल, १९६२ तक सबसिसटेन्स अलाउन्स दिया गया।

श्री लखपतराम शर्मा—मंत्री जी बतायेंगे कि रिश्वत, चुकावरे में गड़बड़ियां और असेसमेंट में गड़बड़ियों के इलजाम में उक्त उप-सुपरिन्टेन्डेंट को तीन बार मुअत्तल किया गया। तो जिस तारीख से मुअत्तल किया गया और जिस तारीख को बहाल किया गया इस बीच में कितनी उनको तनख्वाह दी गई?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जिस समय उनको बहाल किया गया तब जो उनका वेतन क्रम था उसी के अनुसार स्थानापन्न अध्यक्ष ने निर्णय किया और वही वेतन दिया गया।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—जो उप-सुपरिन्टेन्डेन्ट इस समय निलंबित हैं, उनको क्या इस समय तनख्वाह दी जा रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी नहीं। वह बहाल हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—उनको जिन कारणों से निलम्बित किया गया क्या उन कारणों पर जांच करायी गई? यदि हां, तो जांच में क्या-क्या मुख्य बातें पायी गयीं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—यह प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में बता दिया गया कि उनके ऊपर ३६ लालटेनों के चुकावरे में गड़बड़ी आदि कारण थे। उनकी जांच कार्यधिकारी के द्वारा करायी गयी जिनमें से बहुत से दोष साबित हुए। इस संबंध में शो काज नोटिस दिया गया है, जांच अभी जारी है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—मंत्री जी बतायेंगे कि कई कारणों से अनेक बार मुअत्तल होने के बाद भी चुंगी के उप-सुपरिन्टेन्डेन्ट बार-बार बहाल क्यों किये जा रहे हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जिन अधिकारियों ने निलम्बित किया है वही बहाल कर देते हैं तो यह तो नियम की बात है।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार की जानकारी में है कि इस समय भी चुंगी विभाग के ओगस रिफंड के २७ मुकदमे कानपुर की अदालत में चल रहे हैं जिनमें म्युनिसिपल बोर्ड के बहुत से मेम्बर और कर्मचारी इनवाल्व्ड हैं तो इस तरह की गड़बड़ियों को देखते हुये मंत्री जी क्या वहां बिना वापसी चुंगी प्रथा शीघ्र लागू करने जा रहे हैं, जिसके संबंध में कागजात चुंगी द्वारा सरकार को भेजे जा चुके हैं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री ऊदल---इस बात को देखते हुये कि जौनपुर नगरपालिका के खिलाफ बहुत मामूली आरोप थे, लेकिन सरकार ने उसको १४ सितम्बर, १९६२ को सुपरसीड कर दिया, तो झांसी की नगरपालिका के खिलाफ जब इतने गम्भीर मामले हैं और जांच भी उनकी बड़े पैमाने पर हो गई फिर भी उस नगरपालिका को सुपरसीड न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा चूंकि उनके ऊपर गम्भीर आरोप हैं इसलिये गम्भीरता से ही जांच हो रही है और समय लगेगा ।

मुरादाबाद नगरपालिका में जरसियों की सप्लाई में गोलमाल की शिकायत

*७---श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सन् १९६१ में मुरादाबाद नगरपालिका द्वारा सफाई मजदूरों को जरसियां दी गई थीं ? यदि हां, तो इन जरसियों की कुल संख्या क्या है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---नगरपालिका मुरादाबाद ने १९६१ में अपने सफाई कर्मचारियों को जवाहर जेकेट दिये थे, जिनकी कुल संख्या ६६६ थी ।

*८---श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह जरसियां पूर्व नमूने के अनुसार ही खरीदी गयीं और क्या नगरपालिका द्वारा सारी जरसियों का पेमेन्ट तुरन्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो कुल कितना पेमेन्ट किया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जवाहर जैकेट का कपड़ा पूर्व नमूने के अनुसार था । सारी जैकेटें जनवरी १९६१ में खरीदी गई थीं और इनका कुल पेमेन्ट ६,९७४ रु० ६२ नये पैसे मार्च, १९६१ में किया गया ।

*९---श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या जरसी आदि के संबंध में सरकार के पास कोई शिकायत आई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी नहीं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---हर साल पहले मुरादाबाद की नगरपालिका के सफाई मजदूरों को जरसियां दी जाती थीं और इस मर्तबा जवाहर जैकेट दी गयी है । पहले घोषित किया गया था कि जरसियां दी जायंगी बाद को फैसला बदल दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---इस संबंध में पता लगाया गया था । मालूम ऐसा हुआ कि सफाई कर्मचारियों की इच्छानुसार यह परिवर्तन हुआ ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---प्रश्न ८ के उत्तर में लिखा हुआ है कि जैकेट का कपड़ा पूर्व नमूने के हिसाब से था और इसके बाद लिखा हुआ है कि सारी जैकेटें जनवरी, १९५९ में खरीदी गयीं तो मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि जैकेटें खरीदी गयी थीं या कपड़ा खरीदा गया था ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---मान्यवर, कपड़ा जब इसी नमूने का था तो मैं यह नहीं बतला सकती कि वह भंडार से बनी बनाई ली गयीं या अलग से सिलवायी गयीं ?

श्री शराफत हुसैन रिजवी---नमूने के लिये जो रेट्स मांगे गये थे जैकेट सप्लाई करने के लिये उसमें किस आदमी ने कम से कम रेट दिया था और उसका क्या नाम है ?

श्री अध्यक्ष---आप नगर पालिका के अन्तर्गत कर्मचारियों के संबंध में पूछ रहे हैं । उन्होंने टेंडर मंगाये, उन्होंने कपड़ा मंगाया यह सब बातें तो म्युनिसिपल बोर्ड में पूछने की हैं । यहां यह प्रश्न नहीं उठता । आप दूसरा सवाल कीजिये ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि वहां पर नगरपालिका के जो उच्च कर्मचारी हैं वे सही-सही सूचना किसी को देते नहीं। हर साल जरूरियात में, खास तौर से मुरादाबाद में अक्तूबर और नवम्बर में जब वे बांटी जाती हैं कुछ न कुछ गोलमाल किया जाता है। गर्मा सप्लाई किया जाता है गर्म का और सप्लाई की जाती है ठंडी। इसलिये मैं पूछना चाहता था कि कौन ठेकेदार था ?

श्री अध्यक्ष—यह तो ठीक है लेकिन वह लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कहलाती है। जिससे सरकार का संबंध हो उसके संबंध में आप प्रश्न कर सकते हैं।

कारागार महानिरीक्षक के वैयक्तिक सहायक की नियुक्ति पर विचार

*१०—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कारागार महानिरीक्षक के कार्यालय में वैयक्तिक सहायक के पद के लिये कमीशन से, नतीजा आ जाने पर भी अभी तक इसकी नियुक्ति नहीं की गयी तथा जिन महानुभावों को कंसीडर किया जा रहा है उनके खिलाफ सहकारिता मंत्री ने गम्भीर आरोप लगाये थे ?

कारागार मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—कारागार महानिरीक्षक के वैयक्तिक सहायक की नियुक्ति का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है। यह सही नहीं है कि वर्तमान वैयक्तिक सहायक के विरुद्ध सहकारिता मंत्री ने आरोप लगाये थे।

श्री हिम्मतसिंह—यह प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—अभी इसको बहुत समय नहीं हुआ है। इस संबंध में लोक सेवा आयोग से अभी सूचना आई है और अभी देर नहीं हुई है।

श्री हिम्मतसिंह—यह जो वैयक्तिक सहायक हैं इनसे पहले ५ साल के अन्दर कितने वैयक्तिक सहायक बदल चुके हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

जौनपुर नगरपालिका में गबन

*११—श्री उदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, जौनपुर में कुछ गबन की सूचना सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो कितने की ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हाँ, १९,३४७ रुपये ८१ नये पैसे की।

श्री उदल—१९,३४७ रुपये ८१ नये पैसे का गबन किस मद से हुआ है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसमें कई मामले हैं। माननीय सदस्य, नगरपालिका ने जो शिकायत की थी वह दुरुपयोग इत्यादि के संबंध में थी।

श्री उदल—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करने की कृपा करेंगे कि इस नगरपालिका में १ लाख रुपये से ऊपर का गबन है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जो गबन के आरोप लगाये गये थे वह लगभग दो थे, उनकी जांच की गयी और उसमें जौनपुर के डी० एम० ने एस० डी० एम० के द्वारा जाँच करवायी और एस० डी० एम० ने जाँच रिपोर्ट में यह कह दिया है कि विशेष जाँच करवायी जाय। अब शासन ने परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा को जौनपुर नगरपालिका के एकाउन्ट्स का आडिट करने का आदेश दे दिया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---अभी सरकार ने बताया कि एस० डी० एम० के द्वारा जाँच हुई। तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि भूतपूर्व चेयरमैन ने एग्जीक्यूटिव आफिसर और अन्यान्य पदाधिकारियों के खिलाफ गबन का वह मामला उठाया था जिसमें कि म्युनिसिपैलिटी का खजान्ची जेल में है ? उसने भी अपने बयान में कहा था कि जो रुपया गबन हुआ उसमें एग्जीक्यूटिव आफिसर का भी हिस्सा था। इसको देखते हुये सरकार ने उस एग्जीक्यूटिव आफिसर के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जो आरोप वाउचर संबंधी और अन्य मामलों के बारे में थे, उसी के ऊपर एस० डी० एम० से जाँच करवायी गयी और एस० डी० एम० की रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने विशेष आडिट कराने का आदेश दिया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मेरा प्रश्न बड़ा सीधा था कि जिस गबन के मामले में, म्युनिसिपैलिटी का खजान्ची जेल में बन्द है, उसने अपने बयान में कलेक्टर के सामने यह कहा है कि जो रुपया खाया गया उसमें एग्जीक्यूटिव आफिसर का भी हिस्सा था और उन्होंने खाया, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गबन में खजान्ची के अलावा और कौन-कौन नगरपालिका के अधिकारी शामिल हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---यदि आप आदेश दें तो जो ६ आरोप हैं वह मैं पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष---वे तो सिर्फ यह पूछते हैं कि खजान्ची के अतिरिक्त और भी कोई शामिल है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी हाँ। एकाउन्टेन्ट, चुंगी विभाग से संबंधित क्लर्क और अधिकारी, इसी तरीके से बहुत से हैं।

श्री ऊदल---१९,३४७ रुपये का गबन तो बाद का है। नेता विरोधी दल का कहना है कि यह जो २-३ साल पहले का मामला है, जिसमें खजान्ची ने बयान दिया था। उसमें लाखों रुपये का मामला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पहले वाला गबन था और खजान्ची का जिसमें बयान था उसमें भी सरकार कोई जाँच करा रही है ? यदि नहीं, तो क्या आगे जाँच कराने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष---क्या कोई गबन इसके अलावा है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---इस वक्त तो यह नया प्रश्न था। अगर कोई पुराना मामला हो तो उसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या यह सही है कि दोनों गबन के मामले में एग्जीक्यूटिव आफिसर को मुअत्तल किया गया और फिर सरकार के एक वरिष्ठ नेता ने उनकी मुअत्तली कैन्सिल करा के म्युनिसिपैलिटी को सुपरसीड इसीलिये करवाया गया कि एग्जीक्यूटिव आफिसर उसके अन्दर न फंसे ?

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि जो नया मामला है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके सिलसिले में एग्जीक्यूटिव आफिसर मुअत्तल हुये थे ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने गबन हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---श्रीमन्, इसमें ६ आरोप हैं जिन पर जांच हुई है और यह सब गबन के मामले हैं। यदि आदेश दें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--हाँ, पढ़ दें।

श्रीमती तारा अग्रवाल---मान्यवर, पहला २६ मई, १९६१ को नगर पालिका के निरीक्षण के समय रोकड़ में ३,००० रुपये कम पाये गये। दूसरा यह कि अक्तूबर, १९६० से १८ मई, १९६१ तक का हिसाब देखने से ज्ञात हुआ कि फर्जी वाउचर्स बना कर लगभग ९,००० रुपया बैंक से निकाला गया। तीसरा यह कि अक्तूबर, १९६० में ६०० तथा ८०० रुपये के दो वाउचर्स चुंगी से नगर पालिका के कार्यालय को भेजे गये। जहाँ इन वाउचर्स के बाईं ओर ६०० तथा ८०० रुपया लिखा हुआ था वहाँ उनके पहले २ बढ़ाकर २,६०० तथा २,८०० रुपया करके बैंक से रुपया बरामद कर लिया गया। चौथा यह कि अक्तूबर, १९६० में बाद पीड़ितों के नाम पर लगभग २,९०० रुपया निकाला गया। पाँचवाँ यह कि मार्च, १९६१ में लगभग तीन तीन हजार रुपया दो बार निकाला गया और छठा यह कि १८ मई, ६१ को पुनः २,९०० रुपया चुंगी वापसी के नाम पर निकाला गया।

श्री यदवेन्द्र दत्त---क्या सरकार ने इसकी भी जाँच कराई है कि जो वाउचर्स हैं और कैश हुये हैं उन पर एग्जीक्यूटिव आफिसर के दस्तखत हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---मान्यवर, जो शासन को रिपोर्ट मिली उसी के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया और उन्होंने एस० डी० एम० से जाँच करने के लिये कहा। उन्होंने यह कहा कि इस बोर्ड का विशेष आडिट किया जाय। इसलिये परीक्षक स्थानीय निधि लेखा को इस पालिका के विशेष आडिट करने के लिये आदेश दिये गये।

जौनपुर नगरपालिका का अवक्रमण

*१२---**श्री ऊदल**---क्या सरकार म्युनिसिपल बोर्ड जौनपुर को अवक्रमण करने पर विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो अवक्रमण के कारण क्या हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---नगरपालिका जौनपुर को अपने कर्त्तव्यों के पालन में निरन्तर अवहेलना करने तथा अपने अधिकारों का अतिक्रमण व दुरुपयोग करने के कारण १४ सितम्बर, १९६२ से अवक्रमण (Supersede) कर दिया गया है।

श्री ऊदल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नगरपालिका ने किन-किन कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया और अपने अधिकारों का कहाँ-कहाँ दुरुपयोग किया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---मान्यवर, यह तो म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा ३० के अन्तर्गत अवक्रान्त किया गया और जो दुरुपयोग करने के कारण होते हैं उसी के मुताबिक यह अवक्रान्त किया गया।

जेलों के हेड आफिस द्वारा सामान का क्रय

*१३---**श्री हिम्मतसिंह**---क्या कारागार मंत्री २८ मई, १९६२ के प्रश्न संख्या १३ के संदर्भ में बतायेंगे कि ५,००० गज कपड़ा खरीदने की तत्कालीन क्या आवश्यकता थी और जब एक ही टेण्डर आया था तो बाजार भाव भी मिलाया गया था अथवा नहीं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---फतेहगढ़ केन्द्रीय कारागार को १९६१-६२ के अन्त तक बहुत काफी खेमे बना कर देने थे जिसके आर्डर वह पहले ले चुका था, परन्तु जेल के पास शीटिंग क्लाथ का स्टाक समाप्तप्राय था। जेल ने कपड़े का तत्काल प्रबन्ध करने की माँग की और उसको पूरा करने के लिये कपड़ा खरीदा गया था। उस कपड़े का जो टेण्डर मन्जूर किया गया था उसका भाव बाजार भाव से मिला लिया गया था।

श्री हिम्मतसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खेमे कितने बनने थे और कब आर्डर दिया गया ?

श्री गोविन्दसहाय---यह ६१-६२ के आखीर में टेंट्स बनाकर देने थे और आर्डर मार्च में दिया गया ।

श्री हरिनाथ तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि खेमे कितने बनकर सप्लाई किये गये ?

श्री गोविन्दसहाय---मान्यवर, संख्या के बारे में तो मुझे नोटिस की जरूरत है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सज्जन को यह दिया गया उनके टेंडर का क्या रेट था, मारकेट रेट क्या था और किस फर्म को यह दिया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---श्रीमन्, इसके रेट्स माँगे गये थे और एलगिन मिल्स का रेट शीटिंग क्लाथ का एक रुपया ११ नये पैसा था और उसी से यह खरीदा गया था । जेल के कपड़े का रेट एक रुपया १२ नये पैसे था । डायरेक्टर आफ गवर्नमेंट सप्लाईज, गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया के यहाँ से भी रेट्स माँगे गये थे । इनका जो शीटिंग क्लाथ का जो रेट है वह १ रुपया ५६ नये पैसे प्रति मीटर था इसलिए एलिगन मिल की चूंकि दर सब से कम थी, इसलिए वहां से उसको खरीदा गया ।

श्री हिम्मतसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि शीटिंग क्लाथ का स्टाक कब समाप्त हो गया था और टेंडर किस तारीख को मांगे गये थे ?

श्री गोविन्द सहाय---अध्यक्ष महोदय, वाकया यह है कि कपड़े का स्टाक बनारस जेल में रहता है और खेमे फतेहपुर जेल में बनते हैं । इस साल यह कोई नया आर्डर नहीं है । उनके पास जो स्टाक था उसे उन्होंने काफी समझा लेकिन जब नया आर्डर मिला तब इस बात की जरूरत पड़ी कि नया कपड़ा खरीदा जाय, क्योंकि आर्डर को पूरा करना था । इसलिए १ मार्च, १९६२ को महानिरीक्षक ने एक्स स्टाक शीटिंग क्लाथ सप्लाई करने के लिए कोटेशन मांगे ।

*१४---**श्री ऊदल**---[हटा दिया गया ।]

झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के स्मारक के रख-रखाव में अव्यवस्था

*१५---**श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर में सरकार द्वारा निर्मित (झांसी की रानी) महारानी लक्ष्मी बाई स्मारक के रख-रखाव की जिम्मेदारी किस के सुपुर्द है और सरकार उसकी व्यवस्था के लिये प्रति वर्ष कितना रुपया देती है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---इसकी जिम्मेदारी नगरपालिका झांसी के सुपुर्द है । सरकार उसकी व्यवस्था के लिये नगरपालिका को ३,००० रुपये का वार्षिक अनुदान देती है ।

*१६---**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त लक्ष्मी बाई स्मारक (पार्क) में दुर्व्यवस्था के कारण सारा लान सूखा पड़ा है और धूल उड़ रही है और पार्क के दरवाजे के पास कूड़े का ढेर लगा हुआ है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---आधा लान जमीन ऊबड़ खाबड़ होने के कारण सूखा पड़ा हुआ है । जमीन बराबर करने की कार्यवाही नगरपालिका द्वारा हो रही है । पार्क के दरवाजे पर एक बड़ा सा गड्ढा है जिसको पाटने के लिए कूड़े का ढेर डाला जा रहा है ।

*१७—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार इस रानी लक्ष्मीबाई स्मारक की दुर्व्यवस्था को देखते हुये इसका प्रबन्ध सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने पर विचार करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रदेश भर में सरकार की तरफ से १८५७ की याद में जो शहीद स्मारक बनाये गये थे उनमें झांसी के अतिरिक्त और कहां-कहां शहीद स्मारक नगरपालिका को सुपुर्द कर दिये गये हैं और यदि झांसी का ही किया गया है, तो किस कारण से ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जहां तक प्रदेश भर के स्मारकों का सम्बन्ध है वह तो अलग प्रश्न है । लेकिन इस स्मारक को देने का कार्य सरकार ने नहीं किया है । राष्ट्रीय स्मारक समिति ने अपनी २९-१०-५९ की बैठक में यह निर्णय किया था, उसके द्वारा यह सरकार ने किया ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, जनमत का आदर करके शहीदों के प्रति आदरभाव से यह स्मारक बनाये गये थे । इनमें से चार स्मारक मैंने देखे हैं, मेरठ का, झांसी का, लखनऊ का और इलाहाबाद का । सिवाय लखनऊ को छोड़ कर सब की हालत बहुत खराब है । कोई लान नहीं है, कोई रख-रखाव नहीं है । इलाहाबाद में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की मूर्ति के चारों तरफ केवल लोहे की रेलिंग है जिसको कुत्ते, बिल्लियां, जानवर पार करते हैं और गंदा करते हैं । हम जानना चाहते हैं कि कोई सरकारी विभाग यह व्यवस्था कर रहा है कि जो स्मारक बनाये गये हैं उनका रख-रखाव ठीक हो और गंदा करने वाले जानवर और व्यक्ति न पहुंच सकें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसके लिए माननीय सदस्य लिख कर दे दें तो सरकार मालूम करेगी और जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—महारानी लक्ष्मीबाई के स्मारक की इस दुर्दशा को देखते हुए सरकार को इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग को देने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय रामायण राय जी, मेरा खयाल है कि माननीया मन्त्राणी आपको बता नहीं सकेंगी । ऐसे क्वेश्चन्स आप अलग से पूछ लीजिये ताकि सरकार बता सके कि क्या दिक्कत है और इसमें कोई शक नहीं कि आवश्यकता है, लेकिन यह आप अलग से प्लेन कर लीजिए ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ५ वर्ष में वहां के पार्क में पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी लान को सिंचाई के लिए और शहर भर के कूड़े से वहां का गड्ढा भरा जा रहा है जबकि लाख सवा लाख रुपया खर्च करके वह बनाया गया, तो इस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई का अपमान हो रहा है, और इसको देखते हुए क्या सरकार उस स्टेचू को वहां से हटा कर के उसे समाप्त करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—मैं समझती हूं कि यह तथ्य से परे बात है । जो असलियत है वह यह है कि जिस मद के लिये रुपया दिया गया उस कार्य को नगरपालिका ने पूरा किया है । अगर आप आज्ञा दें तो मैं विवरण दे दूं । प्रथम वर्ष ३ हजार रुपये का अनुदान दिया गया कांटेदार तार लगवाने के लिए । वहां पर नगरपालिका ने अपने पास से ४०० रुपया लगाया और ३ हजार रुपया यह लगा कर कांटेदार तार लगवाया । दूसरे वर्ष जो रुपया दिया वह रख-रखाव के लिए दिया गया और नगरपालिका पूरे तौर से उसकी हिफाजत कर रही है । जहां तक पार्क का सम्बन्ध है, पार्क में हरियाली लगी हुई है और पौधे लगे हुए हैं । कुछ भूमि समतल नहीं थी, वहां गड्ढा था, उसी गड्ढे को शहर से कूड़ा लाकर के पाटने की कोशिश की जा रही है ।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या माननीया मन्त्राणी जी मेरी इस बात को सूचना मान कर जांच करायेंगी कि वहां जो दो माली रखे गये हैं उन मालियों से घर का काम वहां के अधिकारी लेते हैं और वह वहां काम नहीं करते हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—माननीय लखपतराम जी लिख कर के दें तो मालूम कर लिया जाय ।

श्री हरिनाथ तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो रख-रखाव के लिए ३ हजार रुपया सालाना सरकार की ओर से दिया जाता है, क्या इसकी भी जांच हुई है कि वह ३ हजार रुपया रख-रखाव पर खर्च हो रहा है या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जिस लिए दिया जा रहा है उसी पर खर्च हो रहा है यही रिपोर्ट है ।

झांसी को पानी देने के लिये बबीना योजना

*१८—**श्री लखपतराम शर्मा**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में नागरिकों को जल का कष्ट दूर करने हेतु जो बबीना योजना सरकार द्वारा स्वीकृत है उसका कार्य अब तक प्रारम्भ न होने का क्या कारण है व इस योजना का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जा सकेगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इस योजना की लागत का अधिकांश भाग भारत सरकार के प्रति-रक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जायगा । भारत सरकार से धन की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण योजना का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया जा सका है । भारत सरकार से धन की स्वीकृति प्राप्त होने पर शीघ्र ही कार्य आरम्भ किया जायगा ।

श्री लखपतराम शर्मा—क्या माननीया मन्त्राणी जी झांसी में जल के महान कष्ट को देखते हुए फिर से भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कृपा करेंगी जिससे जल्द से जल्द रुपया मिल जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—सरकार इससे सचेत है ।

लखनऊ में नाला धसक जाने से मृत मजदूरों के आश्रितों को मुआवजा

*१९—**श्री अवधेश कुमार सिनहा** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चन्द माह पूर्व डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ के सामने ऐशबाग रोड पर एक सीवर लाइन डालते समय नाला धसक जाने के कारण जिन चार मजदूरों की तत्काल मत्यु हो गई थी उनके बारे में सरकार ने कोई मुआवजा उनके सम्बन्धियों को दिलाया ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या इस सम्बन्ध में किसी पर कोई मुकदमा भी चलाया गया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—मृतकों के आश्रितों के सहायतार्थ सरकार ने ५०० रुपये का अनुदान दिया था । इसके अतिरिक्त ठेकेदार ने एक मृतक को छोड़ कर जिसका कोई वारिस नहीं था, मृतकों के परिवारों को ४०० रुपया प्रत्येक परिवार के हिसाब से मुआवजा दिया । ठेकेदार पर भारतीय दन्ड विधान की धारा ३०४-ए के अन्तर्गत पुलिस ने मुकदमा चलाया था, जो न्यायालय से खारिज हो गया ।

फार्म फारेस्ट्री की रूपरेखा

*२०—**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—क्या बन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में जंगल का क्षेत्र बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उस योजना की रूप-रेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

वन मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)---जी हां। योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६६३-६६४ पर)

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए इस साठ लाख रुपये की योजना में केन्द्रीय सरकार कितना भाग वहन कर रही है और अब तक प्रदेशीय सरकार को कितना रुपया केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ।

श्री हरीदत्त काण्डपाल---केन्द्रीय सरकार इसके लिये आधा रुपया वहन करेगी ऐसी सम्भावना है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने अपने बहुत से भाषणों में इस बात की चर्चा की है कि हमारे प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल बहुत कम है और उसकी प्रदेश को नितान्त आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुये ही सरकार ने इस योजना को बनाया है लेकिन जो पिछला अनुभव है कि ठेकेदारों को जितना काम दिया गया वह उन्होंने पूरा नहीं किया, वह प्रतिशत पूरा नहीं हो सका, इस काम को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दक्षता से सरकार करा सके इसके लिये उसने कौन से कदम उठाये हैं?

वन मंत्री (श्री अलगूराय शास्त्री)---वन प्रसार की योजना बड़ी लाभ की योजना है। वन क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिये सिवाय इस योजना के और कोई दिखाई नहीं पड़ती इसलिये पूरे सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं कि इस योजना को जनसाधारण में लागू कर किया जाय और वन विकास खंडों के लोग इस काम को लें। असल में यह डेवलेपमेंट विभाग का काम है और वन विभाग डेवलपमेंट को बीज और पौधे की एडवाइस में कुछ सहायता देता है। अब यह चीज जरूर विचाराधीन है और कुछ बातचीत चल रही है कि यह पूरा कार्यक्रम वन विभाग को सुपुर्द कर दिया जाय तब इस काम में अधिक प्रगति आ सकती है। निस्सन्देह विकास खंडों पर हमको निर्भर रहना पड़ता है। जो विकास खंड सक्रिय हैं उनको वन विभाग द्वारा सहायता होती है लेकिन दोनों विभागों का मिलाजुला काम है। हमें सन्देह रहता है क्योंकि इसको विकास खंडों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि बी० डी० ओ० ऐसे हुये कि उनकी रुचि हुई तो वे कुछ काम करा लेते हैं। मैं माननीय सदस्य का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने अपने प्रश्नों के द्वारा इस प्रश्न की गम्भीरता की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है इस योजना को अधिक सफल बनाया जा सकता यदि यह पूरा कार्य वन विभाग को सुपुर्द कर दिया जाय और वह इस काम को करे। जब तक यह बात नहीं होती तब तक जो प्रगति है वह सदन की मेज पर रखे गये पेपर से मालूम होती है कि क्या प्रगति हुई है। ६,०३१ एकड़ भूमि में वन लगाया गया है और २ लाख २१ हजार रुपया खर्च हुआ है। ४०, ४५ रुपया प्रति एकड़ इतना सस्ता काम, और वनों की प्रगति करना बड़ी प्रगति का काम है। बड़ा काम हो सकता है अगर सचमुच यह योजना चलाई जाय।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि प्रदेश की जो छोटी-छोटी नदियां हैं जिनसे काफी भूमि क्षरण हो रहा है और उनके किनारे काफी बंजर जमीन है जो काश्त के लायक नहीं है तो उन किनारों पर यदि कुछ न कुछ जंगल लगाये जायं तो उससे भूमि क्षरण रुके, उससे लोगों को लकड़ी मिले और जमीन का इस्तेमाल हो सके?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---इस सवाल का डोमेस्टिकली जवाब नहीं दिया जा सकता

श्री अलगूराय शास्त्री---यह घरेलू सवाल नहीं है। यह मामला प्रदेश का है। मगर मैं यह कह सकता हूं कि ये दोनों माननीय सदस्य आजमगढ़ से आते हैं और मैं भी आजमगढ़ से आता हूं। यह सही है कि छोटी-छोटी नदियां उस जिले को तबाह कर रही हैं और उन नदियों के किनारे बन लगाने की योजना बनेगी तो उससे भूमि क्षरण रुकेगा और प्रदेश की भूमि बढ़ेगी इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है।

श्री रामायणराय---योजना की ठीक प्रगति नहीं हो रही है इसका ज्ञान मंत्री जी को इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद हुआ या पहले से उनको इसका ज्ञान था? यदि पहले ज्ञान था तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये उन्होंने क्या किया?

श्री अलगू राय शास्त्री---यह तो मैंने कहा कि योजना की प्रगति नहीं हो रही है। मैंने फीगर्स दिये कि साल-डेढ़ साल से इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न हो रहा है और इस बीच में ६,१३१ एकड़ भूमि में वन लगाया गया और २ लाख से अधिक रुपया खर्च हुआ। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इस योजना में अधिक सफलता मिल सकती है अगर यह पूरी तरह वन विभाग पर के अधीन हो जाय। लेकिन प्लानिंग कमीशन ने सारे देश में विकास खंडों को आत्म निर्भर बनाने के लिये योजना चलायी है इसलिये यह एक व्यापक और मौलिक प्रश्न है। अगर विकास खंड इस संबंध में निष्क्रिय बने रहें और इस काम में अधिक सहायता न दें तो इस योजना में अधिक प्रगति जैसी होनी चाहिये वह दिखायी नहीं देगी। मैं यह नहीं कह सकता कि प्लानिंग कमीशन के दिमाग में कोई भूल है। यह मेरी जाती राय हो सकती है कि अगर वन विभाग को यह काम दे दिया जाय तो इसमें अधिक प्रगति हो सकती है।

बलिया जिले में सीमेंट के वितरण में अव्यवस्था

*२१---**श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले में सीमेंट के वितरण में गोलमाल तथा सीमेंट के ब्लैक होने की कुछ लिखित और मौखिक शिकायतें जिलाधीश बलिया को पिछले दो महीनों में प्राप्त हुई हैं?

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---बलिया जिले में सीमेंट के वितरण की अव्यवस्था के संबंध में कुछ मौखिक तथा लिखित शिकायतें जिलाधीश बलिया को पिछले दो महीने में प्राप्त हुई। सीमेंट के ब्लैक होने की शिकायतें जिलाधीश को नहीं मिलीं।

*२२---**श्री कल्पनार्थसिंह** (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि एक शिकायत पर अभी हाल में जिलाधीश ने किसी एक सीमेंट विक्रेता की दुकान को चेक किया और उसके कागजात जब्त कर लिये हैं? अगर हां, तो अब तक उक्त सीमेंट विक्रेता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, सीमेंट के बिक्रेता के सम्बन्धित कागजात निरीक्षण के लिये जिलाधीश ने मंगाये जो उसे वापस कर दिये गये। उस सीमेंट बिक्रेता को परमिटों पर स्टाक में सीमेंट न होने की सूचना न दर्ज करने पर कड़ी चेतावनी दी गई है।

रायबरेली नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*२३---**श्री रती पाल** (जिला रायबरेली)---क्या सरकार को ज्ञात है कि रायबरेली नगरपालिका के अध्यक्ष ने कोई चरागाह अपने भाई के नाम पट्टा कर दिया जिस पर नगर महापालिका के सदस्यों ने सार्वजनिक हित की जमीन को इस भांति उठाने पर आपत्ति भी की है? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती तारा अग्रवाल---जी नहीं। ऐसा कोई पट्टा नहीं किया गया है।

गाजियाबाद मास्टर प्लान

*२४.—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के सम्बन्ध में जुलाई व अगस्त सन् १९६२ में कोई किसानों का डेपुटेशन मुख्य मंत्री से मिला है ? यदि हां, तो उन किसानों ने क्या-क्या मांग की है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—गाजियाबाद मास्टर प्लान के संबंध में जुलाई व अगस्त, सन् ६२ में किसानों का कोई डेपुटेशन मुख्य मंत्री से औपचारिक (formal) रूप से नहीं मिला है ।

*२५.—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या डेपुटेशन को मुख्य मंत्री ने कोई आश्वासन भी दिया है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामचन्द्र विकल—अध्यक्ष महोदय, यदि किसानों का कोई डेपुटेशन नहीं मिला तो क्या कोई डेपुटेशन अनौपचारिक रूप से मिला या नहीं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—अगर अनौपचारिक रूप से मिला होगा तो ऐसी स्थिति में किसी आश्वासन का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हिम्मतसिंह—मास्टर प्लान के अन्तर्गत कितने किसानों की भूमि ली जा रही है और कितने एकड़ ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कहा कि नहीं ली जा रही है ।

श्री रामचन्द्र विकल—श्रीमन, यह मेरी जानकारी है कि डेपुटेशन मुख्य मंत्री जी से ही नहीं वरन् इस राज्य के प्रत्येक मंत्री से मिला । वहां की समस्या इस वक्त इतनी जरूरी है कि किसानों की जमीन पर से फसल और चारा रोक दिया गया है और आज यह कह देना, मैं समझता हूं कि सवाल को टालना है कि औपचारिक और अनौपचारिक रूप से डेपुटेशन नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—यह आप नहीं कह सकते हैं, गलत बात है । आप सवाल तो पूछ सकते हैं कि नाम बताइये और तारीख बताइये, परन्तु बात छिपाने के लिये, नीयत पर आरोप आप नहीं लगा सकते हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि डेपुटेशन अगस्त के आखिर में मिला ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—मान्यवर, उत्तर में बता दिया गया है कि कोई डेपुटेशन औपचारिक रूप से मुख्य मंत्री जी से या स्वायत्त शासन मंत्री जी से नहीं मिला । यदि अनौपचारिक रूप से मिला हो तो प्रश्नकर्ता का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा में पानी सप्लाई की शिकायत

*२६.—श्री ब्रजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा शहर में नगरपालिका की ओर से ऊपर छना हुआ (अनफिल्टर्ड) पानी दिया जा रहा है जिससे भयंकर बीमारियों के फैलने की संभावना है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—पीने के लिये पानी कुओं से पंप कर के दिया जा रहा है जिसको फिल्टर कराने की आवश्यकता नहीं है । अन्य प्रयोजन के लिये नदी से पानी क्लोरिनेट (chlorinate) करने के बाद दिया जाता है और बीमारियों के फैलने की कोई संभावना नहीं है ।

लो-इन्कम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कमालगंज में ऋण का वितरण

*२७—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी) तथा श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लो-इन्कम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा फर्रुखाबाद के कमालगंज टाउन में कितना रुपया ऋण के रूप में दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक द्वारा फर्रुखाबाद के कमालगंज टाउन में सात व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये ४५,००० रुपया ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया, जिसमें से कुल २३,७०० रुपया अब तक बांटा गया है।

*२८—श्री सूबेदारसिंह तथा श्री महरामसिंह—क्या यह ठीक है कि कुछ लोग टाउन एरिया से बाहर इस ऋण से ऐसे मकान बनवा रहे हैं जो निवास गृहों के रूप में नहीं है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जी हां, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है कि इस ऋण से टाउन एरिया कमालगंज के बाहर कुछ ऐसे मकान बन रहे हैं जो स्वीकृत नक्शों के विरुद्ध हैं।

श्री सूबेदारसिंह—क्या सरकार उन लोगों के नाम इस सूचना के साथ बतायेगी कि अलग-अलग उन लोगों को कितना ऋण दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—मान्यवर, यह सात व्यक्ति हैं जिनको धनराशि दी गई है। यदि आप आज्ञा दें तो पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—अच्छा पढ़ दीजिये।

श्रीमती तारा अग्रवाल—मान्यवर, वह नाम इस प्रकार हैं—

क्रम-संख्या	नाम	धनराशि	वितरण की तिथि एवं धनराशि	
		रु०		रु०
१	श्री पन्नालाल ..	३,०००	२६-१२-५८	६००
			१७-२-५९	१,५००
			१५-५-५९	९००
२	श्री हरीमोहन ..	६,०००	३०-११-६०	१,२५०
			२१-१-६१	३,०००
			२७-३-६१	१,८००
३	श्री श्रीकृष्ण ..	७,५००	२८-११-६१	१,५००
			६-४-६२	३,७५०
४	श्री कैलाश चन्द्र गुप्त ..	७,५००	२४-१-६२	१,५००
५	श्री राधाकृष्ण ..	६,०००	१२-६-६२	१,२००
६	श्री राधेश्याम गुप्त ..	७,५००	१२-६-६२	१,५००
७	श्री कालूराम ..	७,५००	१२-६-६२	१,५००

श्री सूबेदारसिंह—क्या सरकार को यह जानकारी है कि हरी मोहन दोनों बाप बेटे हैं और एक ही मकान में रहते हैं और उन लोगों ने सरकार को धोखा देकर यह रुपया ले लिया है। क्या सरकार उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—शासन के पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर सदस्य इत्तला देंगे तो कार्यवाही की जायगी।

श्री सूबेदारसिंह—कालूराम के नाम से जो रुपया मंजूर हुआ है, क्या सरकार को जानकारी है कि उस रुपये से यह टाउन एरिया के ऊपर मकान बनवा रहे हैं जो निवास गृह के रूप में नहीं है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसकी जांच हो रही है।

श्री हयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध मकान बनाने की सूचना होने पर सरकार ने कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या की?

श्रीमती तारा अग्रवाल—यह सरकार के द्वारा सीधे रुपया नहीं दिया गया, बल्कि कोआपरेटिव सोसाइटी, फर्रुखाबाद के द्वारा दिया गया। जब यह शिकायत मिली तो वहां के रजिस्ट्रार महोदय जांच कर रहे हैं।

श्री रामायणराय—कई किस्तों में धनराशि दी गयी है तो सरकार पता लगायेगी कि जो धन दिया गया है वह निर्धारित शर्तों के अनुसार खर्च किया जा रहा है या नहीं?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जब यह रिपोर्ट मिली तभी जिलाधीश, फर्रुखाबाद को इत्तला दी गयी और उनसे सूचना मिली है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री रुद्दल—क्या सरकार को इस बात का पता है कि लो इन्कम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत सरकार ने करोड़ों रुपया नगरमहापालिकाओं के अन्दर दिया है और २५ लाख रुपया बनारस में दिया है और वह गलत तरीके से खर्च किया जा रहा है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*२९—**सरदार बलदेव सिंह** (जिला गोंडा) तथा **श्री सुखदेवप्रसाद** (जिला गोंडा)—[हटा दिया गया।]

*३०—३१—**श्री शारदानन्द** (जिला सीतापुर)—[हटा दिये गये।]

*३२—**श्री रतीपाल**—[१ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*३३—**श्री हिम्मतसिंह** तथा **श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)—[हटा दिया गया।]

सीवेज यूटिलाइजेशन योजना

*३४—**श्री रघुनाथसिंह**—क्या नदियों के पानी की शुद्धता के लिये कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे शहरों की गन्दगी नदियों में न गिराई जाकर कहीं इकट्ठा की जाय और उससे खाद बने? यदि हां, तो पहले किस शहर में और कब लागू होगी?

श्रीमती तारा अग्रवाल—प्रदेश में शहरों की जो गन्दगी नदियों में गिरती है, उसकी रोकथाम के लिये सीवेज यूटीलाइजेशन योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत शहरों के गंदे पानी को नदियों में न गिराकर सीवेज फार्म में ले जाया जाता है जिससे सिंचाई की जाती है। अभी ये योजनायें प्रदेश के महापालिकाओं एवं कुछ अन्य शहरों जैसे मथुरा, फैजाबाद, बृन्दाबन और हरिद्वार में कार्यान्वित की जा रही हैं।

श्री रघुनाथ सिंह—किन-किन नगरों में शहरों के गंदे पानी को सीधे फार्मों तक पहुंचाकर सिंचाई के काम में लाने की व्यवस्था सरकार ने की है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—पांचों कवाल टाउन्स और हरिद्वार, वृन्दावन, मथुरा, फैजाबाद में।

श्री रामायणराय—प्रयाग और वाराणसी जो तीर्थस्थान हैं वहां भी शहर का गंदा पानी जो गंगा में गिरता है वहां यह योजना क्यों कार्यान्वित नहीं की गयी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—वे कबाल टाउन्स में शामिल है।

श्री रघुनाथसिंह—श्रीमन्, यह कहा गया है कि योजना कार्यान्वित हो रही है और सिंचाई की जाती है। मैं जानना यह चाहता हूं कि किन किन नगरों में सिंचाई करने का कार्य आरम्भ हो चुका है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—जिन जिन नगरों में यह योजना चल रही है वहां अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। जितना कार्य हो चुका है उसके अनुपात में ही सिंचाई होती है।

श्री रघुनाथसिंह—कहीं कार्य आरम्भ भी हुआ है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रामायणराय—क्या कबाल टाउन्स के लिये भी यह योजना है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—कबाल टाउन्स के नाम ही मैंने अभी पढ़े थे, जैसे—लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा आदि।

*३५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—[१ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ में तालकटोरा स्ट्रीट योजना पर विचार

*३६—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या सरकार का ऐशबाग इंडस्ट्रियल एस्टेट लखनऊ को बढ़ाने का विचार है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी योजना सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—पहला भाग—ऐसी कोई एस्टेट नहीं है।

दूसरा भाग—प्रश्न नहीं उठता।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की कोई इंडस्ट्रीयल एस्टेट अब सरकार बनाने पर विचार कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, लेकिन एक ताल कटोरा स्ट्रीट की स्कीम पर विचार हो रहा है।

जेल अध्यापक

*३७—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार मेरे प्रश्न संख्या ९, दिनांक २० अगस्त, १९६२ के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि जेल अध्यापकों के स्थानान्तरण के संबंध में कोई आदेश या डी०ओ०, आई० जी० जेल को दिये गये हैं ? यदि हां, तो वे आदेश व डी० ओ० क्या हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—जी हां, प्रति संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६६५ पर)

*३८—श्री होरीलाल यादव (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल प्रध्यापकों ने एक साथ या अलग-अलग अपने वेतन के ग्रेड के संबंध में प्रार्थना-पत्र आई०जी० जेल या सरकार को दिये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री गोविन्दसहाय—जी हां, मामला विचाराधीन है।

वन्य जन्तुओं के सुरक्षा नियमों के उल्लंघन

*३९—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जंगलों में शिकार खेलने के नियमों के उल्लंघन (Violation of the game laws) के संबंध में वन विभाग ने क्षेत्रीय आयुक्तों, जिलाधीशों तथा वन विभाग के अधिकारियों के पास कोई परिपत्र भेजा है? यदि हां, तो क्या वे उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—जी हां। उसकी एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६६६–६६७ पर)

*४०—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राज्य के बहुत से उच्चाधिकारियों ने संरक्षित नियमों का उल्लंघन किया है। यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—जी हां। इन शिकायतों के आधार पर ही प्रश्न ३९ के उत्तर में उल्लिखित परिपत्र समस्त जिलाधीशों, क्षेत्रीय आयुक्त एवं वन अधिकारियों को भेजा गया था।

*४१—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन्य जन्तुओं की सुरक्षा एवं जंगल में शिकार खेलने के नियमों के उल्लंघन को प्रभावकारी ढंग से रोकने के संबंध में प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू की ओर से कोई परिपत्र विभाग को सन् १९६१ के बाद से प्राप्त हुआ है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—जी हां।

श्री चन्द्रजीत यादव—जो सर्क्युलर जारी हुआ है, उसमें यह साफ कहा गया है कि देश में शांति और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी अधिकारियों पर है। इसमें बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो नियमों को भंग करते हैं। आई०जी०, डी०आई०जी० और बहुत से सेक्रेटरियट के उच्च अधिकारी हैं जो नियमों को भंग करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है?

श्री प्रतापसिंह शास्त्री—निश्चित रूप से अगर किसी अधिकारी का नाम मालूम हो तो कार्यवाही उसके खिलाफ की जाय। एक शिकायत पहले डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी के समय में इस तरह की आयी थी, उसमें भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं था, लेकिन उसी चिट्ठी के आधार पर यह परिपत्र जारी किया गया। उनके खिलाफ तो कार्यवाही तभी की जा सकती है जब यह मालूम हो कि अमुक अधिकारी ने नियम भंग किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव—जब उनके विभाग के, श्रीमन्, उच्च अधिकारियों ने और सचिव ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, तो क्या माननीय मंत्री जी इसको उचित नहीं समझते कि वह इस संबंध में जानकारी प्राप्त करें कि वे कौन-कौन लोग हैं?

श्री अलगूराय शास्त्री—यह कहा जाय कि कौआ कान लिये जा रहा है तो हम कौआ को न देख कर अपने कान को ही देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति विशेष का नाम लिया जाय तो हम उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। जब तक वह व्यक्ति मालूम न हो, हम क्या कर सकते हैं उनके खिलाफ। नाम मालूम होने पर ही कुछ कार्यवाही की जा सकती है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि अभी हाल में जब लखनऊ में प्रशासकीय अधिकारियों की कान्फ्रेंस मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, तो उसमें वन विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि कुछ अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी वन विभाग के नियमों को तोड़कर जंगली जानवरों का शिकार करते हैं और इस सिलसिले में पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी कोई पत्र या परिपत्र आया है? यदि हां, तो क्या ?

श्री अलगूराय शास्त्री—परिपत्र जवाहरलाल नेहरू का आया है, उत्तर में हमने 'हां' कहा है। यह भी सही है कि उच्चाधिकारियों के सामने यह बात आई थी, वन विभाग के अधिकारियों ने इसका जिक्र किया था। हम इस विषय में जागरूक हैं और चेतावनी देते हैं कि इस तरह की बातें न करें।

एक सदस्य—बचा रहे हैं अधिकारियों को ?

श्री अलगूराय शास्त्री—बचाना तब कहा जा सकता है जबकि आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम दें और हम उसकी कार्यवाही न करें।

श्री झारखंडेराय—जवाहरलाल जी का पत्र क्या है।

मिश्रिख तहसील में पैरोल पर छोड़े गये बन्दी

*४२—श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली) तथा श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले के तहसील मिश्रिख के कितने बंदियों को जिनको धारा ३०२ के अन्तर्गत सजाएं हुई थीं सन् १९६१ व १९६२ में पैरोल पर छोड़ा गया ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उन बंदियों को किस-किस अन्तर से छुट्टी मंजूर की गई और उन बंदियों के नाम तथा स्थान क्या हैं ?

श्री गोविन्दसहाय—ऐसे पांच बंदियों को पैरोल पर छोड़ा गया। उनसे संबंधित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६६८ पर)

बनियों वाला ग्राम में पेय-जल कष्ट

*४३—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम बनियों वाला, अफजलगढ़ विकास क्षेत्र, जिला बिजनौर के निवासी तालाबों से लाकर पानी पीते हैं ? यदि हां, तो सरकार इस ग्राम के निवासियों के लिये पेय-जल का क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस ग्राम के कुछ निवासी तालाब का पानी पीने के लिये उस वक्त ले लेते हैं जब इस ग्राम में स्थित कुयें तथा निकटवर्ती नहर में पानी कम हो जाता है।

इस ग्राम में पेय-जल का प्रबन्ध करने के लिये कोई प्रार्थनापत्र स्वायत्त शासन विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

*४४—श्री बसन्तसिंह—[१ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न ४१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

जगनेर में पानी का कष्ट

*४५.—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जगनेर टाउन एरिया जिला आगरा में कोई जल योजना (नल स्कीम) १९५४-५५ में प्रारम्भ की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब वह बन्द क्यों कर दी गई है ?

श्री त्रिचित्रनारायण शर्मा—जगनेर नगर में एक पुरानी बावली से सफाई के के पश्चात् पानी लेने के लिये एक योजना सन् १९५४ में बनी थी, जिससे कि नगर में जल वितरण करने का विचार था, परन्तु इस कार्य में कई कठिनाइयां होने के कारण वह कार्यान्वित नहीं हो पाई। अब टाउन एरिया कमेटी ने यह तय किया है कि इस बावली के बजाय लोहार वाले कुएं का परीक्षण किया जाय कि वह नगर के आवश्यकतानुसार पानी दे सकेगा अथवा नहीं। यदि पानी आवश्यकतानुसार उपलब्ध हुआ तो टंकी का निर्माण करने से नगर की जल-पूर्ति हो जायेगी।

*४६-४७.—श्री बसन्तसिंह (जिला जालौन)—[हटा दिये गये]

अतारांकित प्रश्न

साप्ताहिक अवकाश न पाने वाले महापालिका कर्मचारी

१.—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य की नगर महापालिकाओं में ऐसे कौन-कौन से कर्मचारी हैं जिन्हें साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाता है ?

श्री त्रिचित्रनारायण शर्मा—नगर महापालिका वाराणसी को छोड़ कर, जिसमें सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश की सुविधा प्राप्त है, राज्य की अन्य नगर महापालिकाओं में निम्न प्रकार के कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश प्रायः नहीं मिलता है :—

(१) जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में आवश्यक सेवा कार्य करने वाले कुछ कर्मचारी।

(२) जलकल विभाग के कुछ कर्मचारी।

(३) वधगृह के मुहर्रिर व मवेशीखानों के कर्मचारी।

(४) टीका लगाने वाले कर्मचारी।

(५) रोशनी आदि का प्रबन्ध करने वाले कुछ कर्मचारी।

(६) टर्मिनल टोल विभाग के कुछ कर्मचारी।

२.—श्री बालोजी अग्रवाल—साप्ताहिक अवकाश न मिलने पर उन्हें ओवर टाइम दिया जाता है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिचित्रनारायण शर्मा—नगर महापालिका, लखनऊ, आगरा तथा कानपुर के कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश न मिलने पर ओवरटाइम नहीं दिया जाता। नगर महापालिका, इलाहाबाद के केवल मेहतरों को ओवरटाइम मिलता है तथा नगर महापालिका, वाराणसी में उन सभी कर्मचारियों को जिनसे साप्ताहिक अवकाश में कार्य लिया जाता है ओवरटाइम भत्ता देने की व्यवस्था है। साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर ओवरटाइम भत्ता देना या न देना नगर महापालिकाओं में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत वर्तमान प्राविधान पर निर्भर करता है।

३—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महापालिका के ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जिनसे आठ घंटे से अधिक काम लिया जाता है और ओवर टाइम नहीं दिया जाता है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—टर्मिनल टौल व मवेशीखानों के कुछ मुहर्रिर व चपरासी तथा जल कल के चौकीदार और की मैन ।

रेंट कन्ट्रोल ऐन्ड एविक्शन आफिसर, बरेली द्वारा निर्णीत मुकदमे

४—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ जून, १९६१ से जुलाई, १९६२ तक कितने मुकदमे रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की धारा ३ के अन्तर्गत रेन्ट कन्ट्रोल ऐण्ड एविक्शन आफिसर, बरेली के यहां दायर हुये और उनमें से कितने का फैसला हो गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—८३ मुकदमे दायर हुए और उनमें से ५२ मुकदमों का फैसला हो गया ।

५-६—श्री चन्द्रजीत यादव—[१ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

रिक्शा चालक

७—श्री रघुनाथसिंह—रोडवेज बसों के चल जाने से जो रिक्शा चालक विवशता के कारण इक्के गाड़ी के पशुओं का काम करने पर उतारू हो गये थे उनकी अत्यन्त असहाय स्थिति की ओर स्वायत्त शासन मन्त्री का ध्यान गया है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—रोडवेज की बसें मुख्य मार्गों पर चलती हैं जब कि रिक्शे छोटी-छोटी सड़कों, गलियों और मोहल्लों के भीतरी स्थानों में भी चलते हैं। अतएव इन बसों के कारण रिक्शा-चालकों के विवश होने की स्थिति पैदा होने का प्रश्न नहीं उठता ।

८—श्री रघुनाथसिंह—नगरपालिकाओं द्वारा हर साल रिक्शा लाइसेंस में कमी करते रहने के कारण जो रिक्शा चालक बिना जीविका के हो जावेंगे क्या सरकार उनकी जीविका का कुछ प्रबन्ध करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब और किस रूप में ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अभी कुछ ही नगरपालिकाओं में रिक्शों की संख्या में कुछ कमी हुई है अतएव रिक्शा चालकों की बेकारी का प्रश्न नहीं उठता ।

९—श्री रघुनाथसिंह—समाजवादी समाज की रचना के घोषित ध्येय के मेल में समान अवसर और सुविधा तथा सरकार द्वारा प्रत्येक की जीविका की जिम्मेदारी के सामान्य तथ्य के अनुरूप क्या सरकार कम से कम ऐसे असहाय जीविकाविहीन लोगों को बेकारी का भत्ता देने की तुरन्त व्यवस्था करेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बेकारी का प्रश्न उठने पर शासन विचार करेगा कि इस मामले में क्या किया जा सकता है ।

उत्तरी गोंडा फारेस्ट डिवीजन का कार्यालय

१०—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तरी रेन्ज के वनाधीश के प्रधान कार्यालय उनके हल्के (बलरामपुर) जिला गोंडा में रखने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अलगूराय शास्त्री—सम्भवतः प्रश्न उत्तरी गोंडा फारेस्ट डिवीजन से संबंध रखता है। इस विषय पर माननीय सदस्य ने एक प्रस्ताव भेजा है जो विचाराधीन है ।

११—श्री कृष्णपालसिंह—[१ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया ।]

बिसवां में ईंटों के भट्ठे

१२—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को ज्ञात है कि बिसवां जिला सीतापुर के नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर ईंटों के भट्ठे हैं यदि हां, तो कितने और किनके ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—बिसवां नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर दो ईंटों के भट्ठे हैं। एक भट्ठा श्री हाशिम अली सिद्दीकी का और दूसरा श्री मुहम्मद वसीम का है।

१३—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री नगर के उत्थान की दृष्टि से उन भट्ठों के लाइसेंस कैंसिल करने और उन्हें बन्द करवाने का आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जी नहीं, क्योंकि उनका नगर पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

१४-१६—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—[१ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

झांसी जिला जेल के सिपाही पर मुकदमा

१७—श्री लखपतराम शर्मा—क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जेल के कुछ सिपाही वहां के स्थानीय पुलिस द्वारा चोरी के अपराध में जुलाई अथवा अगस्त सन् १९६२ में पकड़े गये हैं ? यदि यह सत्य है, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गोविन्दसहाय—जिला जेल झांसी का एक सिपाही (वार्डर) भारतीय दण्ड विधान की धारा ४५७ के अन्तर्गत अगस्त १३-१४, १९६२ की रात को पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। उक्त सिपाही पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

सहारनपुर इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव स्टेट के लिये भूमि

१८—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सहारनपुर में पिछले तीन साल से जो इन्डस्ट्रियल कालोनी बनाये जाने के लिये कार्यवाही चल रही है आजकल ठप पड़ी है तथा जो रजिस्टर्ड सोसाइटी इस कार्य के लिये बनी थी उसने अपना कार्य बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार क्या सदन को इसके कारण से अवगत करायेगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—एक सहकारी औद्योगिक आस्थान (Industrial Estate) सहारनपुर में स्थापित करने हेतु एक सहकारी समिति जिसका नाम "दि सहारनपुर इन्डस्ट्रियल कोआपरेटिव एस्टेट लि० सहारनपुर" है, दिनांक [illegible] दिसम्बर, १९६० को रजिस्टर्ड हुई थी। समिति के लिये आवश्यक भूमि प्राप्त करने हेतु लैन्ड एक्वीजिशन के लिये सरकार को प्रार्थना-पत्र दिया गया और धारा ४—१७ एल० ए० ऐक्ट, [illegible]९४ ई० के अन्तर्गत सरकार द्वारा विज्ञप्ति भी जारी की जा चुकी है। भूमि प्राप्ति के उपरान्त समिति अपने सदस्यों के लिये उपरोक्त आस्थान एवं इमारत बनवाने का कार्य आरम्भ करेगी।

टांडा नगरपालिका में मेहतर क्वार्टरों का निर्माण

१९—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका टांडा (फैजाबाद) में मेहतरों के लिये कुल कितने मकान बनवाये जा रहे हैं तथा उन पर कुल कितना धन व्यय किया जायगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--टांडा नगरपालिका (फैजाबाद) द्वारा मेहतरों के लिये कुल २० क्वार्टर बनवाये जा रहे हैं जिन पर लगभग ३३,७३० रु० व्यय होगा।

२०—श्रीमती रामरती—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त धन किस विभाग से दिया जा रहा है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उक्त धन में से १५,००० रु० हरिजन सहायक विभाग द्वारा अनुदान के रूप में स्वीकृत हुआ है और शेष धन नगरपालिका टांडा (फैजाबाद) अपने पास से व्यय करेगी।

मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में आपत्ति—(क्रमागत)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज मुख्य मंत्री जी का कानपुर का भाषण जो निकला है, मैं आपसे यह आज्ञा चाहूंगा कि चूंकि उसके बड़े इम्प्लीकेशन्स हैं, लीगल यानी कंस्टीट्यूशनल और प्रैक्टीकल, मैं उसके ऊपर एडजर्नमेंट मोशन मूव करना चाहता हूं। रूल ११३ का (६) आप देखने का कष्ट करें। उसमें यह है कि "Motions without notice—The following notices may be made, if the speaker permits, without notice:—xxx(vi) Motion for postponement of any business." मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप मुझे अभी आज्ञा देंगे कार्य-स्थगन प्रस्ताव मूव करने की या रूल ५२ वगैरह हो ले, तब देंगे।

श्री अध्यक्ष—अभी तो हमारे सामने कार्यक्रम है। जब लैंड और बिल्डिंग्स टैक्स बिल आवे उसके पहले आप कर सकते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—कार्य-स्थगन प्रस्ताव का मतलब तो यह है कि सदन का कार्य स्थगित करके वह प्रस्ताव लिया जाय, उस चीज को लिया जाय जो मैं मूव करने जा रहा हूं।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, कि क्या अखबार के आधार पर, बिना उसकी सत्यता को प्रमाणित किये हुए, इस प्रकार का मोशन आ सकता है ?

श्री अध्यक्ष—अभी तो वह पूछ रहे हैं कि वह उसे कब मूव करें। इसे डिसकस कर लेंगे और इसके इम्प्लीकेशन्स देख लेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—आपने मुझसे कहा था कि क्वैश्चन आवर के बाद सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष—अभी मैंने देखा नहीं है। मैं उसे खुद पढ़ लूंगा। आपने जो प्रश्न उठाया था उसी प्रकार का प्रश्न माननीय नेता विरोधी दल उठा रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मेरा कामरोको प्रस्ताव नहीं है। मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री के उस भाषण के बाद जो उन्होंने कानपुर में दिया कि मिनिस्टर्स बैक-आउट, यानी उन्होंने जो प्लैज किया उससे पीछे गये, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान संविधान की धारा १६४....

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—प्रक्रिया नियमावली के नियम ४४ में स्पष्ट लिखा है कि इस प्रकार का कोई भी प्रश्न या तो अध्यक्ष महोदय के कक्ष में पूछा जाय या लिख कर उसका उत्तर मांगा जाय।

श्री अध्यक्ष---उनका प्रश्न दूसरा है। माननीय नेता विरोधी दल का यह प्रश्न है कि सदन का कार्य स्थगित हो। नरसिंह नारायण जी, आप जल्दी कह लीजिये। आप यह बता दीजिये कि आप क्या इस्टैब्लिश करना चाहते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---मैं यह इस्टैब्लिश करना चाहता हूं कि इस समय कोई भी मंत्रि-परिषद् यहां पर नहीं जिसकी कलेक्टिव रिसपांसिबिलिटी इस सदन के प्रति हो। इसलिये....

श्री अध्यक्ष---आपने यह प्रोपोजीशन रखा कि किसी वक्तव्य के कारण अब मंत्रि-परिषद् का अस्तित्व कानून की दृष्टि से नहीं है। इसकी सपोर्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं अभी उसे ओवररूल नहीं कर रहा हूं पहले विशेषाधिकार और नियम ५२ को लें। फिर कार्य शुरू होगा, तब उसे देख लेंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मैं रूल ६१ की ओर आपका ध्यान पेज २७ पर, आकृष्ट करना चाहता हूं अंग्रेजी का मेरे पास है।

"Mode of asking for leave to Move Adjournment Motion---The Speaker shall take up the motion after the questions and before the list of business is entered upon and if he holds that the matter proposed is in order and gives his consent under rule 58, he shall call the member concerned who shall rise in his place and ask for leave to move the adjournment of the House."

मेरा यह निवेदन है कि लिस्ट आफ बिजिनेस के पहले हो तो ठीक होगा, अन्यथा जैसा आप निर्णय करें।

श्री अध्यक्ष---नियम ५७ के अन्तर्गत एडजर्नमेंट मोशन पर नियम ६१ लागू करता है। १:३ और ६१ का कोई संबंध नहीं है।

श्री उग्रसेन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब एक प्रिविलेज मोशन आया है, उसकी नोटिस मिली है आपको, उग्रसेन जी?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---अभी मिली है।

श्री अध्यक्ष---इसमें है कि माननीय उग्रसेन जी का यह कथन कि मंत्री जी हमको इस प्रकार भुलावे में डाल कर सदन का समय नष्ट कर रहे हैं, क्या आपने यह कहा था? मैंने अभी आपका भाषण देखा नहीं है।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैंने यह कहा था कि माननीय मंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं उससे वह सदन का समय इसलिये नष्ट कर रहे हैं कि वह हमें भुलावे में डाल रहे हैं। समय नष्ट कर रहे हैं, मैंने जरूर कहा था। नैपाल बांध के बारे में बात थी और मैंने कहा कि उन्हें टोकें, उनको टोक दें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने, माननीय उग्रसेन जी ने, जो प्रश्न दिया है, उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। अच्छा यह होता यदि आप उनके भाषण को स्वयं देख लेते और भाषण को देखने के बाद, उनको वह भाषण दिखा कर पूछते। लेकिन यह कि आपने क्या कहा, क्या नहीं कहा इस प्रकार से स्पष्टीकरण पूछने लगे, यह ठीक नहीं है।

श्री उग्रसेन--आप मेरा भाषण देख लें। मैंने जो कुछ कहा है, उससे मैं पीछे नहीं हटता हूं। माननीय मंत्री जी इस प्रकार सदन को भुलावे में डाल रहे थे कि जो बात थी उसको नहीं कह रहे थे।

श्री अध्यक्ष--मैं इसको अपराह्न में लूंगा।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--मेरा माननीय उग्रसेन जी के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--मैं भी उसको बाद में लूंगा। अभी आप बैठिये।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--मैं जो सवाल माननीय नेता विरोधीदल ने उठाया है, उसके संबंध में निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--अभी वह उठाया नहीं गया है। उठे तब आप कहिये।

कामरोको प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--मेरे पास कई एक कामरोको प्रस्ताव आये हैं जिनमें से दो चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के संबंध में हैं तथा उसी के संबंध में नियम ५२ के भी हैं। इनको मैंने नियम ५२ में स्वीकार कर माननीय मंत्री जी के पास भेज दिये हैं। इतर जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं, उनको मैंने अस्वीकार किया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)--श्रीमन्, मेरा भी एक प्रस्ताव था कि सर्वोदय कार्यकर्ता को पीटा गया। पुलिस ने उसको घसीटा और पीटा। वह तो किसी राजनैतिक संस्था का आदमी भी न था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--श्रीमन्, जो आपने स्वीकार किया है, उसको पढ़ दें।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)--देवरिया में बाढ़ से बड़ी परेशानी हो रही है, उसके बारे में मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था।

श्री अध्यक्ष--कार्यस्थगन प्रस्तावों के बारे में मैंने आदेश दे दिये हैं, जो माननीय सदस्य उनको देखना चाहें कि ऐसे आदेश क्यों हुये, वे कृपया उनको देख लें।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--पहले मैं नियम ५२ का प्रस्ताव पढ़ दूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--श्रीमन्, कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक जनरल बात कहना चाहता हूं। कार्यस्थगन के बहुत से प्रस्तावों को आप नियम ५२ के अन्तर्गत ले लेते हैं अब जो नियम ५२ के अन्तर्गत पूछे गये हैं वे कहां जायं। दूसरी बात यह कि पहले आप मंत्री जी से स्टेटमेंट दिलवा दिया करते थे।

श्री अध्यक्ष--अब नियम ५२ के अन्तर्गत मेरे पास एक सूचना श्री राम किशोर त्रिपाठी की है, दूसरी सूचना माननीय उग्रसेन जी की, तीसरी सूचना माननीय मतोला सिंह की, तथा माननीय चन्द्रजीत और माननीय ऊदल की हैं .....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--चुर्क सीमेंट फैक्टरी के संबंध में मैंने दिया है, वहां मैं खुद गया था और फैक्टरी की हालत देख कर आया हूं।

श्री अध्यक्ष---आप बैठें, घबड़ाते क्यों हैं ?

उसी संबंध में श्री काशीनाथ मिश्र जी का कामरोको प्रस्ताव है और श्री हिम्मत सिंह का भी है। तो ये ६ सूचनायें ४ नियम ५२ के अन्तर्गत हैं और २ कामरोको प्रस्ताव के रूप में हैं। इन सबको मैंने एक साथ ट्रीट किया है और नियम ५२ के अन्तर्गत इनका उत्तर दिया जायगा। माननीय मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में कब वक्तव्य देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---परसों तक दे दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---कल ही वक्तव्य दे दें, क्योंकि एक लाख रुपया रोजाना बर्बाद हो रहा है।....

श्री अध्यक्ष---इसके लिये आप व्यवस्था नहीं कर सकते, मैं करूंगा। परसों इस पर बयान होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---मेरे प्रस्ताव को आप पढ़ तो दें।

श्री अध्यक्ष---मैं पढ़ दूंगा। माननीय काशीनाथ जी का बहुत लम्बा-चौड़ा बयान है....

श्री काशीनाथ मिश्र---वे सारी सही बात हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं उसका सारांश पढ़ देता हूं। इसके लिये मैं माननीय उग्रसेन वाला पढ़ देता हूं, इस वास्ते कि माननीय उग्रसेन दो दिन से मुझे नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दे रहे थे कि बुर्क सीमेंट फैक्टरी में हड़ताल होने जा रही है, लेकिन उसे मैं सदन के समक्ष नहीं ला सका। तो उन्हीं को मैं पढ़ रहा हूं।

दिनांक १५ सितम्बर १९६२ से चुर्क सीमेंट फैक्टरी, चुर्क मिर्जापुर के १२०० मजदूर "चुर्क मजदूर सभा" के नेतृत्व में हड़ताल पर हैं। उनकी प्रमुख मांगें हैं:---सीमेंट वेज बोर्ड का अवार्ड ठीक से लागू किया गया। मजदूरों के लिये आवास की व्यवस्था हो, जो निकाले गये मजदूर पुनः नौकरी पर वापस किये लिये जांय और चुर्क मजदूर सभा को मान्यता दी जाय। प्रबन्धक वर्ग ने हठधर्मी के कारण उनकी एक भी मांग को नहीं माना है। राज्य सरकार ने भी उनकी मांगों पर कुछ विचार नहीं किया है। फल स्वरूप मजदूरों को हड़ताल पर जाना पड़ा। इस समय वहां पुलिस मजदूरों की हड़ताल तोड़ने में लगी हैं, जिससे एक विषम स्थिति पैदा हो गयी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मुख्य मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष---बैठिये, इस वक्त निवेदन करने का प्रश्न नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---जब मैं बोल रहा हूं तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता।

अब नियम ५२ और कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर कोई बात नहीं होगी, उसे मैं समाप्त करता हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, अभी आप उस प्रश्न को समाप्त न करें, क्योंकि जब आप उसे समाप्त ही कर देंगे तो मैं बोलूंगा क्या। जो कुछ मुझे कहना है, मैं कह दूं तब आप समाप्त कीजियेगा। मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था दुबौली गोली कांड के संबंध में जिसमें ३ आदमी मारे गये हैं और ६ घायल हैं। वहां के सभी वाकयात

में देख कर आ रहा हूं और जो मैंने लिख कर दिया है,उस ४ लाइन को आप पढ़ दिये होते तो ज्यादा सफाई हो गयी होती। चूंकि यहां माननीय मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरी बात को वे गौर से सुनें। उनकी पुलिस ने गोली चलायी और उससे जो मरे और जो घायल हुये, यह चीज तो अपनी जगह पर है। लेकिन आज जो वहां पुलिस की ओर से आतंक का राज्य है, मैं देख कर आ रहा हूं, सैकड़ों औरतों को रोते पीटते व तड़पते हुये और मैंने उनके बयान लिये हैं। इसलिये आपके जरिये मैं मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री और उनके विभाग ने जो वहां पुलिस राज्य कायम किया है उसको वे रोकवायें और जिन आदमियों के नाम वारण्ट्स हैं उनको वे वहां के प्रभावशाली व्यक्तियों के जरिये गिरफ्तार करा सकते हैं। जब कि ज्यादा आदमी गिरफ्तार किये जा चुके हैं तो थोड़े आदमियों के लिये क्यों इतनी गड़बड़ी की जा रही है कि १२ बजे रात को पुलिस जाती है और उनके घर से दूध, दही, घी, अनाज, मक्का जो कुछ भी मिले उसे एक डाकुओं के गिरोह की तरह से उठा लेती है। वहां का जो चित्र मैं देख कर आया हूं उसका बयान नहीं किया जा सकता। मैंने ५०० की भीड़ के सामने सारे बयान २० आदिमयों से लिये। उसमें महिलायें ज्यादा थी। तीनों मृतकों की विधवायें भी थीं। एक कारुणिक दृश्य था। आतंक फैलाने के सभी तरीके पुलिस अपना रही है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--आप उन से बातचीत करलें, आप मेरी बात तो सुनिये, मैं यह....

श्री झारखंडेराय--माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं मैं उन से आश्वासन चाहता हूं कि वह इस मसले को पूरी जिम्मेदारी से देखें और पुलिस का जो वहां पर आतंक छाया है उसे समाप्त करा दें और बाकी जो कानूनी उचित कार्यवाही वहां के लिये हो, वह शीघ्र करें।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, मैं इसे माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज रहा हूं....

श्री झारखंडेराय--श्रीमन्, वह बैठे हैं....

श्री अध्यक्ष--अभी उन्होंने उसे देखा नहीं।

श्री झारखंडेराय--श्रीमन्, मेरा जो नियम ५२ का प्रश्न है उसके सबंध में मैं कहूंगा कि सैयद फजले हक साहब चिश्ती बस्ती के "सियासत" अखबार के पत्रकार हैं। उन पर जिस तरह से पुलिस का हमला हुआ वह पत्रकार और पत्रकारिता पर हमला हुआ है दुबौली गोली कांड के संबंध में उनके अखबार में समाचार छपा था तथा गत पहली सितम्बर की सर्वदल जनसभा में बस्ती शहर के वे पुलिस कार्यवाही के विरोध में बोले थे और उसी का बदला लेने के लिये ९ सितम्बर की रात को पुरानी बस्ती पुलिस चौकी के दीवान ने श्री चिश्ती को बिना वजह रेलवे स्टेशन पर बुरी तरह से पीटा है, उनको जख्मी कर दिया गया और उनका सिर फट गया है वे अस्पताल में थे और अब उन को उल्टे जेल में बन्द कर दिया गया है और केस चल रहा है....

श्री अध्यक्ष--ठीक है, लेकिन मैं एक दिन में एक ही तो ले सकता हूं।

श्री झारखंडेराय--श्रीमन्, यह पत्रकार और पत्रकारिता पर हमला हुआ है, कम से कम आप उनसे बयान तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--आप आयें और बातचीत कर लें, दूसरे सदस्य आते हैं और बातचीत करते हैं और जहां वह कहते हैं कि वक्तव्य की आवश्यकता है तो मैं अकोमोडेट करने का प्रयत्न करता हूं, बातचीत कर लें जो हो सकेगा हो जायगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--श्रीमन्, चुर्क सीमेंट फैक्टरी के संबंध में मैंने भी अपना एक प्रश्न भेजा था, आप ने अभी श्री उग्रसेन जी के बारे में तो जिक्र किया, लेकिन मेरा आज पहले आया आपने.....

श्री अध्यक्ष---आप मेरी बात तो पहले सुन लें। मैंने उनका इसलिये पढ़कर सुनाया कि ३ दिन से लगातार मेरे पास वह नियम ५२ का नोटिस दे रहे थे, लेकिन मैंने डिसएलाउ कर दिया था। आज जब वहां हड़ताल हो गई तब मैंने उसको लिया और आपका भी नाम बता दिया कि आप ने भी दिया है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---श्रीमन्, मैं यह चाहता था कि आप..

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जांय, अब माननीय समाज कल्याण मंत्री वक्तव्य काशी विद्यापीठ वाराणसी के छात्रावास के मेसों में छुआछूत के प्रश्न पर देंगे।

काशी विद्यापीठ, वाराणसी के छात्रावास के मेसों में छुआछूत के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)---अध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने जो शिकायत की थी, उसकी जांच पूरी तरह से कराई गई है और मुझे यह निवेदन करने में खुशी है कि वह सब बिलकुल गलत और निराधार है। वाक्या यह है कि विद्यापीठ के छात्रावास के लिये यह नियम है कि छात्रावास में भोजनालय का प्रबन्ध है जिस में छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता और सब विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से भोजन करना होता है। भोजनालय का प्रबन्ध गृहपति की देखरेख में विद्यार्थी स्वयं करते हैं। विद्यार्थियों को शुद्ध सादा तथा निरामिष भोजन मिलता है। छुआछूत का भेदभाव मिटाने के लिये विद्यापीठ के अधिकारी तथा छात्र सदा आगे रहे हैं। यहां पर समय समय पर सहभोज होते रहते हैं, जिसमें विद्यापीठ में काम करने वाले मेहतरों को बीच में बिठाकर उन के साथ सब लोग भोजन करते रहे हैं।

इस समय सूरत यह है कि छात्रावास में तीन मेस थे मगर १४ अगस्त, १९६२ को विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो जाने के कारण एक चौथा मेस खोला गया है शायद इसी मेस को हरिजन मेस कहा गया है। मगर इस मेस में कुल २६ विद्यार्थी हैं जिनकी सूची मेरे पास मौजूद है और उसमें ३ विद्यार्थी मिश्री लाल, राम बहाल व सीताराम हरिजन हैं, ८ ब्राह्मण हैं, ६ क्षत्री हैं और ९ दूसरी जातियों के हैं। इस मेस को किसी तरह भी हरिजन मेस नहीं कहा जा सकता। यह मेस भी २४ अगस्त से ३ सितम्बर तक चला, मगर भोजन अच्छा न होने के कारण बन्द हो गया। अब विद्यापीठ की तरफ से भोजनालय का प्रबन्ध किया जा रहा है, जिसका ठेका किसी ठेकेदार को दे दिया जावेगा।

यह बात भी बिलकुल गलत है कि हरिजन विद्यार्थियों के साथ कोई षड़यंत्र होने वाला है या उन पर गलत अभियोग लगा कर शिक्षा से अलग करने और चरित्र की कापी में गलत आचरण लिखने की हालत पैदा हो गई है। विद्यापीठ में हरिजन विद्यार्थियों को हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयत्न किया जाता है और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न होने पावे। अलबत्ता यदि कोई विद्यार्थी अनुशासन भंग करेगा तो माननीय सदस्य भी यह न चाहेंगे यदि वह हरिजन है तो उसको छूट दे दी जाय और हरिजन विद्यार्थियों को अनुशासन भंग करने का लाइसेंस दे दिया जाय। विद्यापीठ में कोई विशेष अवस्था नहीं पैदा हुई और न हरिजन और गैर-हरिजन में भयानक झगड़े का कोई अंदेशा है। मैं यह भी निवेदन कर देना उचित समझता हूं कि बलराम नामक एक हरिजन विद्यार्थी है उसके और दूसरे विद्यार्थियों का छुआछूत के अलावा दूसरी बातों पर झगड़ा हो गया और मेरा ख्याल यह है कि यह बलराम की नापाक कोशिश है कि उन्होंने इस मामले को यह सूरत दे दी है और माननीय सदस्य को गलत सलत इत्तला दी है। ऐसी कार्यवाहियों से छुआछूत का मुद्दा जो कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्यापीठ में दफन हो चुका है भूत की शकल में उठाने की कोशिश की जा रही है और ऐसी बातें हरिजन भाइयों के हित में भी नहीं होती हैं। मैं चाहूंगा माननीय सदस्य स्वयं जा कर जांच करें और मैं भी मंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि एक हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्ता की हैसियत से उनके साथ चलने को तैयार हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसा गलत प्रोपेगेन्डा सख्ती से रोका जाय, क्योंकि इससे हरिजन भाइयों की कठिनाइयां, हरिजन सेवा में ज्यादा कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूं कि मैं उनके साथ काशी विद्यापीठ चलूं और छुआछूत संबंधी मेरे आरोप की जांच हो जाय। क्या मैं इस पर दो-एक सवाल कर सकूंगा ?

श्री अध्यक्ष---वैसे तो आपको प्रश्न करने का अधिकार है, पर जब वह आपके साथ जाने को तैयार हैं और रोकने के लिये तैयार हैं, जो उचित कार्यवाही होनी चाहिये, उस संबंध में वह करने के लिये तैयार हैं, तो आप मौके पर उनसे बात कर लें। अब आप बैठें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं सवाल उस पर पूछ सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठ जायं।

कानपुर शहर में कोयले की कमी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---अब माननीय खाद्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिनने दफा ५२ का प्रस्ताव दिया था उसमें लगभग उन्होंने ५ प्रकार की बातें लिखी थीं। जिनमें से कुछ तो ठीक हैं और उनका लिखना सही था, जैसे कि उन्होंने यह लिखा था कि वहां का कोट पहले से काफी घट गया है। यह बात सही है, जैसे कि उन्होंने सोफ्ट कोक को यह बताया कि २, २७२ वैगन में से १,२५० वैगन उनको दिया गया। मैं पिछली दफा यहीं पर मई के बाद बता चुका हूं कि पहला जो कोटा सारी स्टेट का निर्धारित था वह फर्जी जैसा था, यानी जितना कोटा उन्होंने देना तय किया था वह हमें मिल नहीं पाता था। अब सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रकार की प्लानिंग की है और कोशिश है कि जो कोटा निर्धारित किया है वह पहुंच जाय। तो इस कारण अवश्य कोटा वास्तविक रूप में जो हमें प्राप्त होता है वह सारे प्रदेश के लिये घटा है और मैं आंकड़े बता दूं मई, ६२ के पहले का एलाटमेंट कोयला चूर का २५४० वैगन माहवार था वह घट कर २२०० वैगन माहवार रह गया। सा.फ्ट कोक का पुराना एलाटमेंट ९९० वैगन माहवार था और अब उन्होंने ८०० वैगन माहवार कर दिया है। छोटे उद्योगों का भी इसी प्रकार घटा है। इसके साथ ही साथ कानपुर शहर में भी हमको उसी प्रकार घटाना पड़ा। मगर फर्क यह है कि पहले जितना कोटा था, पूरा नहीं पहुंचता था। इससे भी कम पहुंचता था। और अब जो कोटा है वह करीब करीब पहुंचता है। कानपुर के १२५० वैगन सालाना के कोटे में से अगस्त, १९६२ तक ७८६ वैगन कोयला चूरा प्राप्त हुआ। इससे साफ जाहिर है कि जितना अलाटमेंट है वह संतोषजनक है, क्योंकि १/३ भाग अभी शेष है और तीन, चार महीने बाकी भी हैं। इसी प्रकार १२२४ वैगन सालाना का अलाटमेंट साफ्ट कोक का है। उसमें कानपुर को ९७५ वैगन कोयला प्राप्त हो चुका है। इससे भी स्पष्ट है कि लगभग ७९ प्रतिशत कोयला हमको प्राप्त हो चुका है और अभी चार महीने शेष हैं। फिर आबादी ज्यादा है। इससे निस्संदेह कमी होती है। इस वक्त जैसा आपने कहा लगभग ढाई हजार मन कोयला वहां पर था। उन्होंने उसका वितरण बन्द कर दिया था, लेकिन हमने

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

परसों ढाई हजार मन को तुरन्त बटवाने के लिये आदेश दे दिये हैं और पर्मिट पर न मिल कर १ मन के करीब फी कार्ड पर कोयला दिया जायगा। यह भी खयाल था कि और न भी होगा तो फतेहपुर जिले से मंगा कर वहां भेज देंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। एक रेक कल वहां पहुंच गयी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है।

जैसा कहा गया था कोयले की कमी की वजह से कल कारखाने बन्द होने वाले हैं तो यह बात नहीं थी। बड़ी फैक्टरीज को तो सीधे भारत सरकार के द्वारा कोलरी से कोयला मिलता है और जब कोई कमी होती है तो इंडस्ट्रीज डायरेक्टोरेट को वह लिखते हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई इंटिमेशन नहीं आया है। छोटी मोटी इंडस्ट्रीज की कोई मांग नहीं है, न उनके पास कमी है। सांपट कोक की कमी नहीं है यह इससे भी पता चलता है कि बबूल को ईंधन का भाव चार रुपये फी मन है, महुए की लकड़ी ३ रुपये मन के हिसाब से बिक रही है और सिंडर कोयला साढ़े ३ रुपये मन है और चारकोल साढ़े १० रुपये मन है और बुरादा ढाई रुपये बोरी के हिसाब से बिक रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो एलार्मिंग सिचुएशन वहां माननीय सदस्य को प्रतीत हुई थी, वह नहीं है और अगर कुछ होगी भी तो हमारी एक रेक कल ही पहुंच गयी थी जिसमें ६५ वैगन्स के ऊपर होंगे। उसकी आर० आर० परसों आ चुकी थी। कल रिसीव हो गयी होगी और अब वितरण होने वाला है। इस लिये कोई कमी मुझे नहीं मालूम होती है। १२, १५ दिन का स्टाक बड़ी फैक्टरीज के पास है और कोई कारण नहीं मालूम होता है जिससे कि यह समझा जाय कि जनता को बहुत कष्ट है। यह जरूर है कि उन्होंने फिलहाल के लिये परमिट पर देना रोक दिया था वह फिर परसों से चालू करा दिया है। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य को और कानपुर के सभी प्रतिनिधियों को इससे संतोष होगा और सदन को भी संतोष होगा।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री, खुद कहते हैं कि कोयले की कमी की वजह से हमने सब जगह का कोटा कम कर दिया। मैं उनकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि यू० पी० रोलिंग मिल्स और मालवीय इंजीनियरिंग वर्क्स कोयले की कमी की वजह से बन्द रहे, यह मेरे पास डेफिनिट इन्फारमेशन है। अगर आप चाहेंगे तो अगले हफ्ते में .....

श्री अध्यक्ष—आप प्रश्न पूछिये।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—उसी पर आ रहा हूं। तो क्या मंत्री जी कुछ ऐसा स्टाक रखने की कृपा करेंगे कि जिससे लोगों की जरूरत दिक्कत के टाइम पर पूरी हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, मैंने डी० एस० ओ० को बुलाया था, उनसे भी पूछा। उनके पास भी कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र नहीं आया। बड़ी फैक्टरीज का जहां तक संबंध है, जैसा मैंने बताया, उनको तो डायरेक्टर गवर्नमेंट आफ इंडिया या कोलरीज से कोयला दिया जाता है। जब कभी कमी होती है तो वे इंटीमेट करते हैं। हमारे यहां उनका कोई इंटीमेशन नहीं है। यद्यपि कोटा कम हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया एक प्रकार से कम नहीं हुआ है। कहने के लिये तो दस हजार मन मिलेगा लेकिन दिया जाय एक मन तो दस हजार मन का कोटा किस काम का। अगर हम एक मन कहें और एक मन दें तो वह सही बात हो।

इसके अलावा कानपुर के लिये हम एक बात और कर रहे हैं। अभी तक हम ६ महीने में एक महीना कम कर दिया करते थे, यानी पांच ही महीने कानपुर में रेक्स आती थीं। अब दो रेक्स कानपुर में हम बराबर देते रहेंगे, क्योंकि वहां बढ़ती हुई आबादी है। अगर किसी के पास कोयले की कमी हो, हमें लिख कर दे तो हम पूरी कराने की कोशिश करेंगे।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—माननीय मंत्री जी, पूरी सरकार से और मुख्य मंत्री जी से मेरी इतनी प्रार्थना है कि वे कोई ऐसा प्रबन्ध करें कि जो कोयला ब्लैक मार्केट में जाता हो वह वहां न जा कर दूकानों से लोगों को मिले।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, ब्लैक-मार्केट में यह कोयला नहीं जाता है, यह मैं सही कह रहा हूं। लेकिन यह ब्लैक में कहां से कोयला आता है? रेलों से जो कोयला गिरता है उसको लोग लाकर ब्लैक में बेंचते होंगे। उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे, जैसा मैंने बताया, कोयले की कमी के कारण बरौनी तक तो हम मोटर ट्रांसपोर्ट से लाते हैं। परसों यह बात हुई, उसी रोज आर्डर कर दिया। दूसरी जगहों से कोयला मूव कर देते हैं। हमारे पास डम्प है, बहुत काफी कोयला है। कोल डस्ट की जो बात है, आजकल भट्ठों का सीजन नहीं है वरना कानपुर में तो इतना कोयला डम्प किया हुआ है कि आगे कोई कमी उसकी होगी नहीं।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितना कानपुर में कोयला खर्च होता है और जितना आप दे रहे हैं, उसमें कितना अन्तर है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कार्ड तो कोई दो, तीन लाख होंगे और हमारे पास जितना कोयला आता है यह इत्मीनान नहीं किया जाता है कि सभी खरीदेंगे और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई बुरादा इस्तेमाल करते हैं, कोई लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। इस लिये सही तरीके पर अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। वैसे दिन प्रति दिन जो लोग पहले कोयला नहीं जलाते थे वे कोयले की तरफ जा रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि मांग बढ़ती रहेगी।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि भाई संतसिंह यूसुफ साहब ने कहा कि कोयले का ब्लैक मार्केट होता है, मैं भी विश्वास करता हूं और मंत्री जी भी कहते हैं कि बहुत से बड़े-बड़े कारखानों को बराहरास्त गवर्नमेंट आफ इंडिया से कोयला मिलता है तो क्या अपनी मौजूदा सरकार ने इत्मीनान कर लिया है कि जो उनको कोयला मिलता है वह जरूरत से ज्यादा तो नहीं है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—श्रीमन्, यही तो मैं कह रहा था कि उनको डायरेक्ट दिया जाता है और मुमकिन है कि वे बेंच लेते होंगे जैसा कि माननीय सदस्य कहते हैं। अगर हम उनको पकड़ लें तो कानूनी कार्यवाही तो कर सकते हैं, लेकिन लुक छिप कर बहुत-सी बातें होती हैं। अगर आप हमारी मदद करें और हमें सहयोग दें तो उनको पकड़ें।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मान्यवर, कोयले के बारे में बार बार कहा गया कि वैगन्स की कठिनाई होती है। केंद्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में नदियों से कोयला लाने के लिये कहा है तो इस सरकार ने उसके संबंध में कुछ सर्वेक्षण कराया है या कुछ आदेश दिये हैं? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अभी मैंने पहले रोज स्टेटमेंट दिया था और बताया था कि पटना में एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने टेंडर नोटिस निकाल दिये हैं कि जो कोई कोयला नदियों द्वारा ले जाना चाहे वह टेंडर फार्म भर दे और वे उनको नियुक्त कर देंगे। हमारे बीच में कोई बात नहीं है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितना कोयला रेलवे का बिकता है और कितना बड़े-बड़े मिल मालिक बेंच लेते हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा कि बिकता है, बल्कि मैंने माननीय सदस्य की बात काटना नहीं पसन्द किया और यह कहा कि मुमकिन है ऐसा होता हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है । मैंने यह भी कहा कि अगर आप सहयोग देंगे और बतायेंगे तो हम उनका प्रोसीक्यूशन करेंगे ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि १ जनवरी से केन्द्रीय सरकार ने राज्य के कोयले में कितनी कमी कर दी है और उसकी पूर्ति के लिये कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मान्यवर, मैंने अभी आंकड़े दिये थे । हर चीज में अलग-अलग कमी हुई है ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, यह इधर-उधर की हांक रहे हैं .....

श्री जगमोहनसिंह नेगी---श्रीमन्, मैं पूरा जवाब बता रहा हूं कि हर चीज में कमी हुई है ।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, यह लोग ऐसे ही हांकते हैं ।

श्री अध्यक्ष---देखिये, आप पूरा जवाब सुन तो लीजिये । पूरा जवाब देने दीजिये । पूरा जवाब हुआ नहीं और आप खड़े हो गये । आप कृपया बैठें ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---श्रीमन्, मैंने बतलाया कि मई, १९६२ के पहले २,५४० वैगन माहवार का अलाटमेंट था और मई, ६२ के बाद वह केवल २,०० वैगन माहवार ही रह गया ।

दूसरे साफ्ट कोक का ९९० वैगन माहवार था, उसको ८०० वैगन माहवार कर दिया । इस प्रकार मैंने कई आइटम बताये । आप सुन नहीं रहे थे तो मेरा क्या दोष ।

श्री उग्रसेन---इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कर रहे हैं ?

(मंत्री को उत्तर देने के लिये नहीं बुलाया गया ।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान श्री पी०डी० सिंहानिया, जो वस्त्र उद्योगपति हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि कोयले की कमी के कारण हम अपनी पाली को बन्द करने जा रहे हैं, उनकी तरफ गया है और अगर गया तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसपर क्या कार्यवाही करने की कृपा की ?

श्री अध्यक्ष---खाद्य मंत्री जवाब दें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---यह तो पालिसी का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष---पालिसी का सवाल नहीं है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने अभी जैसा बताया बड़ी फैक्टरियों को सीधे गवर्नमेंट आफ इंडिया से अलाटमेंट है । हम बीच में नहीं है । अगर उनके पास कमी होती है तो यह परम्परा रही है कि वह हमारी डाइरेक्टोरेट को सूचित करते हैं कि हमारे पास कमी हो गयी है दो दिन का या चार दिन का स्टाक रह गया है । हम अपने लियाजन आफिसर को कलकत्ते में लिखते हैं तुरन्त इन्तजाम करने के लिये । अभी तक हमारे पास निर्देश नहीं है । बयान अखबार में देते रहे होंगे ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कोयले की जो यह कमी कई सालों से चली आ रही है, उसको दूर करने के लिये क्या सक्रिय उपाय सोचा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---यहां कानपुर शहर में कोयले की कमी के संबंध में प्रश्न है। आप पूछ रहे हैं सारे प्रदेश के बारे में। यह बिलकुल गलत है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कानपुर के जो इंडिविजुअल कोटा होल्डर्स हैं, उन का कोटा तो कम नहीं किया जायगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अब तक वहां व्यवस्था यह थी कि परमिट पर अलग-अलग किसी को एक मन किसी को चार मन कोयला देते थे। अब हमने यूनिट्स के आधार पर परमिट देने को कहा है कि एक कार्ड पर ऐवरेज तरीके पर एक मन कोयला दे दिया जाय।

श्री झारखंडेराय---माननीय मुख्य मंत्री जी से कानपुर और प्रदेश के दूसरे भागों में कोयले की कमी दूर करने के लिये केंद्रीय सरकार के मंत्रियों और उनके अधिकारियों से एक उच्च स्तरीय वार्ता हुई थी और उसमें कोयले की कमी को दूर करने के लिये कुछ उपाय सोचे गये थे, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनसे कौन-सी बातें हुई थीं और कौन उपाय सोचे गये और उनके परिणामस्वरूप कौन से फल हुए और किस हद तक कोयले की कमी दूर हुई है ?

श्री अध्यक्ष---इस प्रश्न के ऊपर इतना विस्तार पूर्वक उत्तर नहीं दे सकत।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कंट्रोल तोड़ क्यों नहीं देते, जिससे यह समस्या हल हो जाय ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कोयले और वैगन की कमी को देखते हुए सरकार ने कोई योजना गंगा नदी में पटना से इलाहाबाद तक स्टीमर यातायात की बनायी है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न पहले हो चुका है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो कहा गया है कि कानपुर में जो मिलें हैं उनको केंद्रीय सरकार सीधे कोयला देती है, लेकिन चूंकि यह मिलें हमारे प्रदेश में स्थित हैं और समस्या विकट हो जाती है, कभी-कभी कोयले के अभाव में उनको बन्द होना पड़ता है, इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने मंत्रियों और उनके अधिकारियों से जो वार्ता की थी, उस वार्ता का क्या नतीजा रहा और क्या वह कमी निकट भविष्य में पूरी होने की उम्मीद है ?

श्री अध्यक्ष---जवाब उन्होंने यह दिया है कि उनका डाइरेक्ट कंसर्न है, लेकिन अगर उनके यहां कोयला नहीं रहता तो हमारे डाइरेक्टर से बताते हैं और वह उसका प्रबन्ध करते हैं। इस पर पूछना हो तो पूछिये।

श्री चन्द्रजीत यादव---चूंकि मिलें हमारे प्रदेश में स्थित है और जब केंद्रीय सरकार से कोयला लेना होता है तो डाइरेक्टर से कंटेक्ट करते हैं कि मेरे पास कोयले की कमी होती जा रही है, तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रयास किया, उसका क्या परिणाम हुआ और कैसे कमी दूर की जा रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कोई कमी है ही नहीं, तो उसको कैसे माना जाय ।

साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब सूचना मंत्री इस सप्ताह का कार्यक्रम बतलायेंगे ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---श्रीमन्, आपकी इजाजत से मैं सदन के सामने इस सप्ताह का कार्यक्रम पेश कर रहा हूं---

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ पर विचार इस वक्त में जारी है ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार एवं उसका पारण ।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) ....

श्री अध्यक्ष---माननीय पांडेय जी, यह गलत तरीका है आपके जाने का । माननीय सूचना मंत्री जा बोल रहे हैं और आप इस तरह से जा रहे हैं ।

श्री बनारसीदास---उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६० में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर विचार एवं उनसे सहमति का प्रस्ताव ।

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण ।

प्रिजंस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण ।

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का (संशोधन) विधेयक, १९६२ (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण ।

हिन्दू मैरेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ ।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६२ ।

उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२ ।

श्री अध्यक्ष---यह आपने इस सप्ताह का बताया है या महीने भर का ?

श्री बनारसीदास---श्रीमन्, इस सप्ताह में आयेगा और उसके बाद भी चलेगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं इसमें एक संशोधन पेश करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक जो है उसे इसमें से निकाल दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---संशोधन का प्रश्न नहीं है । सूचना उन्होंने दी है ।

उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ के सम्बन्ध में सूचना की मांग

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं एक निश्चित प्रश्न करना चाहता हूं कि सरकार यह जोतकर विधेयक कब, किस समय इस सदन के सामने लाना चाहती है, क्योंकि पिछले सप्ताह के कार्यक्रम में है .....

श्री अध्यक्ष—देखिये, रामायणराय जी, यह गलत तरीका है। आपके सामने प्रोग्राम इस समय अर्बन एरियाज लैण्ड ऐण्ड बिल्डिंग टैक्स बिल है, उसके बाद से फिर सेल्स टैक्स है.....

श्री रामायणराय—मान्यवर, हम यह नहीं चाहते हैं कि यह विधेयक सरकार लाये अगर सरकार को यह सद्बुद्धि आ गई है कि उसको वह वापस लेना चाहती है ....

श्री अध्यक्ष—अच्छा आप बैठिये।

मुख्य मंत्री द्वारा कानपुर में दिये गये वक्तव्य के संबंध में आपत्ति—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—(श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे के खड़े होने पर) आप उसी विषय को उठाना चाहते हैं? तो इस संबंध में मैं यह निवेदन कर दूं कि पूर्व इसके कि आपके प्रश्न पर विचार हो सके, माननीय नरसिंहनारायण के प्रश्न पर विचार कर लिया जाय। अगर उससे हम सहमत होंगे तो आपका प्रश्न आ जायेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बहुत ही मौलिक प्रश्न आपके समक्ष पेश किया है।

श्री अध्यक्ष—जरा संक्षेप में कहिये गा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, बहुत संक्षेप में कहूंगा। वह मौलिक प्रश्न यह है कि माननीय मुख्य मंत्री ने एक बयान कानपुर में दिया है और उस बयान में उन्होंने अपने मंत्रि परिषद् के सदस्यों के ऊपर छींटाकशी की है और कहा है कि पहले जब "सम्पूर्णानन्द जी का मंत्रिमंडल था तो उन्होंने कुछ वादे किये और आज उस वादे से वे मुकर रहे हैं। संक्षेप में यह उनका कथन है। मान्यवर, वैसे तो तमाम हिन्दुस्तान के पत्रों में यह छपा है और नेशनल हैराल्ड में भी छपा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी अपने विचार उस पर स्पष्ट कर सकते हैं। मैं आपका ध्यान कांस्टीट्यूशन की धारा १६४(२) की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है—

"The Council of Ministers shall be collectively responsible to the Legislative Assembly of the State."

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जब यह कलेक्टिव रेसपांसिबिलिटी है मिनिस्टर्स की और मंत्रि परिषद् की इस विधान सभा के सामने है तो यह जो बयान दिया गया इस बयान से स्पष्टतया कुछ मिनिस्टरों पर आघात होता है और मान्यवर, सिक्रेसी भी इससे लीक आउट होती है। मैं आपका ध्यान १६४(३) की तरफ भी दिलाना चाहता हूं—

"(3) Before a Minister enters upon his office, the Governor shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule."

तीसरा शिड्यूल इस प्रकार से है:—

"I..... do swear in the name of God solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become knwon to me as a Minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister."

श्रीमन्, मेरा कथन यह है कि माननीय मुख्य मंत्री ने स्पष्टतया कैबिनेट के डिसीजन को, जो कैबिनेट का एक डिसीजन है, उसको पब्लिक में कह कर सिक्रेसी को लीक आउट किया है।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

इसके ऊपर मैं आपका ध्यान कमेंट्री आफ कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया बाई बसु की ओर दिलाना चाहता हूं और उसके दो रिलीवेंट पोर्शन्स को पढ़ देना चाहता हूं:—

"Collective responsibility of the Cabinet to Parliament is a rule of convention. It means that the Ministers are, as a body, responsible to Parliament for the policy of the administration. The principle cannot be better explained than in the words of Lord Morley.

As a general rule every important piece of departmental policy is taken to concern the entire Cabinet and its members stand or fall together. . . . .

The Cabinet is a unit a unit as regards the soveveign and a unit as regards the Legislature. Its views are laid before the Sovereign and before Parliament, as if they were the views of one man."

सरकार की कैबिनेट का जो व्यू होना चाहिये वह वन मैन का व्यू (एक व्यक्ति का विचार) होना चाहिये। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री ने अपनी कैबिनेट की बातों को अपनी बातों के जरिये से जनता में प्रकट कर दिया है। इन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इनकी कैबिनेट में एक व्यू (विचार) नहीं है। अगर एक व्यू नहीं है तो इस कैबिनेट को रिजाइन (इस्तीफा) करना चाहिये और गवर्नर को इस कैबिनेट से इस्तीफा मांगना चाहिये। जिस कैबिनेट की नीति स्पष्ट नहीं है, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है तो उस कैबिनेट के प्रति यह माननीय सदन किस तरह से जिम्मेदार हो सकता है और किस तरह से इनकी बातों पर, इनके सवालों के जवाब में यह सदन किस तरह से विश्वास कर सकता है। यह एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इसी किताब में आगे आप देखें। लार्ड सेलिस्बरी ने १८७८ में यह कहा है कि:—

"For all that passes in Cabinet every member who does not resign is absolutely and irretirivebaly responsible and has no right afterwards to say that he agreed in one case to a compromise, while in another he was persuaded by his colleagues. It is only on the principle that absolute responsibility is undertaken by every member of the Cabinet, who, after a decision is arrived at remains a member of it, that the joint responsibility of Ministers to Parliament can be upheld."

जब तक कि सारी कैबिनेट किसी मामले में एक राय न हो तब तक श्रीमन्, कोई भी बात इनके अगेंस्ट (विरुद्ध) कही जाती है तो इसके माने यह हैं कि कैबिनेट के डिसीजन को फ्लाउट (ठुकराया) किया जाता है। यह आदरणीय सदन, कैबिनेट के प्रति आज भी जिम्मेदार है तो कैबिनेट एक मत होकर कोई नीति इस आदरणीय सदन के सम्मुख पेश करती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस कैबिनेट के डिसीजन, कि जिस सरकार के मुख्य मंत्री, माननीय सी०बी० गुप्ता हैं और उसके लीडर हैं, हमारे इस सदन के ऊपर आरोपित न करें। इसलिये श्रीमन्, मैंने प्रश्नोत्तर के पहले भी शंका प्रकट कि थी कि आज कैसे यहां का कार्यवाही व्यवस्थित हो सकती है जब इस प्रकार की दशा है। इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है और इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(श्री चन्द्रभानु गुप्त के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—नेता विरोधी दल को आप सुन लेते तो अपनी बात कहते।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—मैं समझता हूं कि नेता विरोधी दल को बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि आज अखबारों में ऐसी बात निकाली जिसका न कुछ सिर है न पैर। मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कल सम्बोधित किया था। एक क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता थे, शायद हजार, डेढ़ हजार या दो हजार रहे हों, संख्या ठीक नहीं बता सकता। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और उन्होंने मुझे इसलिये आमंत्रित किया था कि आज के इस वक्त में उनका क्या उत्तरदायित्व है, उसके विषय में मैं उन्हें सम्बोधित करूं। इस सम्बोधन में खासतौर पर टैक्स के प्रति उनका क्या उत्तरदायित्व है इस विषय में भी मैंने उनसे चर्चा की और मैंने सारा इतिहास प्लान्स का १९३७ से लेकर १९६२ तक का और उसके प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण उनके समक्ष रखा था और उसे रखते हुये टैक्स का विषय भी मैंने लिया। आज सुबह अखबार में मुझे यह चीज पढ़ने को मिली। उसी वक्त मैंने पी० टी० आई० के रिप्रेजन्टेटिव से कहा कि यह बात कैसे छपी है और उसी वक्त मैंने अपना एक बयान दिया जो कि टेलीप्रिंटर पर साढ़े दस बजे या ११ बजे आ गया और जिसकी प्रतिलिपि डाइरेक्टर आफ इन्फार्मेशन से मिल गयी है। वह बयान स्वतः साबित कर देगा कि जो बात मुझ पर आरोपित की गयी है वह नितांत भ्रमात्मक है, गलत है और उसकी कोई बुनियाद नहीं है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि एक बयान मैंने दिया है और उस बयान को आप के सामने पढ़े देता हूं। वह प्रेस में आ जायगा और सायंकाल के जो अखबार हैं वह उसे छाप देंगे। वह बयान इस प्रकार है :—

"U. P. 's Chief Minister, Mr. C. B. Gupta, has today issued the following clarification on the press summary of his speech at a congress workers meeting in Kanpur last night :

'It has been wrongly reported in the press that I have charged some of my cabinet colleagues with volte face on their commitments under the third plan.

"During the course of my speech I did not mention at all any change of front on behalf of any of my colleagues. I merely traced the history of the preparation of the blue-print of the state's third plan and also of the two earlier plans. I said that it was originally targeted that the state's third plan should be of about Rs. 700 crores to wash off the backwardness of our state which had come to occupy the lowest position vis-a-vis other states. When the planning commission had asked of our state planners as to how the state itself would gather its own resources for the massive effort, our experts suggested procurement of about Rs. 100 crores from the rural sector and the rest from the urban sector. This figure was reduced to about Rs. 50 crores for each sector when the state plan was out to its present figure of Rs. 500 crores."

Mr. Gupta added : "I made it clear in my speech that the quantum of the incidence of taxation in any sector was a matter of detail which could be discussed and decided upon by frields, congress workers and others. There would be no inflexibility about the rate or limit of a tax. Mutual exchange of ideas would clear any ambiguities. But I emphasised that we were committed to a tax both the rural and urban sectors and this is where the bonafides of the congress workers came in. The manner and enthusiasm they showed in this national tax of reconstruction would decide the future of the state and of the organisation itself."

"I also pointed out that the planning commission was emphasising that we should exhibit the maximum effort to fulfil our promises under the plan. In fact, our promise to contribute Rs. 147 crores as the state's share was an integral part of U. P.'s third five year plan."

"It would thus be seen clear that I nowhere implicated my colleages or going back on plan commitments."

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

श्रीमन्, मैं अब उस का रूपान्तर हिन्दी में करता हूं। वह यह है कि मैं आज सुबह इस प्रकार बयान जो दिया है, और उस रिपोर्ट के विषय में जो मेरी स्पीच छपी है, अखबारों में और जिसे मैंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक में दिया था वह गलत तरीके से अखबारों में रिपोर्ट की गई है कि मैंने अपने मंत्रि-परिषद् के साथियों के ऊपर यह आरोप लगाया है कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में जो हमने वादे किए हैं, उनके विपरीत वे कार्य कर रहे हैं या उससे बदल गए हैं। जो कुछ मैंने अपनी स्पीच के दौरान में कहा उसका मेरे साथियों से बदलने से सम्बन्ध नहीं है। मैंने अपनी स्पीच में जो फाइनेन्स का इतिहास रहा है उसकी चर्चा की थी कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनायें कैसे बनीं? मैंने यह भी बताया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना करीब ७०० करोड़ रुपया की बनी। उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जो कि अन्य प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़ गया है, यह इतनी बड़ी योजना बनी। जब प्लानिंग कमीशन ने अपनी ७०० करोड़ की योजना प्रस्तुत की तब उन्होंने हम से पूछा था, हमारे प्लानर्स से पूछा था कि इस ७०० करोड़ की योजना को पूरा करने में यह स्टेट कितनी धनराशि उपलब्ध कर सकेगा। उसी समय हमने स्पष्ट कह दिया था कि हम १०० करोड़ रुपये देहात के क्षेत्र से इकट्ठा करेंगे और जो इस काम में ७०० करोड़ में केन्द्रीय सरकार को देना होगा और बाकी शहरों से इकट्ठा करना पड़ेगा। लेकिन बाद को प्लानिंग कमीशन ने हमारी तमाम योजनाओं के ऊपर विचार करके रूरल सेक्टर के ऊपर ५० करोड़ की रकम निर्धारित की और बाकी शहरों के ऊपर निर्धारित की। ५०० करोड़ की योजना के सिलसिले में श्री गुप्ता ने फिर कहा कि मेरी स्पीच में यह बिलकुल साफ कर दिया गया था कि जहां तक "इन्सीडेन्ट आफ टैक्सेशन" कि कितना किसके ऊपर लगना चाहिए या किसी सेक्टर में, वह तो एक ब्योरे की बात है जो कि आपस में डिसकस हो सकता है, विवाद हो सकता है और विचार-विनिमय हो सकता है। उस पर मिल-जुल कर निर्णय लिया जा सकता है। कोई ऐसी चीज उस विषय में नहीं है जिसमें हेरफेर न हो सके या जिसमें कि कोई परिवर्तन न हो सके। आपस में विचार-विनिमय करने से, बहुत-सी जो एम्बीग्यूटीज हैं, जो बहुत-सी भ्रांतियां हैं, वे दूर हो सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस बात के लिये हम कमिटेड हैं कि देहात से भी टैक्स इकट्ठा करेंगे और शहर से भी टैक्स इकट्ठा करेंगे। इसी के द्वारा कांग्रेस जब अपनी बोनाफाइडीज, अपनी ईमानदारी का परिचय देंगे। इस तरह से कांग्रेसजन इस काम में उमंग दिखायें और देश के निर्माण के कार्य में अपने को जुटायें। अपने प्रदेश के भविष्य को ऊंचा करें। आज उनकी एक विषय के ऊपर महान् उपेक्षा है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं। माननीय नरसिंह नारायण का जो सवाल है उसका जवाब न देकर माननीय मुख्य मंत्री जी कोई और दूसरा बयान दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप बैठिये। आपको समझने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैंने अपने बयान में यह भी कहा था कि प्लानिंग कमीशन हमसे यह चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेक्सिमम एफर्ट्स अपने वादे के पूरा करने के सिलसिले में करें। इसलिए बात तो यह है कि जो प्लान तीसरा उत्तर प्रदेश के लिये बना है उसमें १४७ करोड़ का जो वादा है वह उस प्लान का इंटीगरल हिस्सा है और ऐसा ही प्लानिंग कमीशन मानता है। इससे यह सिद्ध होगा कि जो बात मैंने अपनी स्पीच में कही उसमें न तो मैंने अपने मंत्रि परिषद् और साथियों के विषय में कोई चर्चा और न अपनी सरकार के विषय में कोई चर्चा की।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये काशीनाथ जी, यह मेरा काम है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं यह भी बतला दूं कि मेरा बयान जो अखबारों में आ जायगा, क्योंकि टेलीप्रिंटर्स पर आ गया है। तो जिस विषय को माननीय नेता विरोधी दल या उधर के साथी उठा रहे हैं उसकी कोई असलियत नहीं है। कोई आधार ही जब नहीं है और जब मैंने कोई ऐसी बात कही ही नहीं है तो यह प्रश्न पैदा नहीं होता। न मैं ऐसा व्यक्ति ही हो गया हूं कि मैंने अपने दिमाग का संतुलन खो दिया हो। मैं जानता हूं कि सदन की परम्पराएं क्या हैं और जब तक इस पद पर सदन ने मुझे बैठा रखा है तब तक जब तक मेरा संतुलन न बिगड़ जाय, कोई व्यक्ति मेरे बारे में ऐसी राय कायम नहीं कर सकता कि मैं कोई ऐसी बात करूंगा जो कि गणतंत्र की परम्पराओं के विरुद्ध होगी और कैबिनेट की जिम्मेदारियों के विरुद्ध होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीज अखबारों में छपी है उसके अनुसार जहां तक मंत्रियों का सम्बन्ध है जो हमारी सरकार से संबंधित हैं जिनको मेरे भाषण की उन बातों से जोड़ा गया है वह बिलकुल गलत है, बेबुनियाद है और उस की न तो मैंने डेढ़-दो हजार की भीड़ में चर्चा की और न ऐसा करने की धृष्टता कर सकता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—जिन दो अखबारों में छपा है, क्या उसके विरुद्ध माननीय मुख्य मंत्री कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिस अखबार में छपी यह बात उसमें अखबार का क्या दोष ? एजेंसी का दोष है, उससे पता चला कि जो व्यक्ति रोजमर्रा एजेंसी में यह खबरें भेजता है वह बीमार पड़ा हुआ है, किसी दूसरे व्यक्ति ने एजेंसी वाली खबर दी और उसने उस आधार पर छाप दिया।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता सदन, जहां तक रिपोर्ट हुई वह उस भाषण की हुई है जो इस सदन में नहीं हुआ है सदन के बाहर हुआ है। अतः कौन उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेगा, हमसे कोई मतलब नहीं है। इस समय तो प्रश्न यह था कि क्या आप ने अपने मन्त्रियों के सम्बन्ध में कुछ कहा, और वह बात स्पष्ट हो गयी और जो प्रश्न नरसिंहनारायण जी ने उठाया है वह नहीं उठता।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं मुख्य मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने प्रश्न को स्पष्ट किया और संतुलन न खोने की बात कही उसके लिये बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि मिल-जुल कर हम इस प्रश्न को हल करें ऐसा आप का कोई वाक्य था तो उसका क्या अर्थ है ? क्या उसके माने यह हैं कि अभी यह जो बिल आया था उसमें कोई मिल-जुल कर विचार नहीं हुआ था या इसके आने के बाद कुछ आपस में मत-भेद हो गया ? क्या यह मतभेद तीव्रतर हो रहा है जिसकी वजह से मुख्य मन्त्री निमंत्रित करते हैं मिलजुल कर बात करने के लिए ? उसका स्पष्टीकरण माननीय मुख्य मन्त्री जी करें।

श्री अध्यक्ष—मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा हूं माननीय नेता विरोधी दल। प्रश्न केवल यह था कि क्या अपने कोलीग्स के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने या मुख्य मन्त्री ने कुछ कहा या नहीं ? वह स्पष्ट हो गया। अब और इसके सम्बन्ध में बहस करना मैं उचित नहीं समझता। जो प्रश्न नरसिंहनारायण जी ने उठाया था वह समाप्त हो गया।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप के द्वारा....

श्री अध्यक्ष—रामायणराय जी, जब नेता विरोधी दल खड़े हुये हैं और बोलना चाहते हैं, तो आप कृपया बैठ जाइये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, जो बातें कही गयी हैं, मैं तो उन्हीं का स्पष्टीकरण चाहता था, कोई नयी बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, अब इस वक्त नहीं।

श्री रामाधारराय---श्रीमन्, १० तारीख को जिस दिन यहां प्रदर्शन हुआ था उस दिन एक प्रेस कान्फ्रेन्स हुई थी और कुछ समाचार मुख्य मन्त्री जी के बारे में छपा था, जिसमें हमने यह पढ़ा था कि जो मन्त्री सहमत नहीं हैं हमारी नीति से वे जा सकते हैं और एक वाक्य जिसे यदि मैं भूलता नहीं हूं तो यह भी था कि 'इट इज दि चाइल्ड आफ सम्पूर्णानन्द गवर्नमेंट' तो इस तरह के समाचार इसके पूर्व भी छप चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री उसके बारे में भी कोई स्टीकरण देने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री शारदेराय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे मालूम है, परम्परा यह है कि जहां कहीं माननीय मुख्य मन्त्री जी जाते हैं, वहां सूचना विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी जाते हैं और ऐसे लोग जाते हैं जो फोटो वगैरह भी लेते हैं। मेरी यह सूचना है कि इन्फार्मेशन विभाग के डाइरेक्टर या जो भी उस समय आन ड्यूटी थे उन्होंने पी० टी० आई० वगैरह को यह सूचना दी थी। तो क्या यह बात सही है ?

श्री अध्यक्ष---हमारे सदन की यह परम्परा रही है कि यदि एक सदस्य के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने एक बात कही और वह यह कहते हैं कि मैंने अमुक बात नहीं कही, तो हम उस बात को सत्य मानकर, इस सदन की मर्यादा का संरक्षण करते हैं। अब अगर माननीय मुख्य मन्त्री जी एक बात कहते हैं, तो अब शोभा नहीं देता कि हम उस पर किसी प्रकार का अन्वेषण करें या और कोई इस सम्बन्ध में चर्चा करें.....

श्री शारदेराय---जो उन्होंने कहा मैं उस को सही मानता हूं, लेकिन क्या ऐसी बात है, उसका वे पता लगायेंगे, क्योंकि अगर ऐसा है तो जिम्मेदारी अखबार वालों की नहीं है। (व्यवधान)

श्री ब्रह्मेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---माननीय मुख्य मन्त्री जी जब वक्तव्य दे रहे थे तो थर्ड परसन में दे रहे थे, कहते थे, गुप्त जी ने कहा, जैसा कि गुप्त जी कोई दूसरे हों (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---आप बैठिये, यह कोई बात नहीं है। (व्यवधान) दीपनारायण जी आप बैठिये, ब्रह्मेश्वरीप्रसाद जी, आप भी बैठिये।

अब नम्बर १० पर वक्तव्य होगा। (व्यवधान होने पर) अब जिस चीज पर मेरी व्यवस्था हो चुकी है, उस पर कोई आलोचना नहीं हो सकती। अब हम उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक पर विचार, जो जारी था, करेंगे।

मुख्य मन्त्री द्वारा कानपुर में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में 'नेशनल हेरल्ड' समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

*कुंवर श्री पालसिंह (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न की सूचना देता हूं। नेशनल हेरल्ड अखबार ने माननीय मुख्य मन्त्री श्री चन्द्रभानु गुप्त के बयान को गलत छाप कर उनकी इज्जत पर हमला किया है। इसलिये मैं उसकी नोटिस देता हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---१० तारीख को मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था, श्रीमन् उस पर व्यवस्था आप कब तक देंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—उसकी व्यवस्था मैं परसों दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, मिर्जापुर अन्तरिम जिला परिषद् की बैठक से श्री अजीज इमाम को पुलिस ने घसीट कर निकाल दिया। क्या अध्यक्ष को यह अधिकार था कि वह एक माननीय सदस्य को इस प्रकार से पुलिस के द्वारा घसिटवा कर निकलवाये।

श्री अध्यक्ष—मैं पूछ कर बतलाऊंगा।

†उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२

(क्रमागत)*

खंड २२

२२—कर-निर्धारण प्राधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी, जो उसके द्वारा तदर्थ नियुक्त किया जाय, इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसी भूमि या भवन के, जिसके सम्बन्ध में कर निर्धारित की जाने की सम्भावना हो, अध्यासी को समुचित नोटिस देने के पश्चात् उस भूमि या भवन में प्रवेश कर सकता है :

प्रवेश और निरीक्षण करने का अधिकार

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार प्रवेश निम्नलिखित दशाओं में न किया जायगा :—

(१) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय में;

(२) मानव निवास में, सिवाय उस दशा के जब अध्यासी की सहमति ले ली गई हो या उसे प्रस्तावित प्रवेश का कम से कम चार घंटे का पूर्व लिखित नोटिस दे दिया गया हो; और

(३) अध्यासी की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं पर—जिनके अन्तर्गत परदा करने के लिए आवश्यक पूर्वोपाय भी हैं—यथोचित ध्यान दिये बिना।

***श्री कमलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, क्रम संख्या ३०—च, छ और ज पर जो संशोधन हैं, उसको मैं पेश नहीं करता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३, २४ व २५

२३—इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही की पूर्ति उसके लिये व्यवस्थित समय के भीतर न करने का अथवा अधिनियम के अधीन तैयार की गयी किसी सूची में किसी ऐसी प्रविष्टि के रह जाने से ही जो महत्वपूर्ण न हो, यथास्थिति, कार्यवाही या सूची अवैध न हो जायगी।

अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां और सूची का कुछ अननुपालन या लोपों के कारण अवैध न होना

---

†२१ अगस्त, १९६२ को कार्यवाही में छपा है।

*१२ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

शपथ पर साक्ष्य लेने का अधिकार आदि

ऐक्ट संख्या ५, १९०८

२४---इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, कर निर्धारण प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी को वही अधिकार होंगे जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में किसी मुकदमें पर विचार करते समय कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ के अधीन किसी न्यायालय में निहित होते हैं, अर्थात्---

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए, बाध्य करना और शपथ अथवा प्रतिज्ञान पर उसका बयान लेना;

(ख) कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना;

(ग) किसी साक्षी का बयान लेने के लिए कमीशन जारी करना; और

ऐक्ट संख्या ४५, १९६०

(घ) ऐसी अन्तरिम आज्ञाएं देना जो न्याय की दृष्टि से आवश्यक हों; तथा इस अधिनियम के अधीन उक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही इंडियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थों में और उक्त कोड की धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये भी न्यायिक कार्यवाही समझी जायगी।

कर निर्धारण प्राधिकारी, अधिकारी और सेवक, लोक सेवक समझे जायेंगे

२५---प्रत्येक कर निर्धारण प्राधिकारी, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे प्राधिकारी की आज्ञा के अधीन काम करने वाला प्रत्येक अधिकारी, इंडियन पीनल कोड की धारा २१ के अर्थ में (Public Servant) लोक सेवक समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २३, २४ और २५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २६

दीवानी न्यायालयों में वादों पर रोक

२६---इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी कर-निर्धारण को रद्द करने के लिये कोई वाद किसी दीवानी न्यायालय में प्रस्तुत न किया जा सकेगा और इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के कारण किसी प्राधिकारी या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अभियोजन वाद या अन्य कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २६ की पंक्ति दो में से शब्द 'न' निकाल दिया जाय। खंड २६ में कहा गया है कि कर निर्धारण के विरुद्ध दीवानी अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकेगा। इसलिये मैंने उसमें इस 'न' शब्द को हटाये जाने का संशोधन प्रस्तुत किया। अगर यह नहीं रहेगा तो कर निर्धारण के विरुद्ध लोगों को न्याय पाने का अधिकार हो जायगा।

(इस समय १२ बज कर ५५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

श्री कमलासिंह यादव---माननीय रामसुन्दर जी पांडेय ने जो संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन् जहां तक इसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शब्दों का सम्बन्ध है अगर इसको शुरू से आखिर तक देखा जाय और खासतौर से जो धारा २३ अभी पास हुई है, उसमें यह बात दी हुई है कि--

"इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही की पूर्ति उसके लिये व्यवस्थित समय के भीतर न करने अथवा अधिनियम के अधीन तैयार की गयी किसी सूची में किसी ऐसी प्रविष्टि के रह जाने से ही जो महत्वपूर्ण न हो, यथास्थिति, कार्यवाही या सूची अवैध न हो जायगी ।" तो श्रीमन्, एक डेफिनिट धारा इस विधेयक के अन्दर इस तरीके से दी गयी है कि अगर किसी प्रकार की मेटिरिअल या इममैटिरियल इर्रेगुलरिटी रह जाय तो उसे किसी कोर्ट के अन्दर क्वेश्चन किया जा सकता है, लेकिन श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, जितने विधेयक अब तक बने हुए हैं नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया या नगरपालिकाओं या म्युनिसिपल बोर्ड्स के, उसके मुताल्लिक यह देखा गया है कि सर्टेन प्रोविजन आफ ला बने हुए हैं जिसके मुताबिक विधेयक का कार्य होता है और जितने ऐक्ट्स मैंने अभी बताये,उन ऐक्ट्स के बारे में नियम बने हुये हैं और उन्हीं के आधार पर टैक्स वगैरह लगाये जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--उस दिन तय हुआ था कि केवल मूवर को दो मिनट समय मिलेगा और आप उठ कर बोलने लगे । आप कृपा करके जल्दी समाप्त कीजिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--यह व्यवस्था तो केवल उसी दिन के लिये थी ।

श्री उपाध्यक्ष--कुछ अमेंडमेंट्स को छोड़ कर बाकी सब को ४ बजे तक हो जाना चाहिये था इसीलिये ज्यादा टाइम नहीं दिया गया और वह व्यवस्था रखी गयी है ।

श्री उग्रसेन--इस सदन ने इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया है ।

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया बैठें, माननीय कमलासिंह जी, जल्दी इसको समाप्त कीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव--जहां तक धारा २६ का सवाल है, अगर इस तरह की छूट अधिकारियों के लिये रख दी गयी, जिसमें प्राविधान है कि कोई भी अपील सिविल कोर्ट में नहीं जा सकती या इसको किसी दूसरी अदालत में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, तो यह एक बहुत ही अन्याय होगा लोगों के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत से असेसमेंट अधिकारी होंगे जो गलती कर सकते हैं और किसी अपीलेट अधिकारी के न होने से उनको किसी तरह की रोक न होगी । ऐसी सूरत में जहां तक न्याय का संबंध है, किसी किस्म की इर्रेगुलरटी चाहे मेटिरिअल या इममेटिरिअल होगी, तो यह गौरतलब चीज है और मैं समझता हूं कि दीवानी अदालत का 'न' निकाल दिया जाय । किसी कोर्ट में कोई गलत केस न आजाय उसके लिये बार है कि एक सर्टेन कोर्ट फीस ली जाय तब कोई केस अदालत में आवे । मैं समझता हूं कि अगर इसमें से 'न' निकाल दिया जाय तो लोग उचित कोर्ट फीस देकर यह क्वेश्चन कर सकेंगे कि हमारे साथ इर्रेगुलरिटी की गयी है और मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उचित होगा ।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--श्रीमन्, मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता हूं । बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज में अगर इस तरह के मामले सामने आ जायं तो इस तरह की धारा हमारे म्युनिसिपल कानून में है कि वहां के मामले सामने वहीं तय हो जाया करें । अब अगर हर मामले अदालत दीवानी में ले जाने लगें और वहां से रिलीफ मांगने लगें तब तो हमारा कोई काम ही नहीं हो सकेगा। इसकी जरूरत है इसलिये इस धारा को रखा गया है और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २६ की पंक्ति दो में से शब्द 'न' निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन्, मुझे पूरे खंड २६ का विरोध करना है ।

श्री उपाध्यक्ष---आप कोई अमेंडमेंट तो कर नहीं रहे हैं, जो राइट आपका सिप्लाई था वह पहले ही समाप्त हो गया है ।

श्री कृष्णदत्त सिंह (जिला रायबरेली)---श्रीमन्, खंड २३ पर आपने श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी के न रहने पर श्री हरिनाथ तिवारी को नहीं पुकारा । वे मौजूद थे ।

श्री उपाध्यक्ष---वे खड़े नहीं हुये ।

प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २७

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होना

२७---किसी भूमि या भवन का कोई स्वामी या अध्यासी को इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का हकदार हो या जिससे इस प्रकार उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी हो, या तो स्वयं या उपस्थित होने के लिये यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उग्रसेन---विभाजन कराया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---वह अब नहीं होगा ।

श्री उग्रसेन---मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आप किस नियम के अन्दर विभाजन नहीं करायेंगे ? क्या आप मांग करने पर भी विभाजन नहीं देंगे ? ऐसा कोई नियम नहीं है कि विभाजन की मांग होने पर विभाजन न दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---कोई संशोधन भी नहीं है और आप प्रस्ताव पास कर चुके हैं कि सारे संशोधन ४ बजे तक खत्म हो जायंगे . . . .

श्री उग्रसेन---४ तो वह उस दिन के बज चुके . . . .

श्री उपाध्यक्ष---अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

खंड २८

नियम बनाने का अधिकार

२८---(१) राज्य सरकार, गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्---

(१) कर निर्धारण प्राधिकारी की नियुक्ति, अधिकार और कर्तव्य ;

(२) प्रारम्भिक कर निर्धारण-सूची और अन्तिम कर-निर्धारण सूची तैयार ने और उन्हें प्रकाशित करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, और उनमें दिये जाने वाले ब्योरे;

(३) इस अधिनियम के अधीन नोटिसों के (जिनके अन्तर्गत मांग के नोटिस भी हैं) प्रपत्र तथा ब्योरे और उन्हें तामील करने की रीति;

(४) ऐसे भवन जिनका पूंजीगत मूल्य धारा ४ के खंड (२) के उप-खंड (क) के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाना हो;

(५) वस्तुएं जिन पर भूमि या भवन का किराया-मूल्य अवधारित करने में विचार करना हो;

(६) वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्तें जिनके अधीन कर-निर्धारण सूची में संशोधन किया जाये;

(७) इस अधिनियम के अधीन आपत्तियों का आकार;

(८) कर-निर्धारण सूची को प्रमाणीकृत करने की रीति;

(९) इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में जिनके अन्तर्गत कर-निर्धारण से छूट गये मामलों के संबंध में कार्यवाहियां भी हैं--अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(१०) इस अधिनियम के अधीन अपीलों के आकार और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उनकी सुनवाई करने तथा उन पर निर्णय देने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(११) स्थान जहां कर वसूल किया जा सकता है उसकी किस्तों की संख्या और दिनांक जब वे देय होंगी;

(१२) कर वसूल करने की रीति;

(१३) विषय जो इस अधिनियम के अधीन नियत करने हों या जो नियत किये जा सकें ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान-मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड २८ के उपखंड (२) की मद (६) के बाद निम्नलिखित मद बढ़ा दी जाय :---

"(६-क) कर-निर्धारण सूची के परिष्कार की सार्वजनिक सूचना की रीति,"

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)---स्वीकार है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २८ में उपखंड (३) के अंश (ग) के बाद निम्नलिखित मद जोड़ दी जाय :---

"(घ-क) कर-निर्धारण सूची के परिष्कार की सार्वजनिक सूचना की रीति,

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २८ इस विधेयक का अंग बनाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुसूची

[देखिये १ (३)]

नगर क्षेत्र

नगर

१---कानपुर (जिला कानपुर)
२---आगरा (जिला आगरा)
३---वाराणसी (जिला वाराणसी)
४---इलाहाबाद (जिला इलाहाबाद)
५---लखनऊ (जिला लखनऊ)

नगर पालिका

६---देहरादून (जिला देहरादून)
७---मसूरी (जिला देहरादून)
८---सहारनपुर (जिला सहारनपुर)
९---देवबन्द (जिला सहारनपुर)
१०---रुड़की (जिला सहारनपुर)
११---मंगलौर (जिला सहारनपुर)
१२---मुजफ्फरनगर (जिला मुजफ्फरनगर)
१३---शामली (जिला मुजफ्फरनगर)
१४---खतौली (जिला मुजफ्फरनगर)
१५---मेरठ (जिला मेरठ)
१६---बड़ौत (जिला मेरठ)
१७---गाजियाबाद (जिला मेरठ)
१८---धिलखुवा (जिला मेरठ)
१९---मवाना (जिला मेरठ)
२०---बुलन्दशहर (जिला बुलन्दशहर)
२१---दिबाई (जिला बुलन्दशहर)
२२---खुर्जा (जिला बुलन्दशहर)
२३---सिकन्दराबाद (जिला बुलन्दशहर)
२४---अनूपशहर (जिला बुलन्दशहर)
२५---अलीगढ़ (जिला अलीगढ़)
२६---मथुरा (जिला मथुरा)
२७---वृन्दावन (जिला मथुरा)
२८---छाता (जिला मथुरा)
२९---फिरोजाबाद (जिला आगरा)
३०---शिकोहाबाद (जिला मैनपुरी)
३१---मरेहरा (जिला एटा)
३२---आंवला (जिला बरेली)
३३---मुरादाबाद (जिला मुरादाबाद)
३४---अमरोहा (जिला मुरादाबाद)
३५---तिलहर (जिला शाहजहांपुर)
३६---बीसलपुर (जिला पीलीभीत)
३७---फर्रुखाबाद-कम-फतेहगढ़ । (जिला फर्रुखाबाद)
३८---औरइया (जिला इटावा)
३९---फतेहपुर (जिला फतेहपुर)
४०---बिन्दकी (जिला फतेहपुर)
४१---झांसी (जिला झांसी)
४२---मऊरानीपुर (जिला झांसी)
४३---ललितपुर (जिला झांसी)
४४---उरई (जिला जालौन)
४५---जालौन (जिला जालौन)
४६---कोंच (जिला जालौन)
४७---बांदा (जिला बांदा)
४८---जौनपुर (जिला जौनपुर)
४९---गाजीपुर (जिला गाजीपुर)
५०---पडरौना (जिला देवरिया)
५१---बस्ती (जिला बस्ती)
५२---अल्मोड़ा (जिला अल्मोड़ा)
५३---नैनीताल (जिला नैनीताल)
५४---काशीपुर (जिला नैनीताल)
५५---रामनगर (जिला नैनीताल)
५६---कोटद्वार (जिला गढ़वाल)
५७---पौड़ी (जिला गढ़वाल)
५८---गुमाथ (जिला गुमाथ)
५९---सीतापुर (जिला सीतापुर)

६०—नौमसार-मिस (जिला सीतापुर)
रिख
६१—बिसवां (जिला सीतापुर)
६२—लखीमपुर (जिला खेरी)
६३—मोहम्मदी (जिला खेरी)
६४—गोला गोकरन-नाथ। (जिला खेरी)
६५—गोंडा (जिला गोंडा)
६६—बहराइच (जिला बहराइच)
६७—सुल्तानपुर (जिला सुल्तानपुर)

नोटीफाइड एरिया

६८—सरधाना (जिला मेरठ)
६९—बागपत (जिला मेरठ)
७०—भवाली (जिला नैनीताल)
७१—बागेश्वर (जिला अल्मोड़ा)
७२—दुगड्डा (जिला गढ़वाल)
७३—टेहरी (जिला टेहरी-गढ़वाल)
७४—देवप्रयाग (जिला टेहरी-गढ़वाल')

टाउन एरिया

७५—केसरी (जिला रामपुर)
७६—पिथौरागढ़ (जिला पिथौरागढ़)
७७—गोपीगंज (जिला वाराणसी)
७८—गंगापुर (जिला वाराणसी)
७९—ज्ञानपुर (जिला वाराणसी)
८०—बरियाबाद (जिला बाराबंकी)
८१—फतेहपुर (जिला बाराबंकी)
८२—देवा (जिला बाराबंकी)
८३—रामनगर (जिला बाराबंकी)
८४—टिकैतनगर (जिला बाराबंकी)
८५—जैतपुर (जिला बाराबंकी

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "अनुसूची से मद '३९—फतेहपुर (जिला फतेहपुर)' तथा मद '४०—बिंदकी (जिला फतेहपुर)' निकाल दी जाय तथा उसके बाद की मदें तदनुसार पुनरांकित कर दी जायं।" श्रीमन्, इस संशोधन के रखने का कारण यह था कि यहां पर जो नागर क्षेत्र के स्थान दिये हुये हैं उनकी संख्या ८५ है। कौन सा क्राइटेरिया इसके लिये रखा गया यह ज्ञात नहीं हो सका। क्योंकि जब बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटीज तो छोड़ी हुई हैं तो कोई कारण नहीं है कि फतेहपुर और बिंदकी जिनकी आमदनी कम है और जहां १५ व १८ परसेंट टैक्स पहले से लगा हुआ है उनको सूची में रखा जाय। मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करे और जो गरीब नगरपालिकायें हैं उनको इस सूची से निकाल दें।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची से मद '३९—फतेहपुर (जिला फतेहपुर)' तथा मद ४०—बिंदकी (जिला फतेहपुर)' निकाल दी जायं तथा उसके बाद की मदें तदनुसार पुनरांकित कर दी जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

*श्री कमलासिंह यादव—मैं प्रस्ताव करता हूं कि "अनुसूची की मद '४९ गाजीपुर (जिला गाजीपुर)' निकाल दी जाय और अनुवर्ती मदों को तदनुसार पुनरांकित किया जाय।"

जहां तक अनुसूची का प्रश्न है इसमें बहुत पक्षपात किया गया है और इसको देखने से मालूम होता है कि सरकार का कोई उसूल नहीं है। जो ज्ञापन पत्र इस सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया है उससे साफ जाहिर है कि उन स्थानों को सरकार लेने जा रही है जहां पर कर ३ से १६ परसेंट तक लग गया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि गाजीपुर जिले में इस वक्त १९ परसेंट टैक्स लग गया है और अगर यह टैक्स लगा दिया जायगा तो ५ परसेंट लग जाने पर वह २४ परसेंट हो जायगा। बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटीज जिनकी आमदनी ज्यादा है उन पर कर लगाना तो ठीक है, लेकिन जहां की हालत खराब है वहां पर कर लगाना कहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

तक उचित है ? गाजीपुर जिले पर उत्तर प्रदेश सरकार का पहले ही ३ लाख रुपये कर्ज है और एक बार वह म्युनिसिपैलिटी सुपरसीड भी की गयी फिर भी रुपया अदा नहीं कर पाई और सूद तक देना मुश्किल हो गया है, १९४८ में बाढ़ आई तो बहुत से मकान ध्वस्त हो गये और खंडहर बन गये, वे बन नहीं पाये और वह म्युनिसिपल बोर्ड वीरान हो गया है । तीसरी चीज यह है कि वहां ड्रेनेज की बहुत कमी है । बरसात होने पर बहुत से मकान पानी से घिर जाते हैं और बहुतों के घरों के अन्दर भी पानी चला जाता है । हालांकि दो-दो तीन-तीन रेगुलेटर बनाये गये हैं, लेकिन पानी रुकता नहीं है, घरों में चला जाता है । इसके अलावा वहां पर लैटरिन वगैरह की भी बुरी हालत है । नगरपालिका के पास लैटरिन्स बनाने के लिये ताकत नहीं है । यूरिनल्स भी वहां नहीं हैं । बदबू की वजह से सड़कों पर बैठना मुश्किल हो जाता है । अगर सरकार वाकई टैक्स लगाना चाहती है तो उसे यह देखना होगा कि जिन पर वह टैक्स लगा रही है वह टैक्स अदा भी कर सकते हैं या नहीं । अगर हम म्युनिसिपैलिटीज के कास्ट पर सरकार को चलाना चाहते हैं तो वह उचित नहीं होगा । तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक भी ऐसी योजना नहीं है जिसमें गाजीपुर की म्युनिसिपैलिटी या नोटिफाइड एरिया के लिये एक पैसा भी खर्च किया जा रहा हो । अगर सब जगहों से पैसा एकट्ठा करके सिर्फ लखनऊ को ही बनाना है तब तो दूसरी बात है वरना तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई भी हिस्सा हम लोगों को नहीं मिला है । सरकार चारों तरफ से रुपया इकट्ठा करे और हम लोग कर्ज ले यह सरकार के लिये शोभनीय नहीं है । आज सरकार ने एक कानून बनाया है, जिसके अनुसार कम से कम आधा रुपया म्युनिसिपैलिटी को देना पड़ेगा, लेकिन जब १९ परसेंट हम आलरेडी टैक्स लगाये हुये हैं और ५ या १० परसेंट आप लगा रहे हैं तो फिर कौन सा दूसरा जरिया रह जायगा जिससे हम आधा रुपया दे सकेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---दो मिनट से ज्यादा टाइम आपका हो गया है ।

श्री कमला सिंह यादव---अब तो यही अंतिम है । अगर इस पर भी एतराज है तो मैं बैठ जाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष---नहीं, नहीं, लेकिन जल्दी कहिये ।

श्री कमलासिंह यादव---बहुत अच्छा । आज एक तरफ तो आप डिसेन्ट्रलाइजेशन की बात कहते हैं और दूसरी तरफ आप म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया पर डायरेक्ट टैक्सेशन करने जा रहे हैं । नतीजा यह होगा कि वह ५० परसेंट इकट्ठा कर नहीं पायेंगे और कोई कार्य विकास का नहीं हो पायेगा । सरकार ने तो यह सीखा है कि फारेन कंट्रीज से कर्ज ले और सूद पर दे । अगर हमारे पास कर्ज अदा करने की ताकत नहीं होगी तो हम कैसे अदा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---अब खत्म कीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव---अगर आप टोके न होते तो मैं अब तक खत्म भी कर चुका होता । हर म्युनिसिपैलिटी तीन प्रकार के टैक्स लगा सकती है । एक तो सरकमस्टांशल टैक्स, दूसरे वाटर टैक्स और तीसरे हाउस टैक्स । अगर इस पर एंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो श्रीमन्, क्या जरिया है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा---श्रीमन्, उस दिन यह तय किया था कि कोई माननीय सदस्य दो मिनट से अधिक नहीं बोलेगा ।

श्री उपाध्यक्ष---यही कर रहे हैं ।

श्री कमलासिंह यादव---ऐसी सूरत में मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि गाजीपुर जिले में खंडहर ही खंडहर हैं और जैसे बलिया तथा आजमगढ़ जिलों को निकाला गया है उसी तरह से इसको भी निकाला जाय क्योंकि यह भी बाढ़ एरिया का एक जिला है। अगर इसको भी निकाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा और मैं भी मन्त्री जी को हार्दिक धन्यवाद दूंगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, हमें मालूम नहीं है कि बलिया आजमगढ़ जिलों को निकाला है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुसूची की मद '४९ गाजीपुर (जिला गाजीपुर)' निकाल दी जायं और अनुवर्ती मदों को तद्नुसार पुनरांकित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

श्री बृजभूषणशरण---श्रीमन्, हम अनुसूची का विरोध करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, संशोधन ३२ यह है कि अनुसूची को निकाल दिया जाय।

श्री बृजभूषणशरण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, हमारा लीगल आब्जेक्शन यह है कि जब आपने इसे पास कर दिया फिर क्या बात है?

श्री उपाध्यक्ष---सवाल पुट किया जा रहा था, उसी समय उन्होंने यह बात कही।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---श्रीमन्, हां और ना के बाद यह चीज कैसे हो सकती है?

श्री उपाध्यक्ष---सवाल पुट किया था और घोषणा नहीं की थी कि यह खड़े हो गये।

श्री बृजभूषणशरण---मान्यवर, जैसे ही सवाल पुट किया गया मैंने एतराज कर दिया था।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---श्रीमन्, जब निर्णय हो गया है तो किस व्यवस्था के अनुसार आप निर्णय दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष---वह तो डिवीजन भी काल कर सकते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा---श्रीमन्, कार्यवाही देखकर निर्णय हो जाय?

श्री बृजभूषणशरण---जिस समय प्रश्न रखा जाने वाला था, उसी समय मैंने विरोध किया था।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---वैसे तो एक बार नहीं पचासों बार हुआ कि कहने के बाद उधर से क्वैश्चन किया गया कि नहीं हुआ, और फिर डिवीजन हुआ, लेकिन दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने कार्यवाही देख ली। घोषणा नहीं हुई थी, पुट किया था। जब तक घोषणा न हो तब तक हो सकता है। मुझे खुद याद था। देखिये एक प्वाइंट और है। इसमें यह आ भी नहीं सकता। यह सेक्शन एक के साथ में आयेगा इसलिये इसको छोड़ दीजिये।

खंड २—(क्रमागत)†

श्री उपाध्यक्ष—अब जो हम लोगों ने स्थगित कर दिया था वह संशोधन आ रहे हैं। माननीय जगदीशशरण अग्रवाल अपना संशोधन पेश कर चुके थे। उसपर विवाद होगा।

श्री कृष्णपालसिंह—मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। अब जो कैंटूनमेंट का विषय आ रहा है, उसमें उस दिन का प्रस्ताव नहीं लगेगा यह तय हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष—इसमें वह नहीं लगेगा।

इसमें एक पहला संशोधन है और एक संशोधन और वह दो मुख्य हैं। बाकी एक तरह से अंग हैं।

श्री सैयद अली जहीर—मैं एक संशोधन की तरफ आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। नम्बर ३५ है। इसके मुताल्लिक आपने क्या व्यवस्था की है? यह अभी लेंगे या आखिर में लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—यह बाद में लेंगे।

श्री बृजभूषण शरण—३२-ख भी है।

श्री उपाध्यक्ष—खंड १ और शीर्षक वगैरह के साथ लिया जायगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—स्पीकर महोदय, कैंटूनमेंट की बाबत मुझे यह कहना है कि कैंटूनमेंट का बाशिन्दा होने के नाते मैं यह समझता हूं कि कैंटूनमेंट के साथ बड़ा अन्याय होगा अगर यह परिभाषा उसमें जोड़ दी जाती है। मेरा कहना यह है कि बिल जैसा कि पेश हुआ था इस सदन में उसी रूप में स्वीकार या अस्वीकार किया जाय। यह सवाल कोर्ट्स के तय करने का होगा कि अरबन एरिया के अन्दर कैन्टूनमेंट आता है या नहीं। इसलिये मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि छावनी की डेफिनीशन लाना बिलकुल फिजूल है। यह ला का प्वाइंट है। हाई कोर्ट तय करेगा कि आया यह ऐक्ट कैंटूनमेंट पर भी लागू होता है या नहीं। अगर यह संशोधन इस वक्त पेश होता है तो यह मामला हाईकोर्ट तक जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये, इसपर रूलिंग हो चुकी है।

यह संशोधन इन आर्डर है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—मेरा विरोध करने का हक तो है ही कि छावनी पर यह ऐक्ट नहीं लगना चाहिये। छावनी के साथ यह बड़ा अन्याय होगा क्योंकि जब यह बिल शायद किया गया था उस वक्त छावनी का कहीं जिक्र नहीं था और सब लोगों को विश्वास था कि यह ऐक्ट छावनी पर नहीं लगाया जायगा। मेरा ही नहीं बल्कि माननीय मन्त्री महोदय का भी यह विश्वास था और उनका भी खयाल था कि छावनी पर यह लागू नहीं होता है और न लागू होना चाहिये। इसलिये यह छावनी के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा अगर बैक-डोर मेथड से छावनी इसके अन्दर लायी जायगी।

*श्री राधेश्याम शर्मा—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो संशोधन पेश हुआ है उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि माननीय मन्त्री जी ने सिर्फ भूल से यह संशोधन इस विधेयक में नहीं जोड़ा था। माननीय मुकन्दीलाल जी ने जो यह कहा कि यह बड़ा अन्याय होगा, मैं उनकी बात का उत्तर तो नहीं देना चाहता किन्तु यह अवश्य कहना चाहता हूं कि कांग्रेस

---

†१२ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार के लिये इस सदन में रोज न्याय और अन्याय की बात करना बेरी अपने में एक घिसी-पिटी बात समझनी चाहिये क्योंकि इस राज में न्याय और अन्याय की बात तो समझना ही नहीं चाहिये। जो कुछ यह सरकार कर रही है उसके लिये एक ही बहाना उसके पास है उस को उचित सिद्ध करने का कि वह योजना आयोग से बद्ध है इसलिये जहां कहीं से भी जिस किसी भी प्रकार रुपया मिल जाय वह उसे मिलना चाहिये। जहां तक कैंटोनमेंट का सवाल है जहां तक मैं जानता हूं वहां मध्यम वर्गीय जनता रहती है और एक समाजवादी पार्टी के सदस्य के नाते हम किसी भी ऐसे टैक्स को लगाने की बात कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन जब नगर पर लग गया, झोपड़ियों को बड़ी मुश्किल से हम निकलवा पाये तो फिर कैन्टोनमेंट बोर्ड ही क्यों बच जाय? उसपर भी अवश्य लगना चाहिये क्योंकि वहां पढ़ी-लिखी जनता रहती है और मध्यम वर्गीय से कुछ ऊंचे लोग ही उसमें रहते हैं और तृतीय आयोजना के लिये उससे कुछ रुपया भी सरकार को मिल जायगा। जहाँ तक न्याय अन्याय की बात है न्याय अन्याय की बात तो इस राज में सोचना ही नहीं चाहिये। तो फिर इसमें क्या बुराई है और दो लाख रुपया माननीय मन्त्री जी को और मिल जाता है? वह इसको भूल गये थे या किसी कानूनी आपत्ति के कारण पहले नहीं कर सके थे। वह कानूनी आपत्ति अब दूर हो गई है और उसके लिये एक संशोधन रख दिया। तो जब नगरों को रख दिया और अस्तबल तक नहीं बचे तो फिर कैन्टोनमेंट बोर्ड को ही क्यों छोड़ दिया जाय? कांग्रेस सरकार जो यह इनाम दे रही है वह सबके लिये मिलना चाहिये, एक ही जगह नहीं मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि कैन्टोनमेंट बोर्ड पर भी लगाया जाना चाहिये और इस कांग्रेस सरकार के प्रति जो जनता में एक बड़ा भारी क्षोभ पैदा होता चला जा रहा है वह नगरों से लेकर देहातों और देहातों से लेकर कैन्टोन्मेंट बोर्ड तक, पढ़े लिखे लोगों तक, मध्यम वर्गीय लोगों तक, सबमें फैल जाना चाहिये, जिससे फिर ऐसा फैसला यह सरकार न करे। इसलिये इस टैक्स के लिये मैं यह कहूंगा कि यह तो कैंटोनमेंट बोर्ड पर लग ही जाना चाहिये।

श्री कृष्णपाल सिंह—श्रीमन्, मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। जब माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी ने यह संशोधन रखा और इसपर विचार हो रहा था तो विरोधी पक्ष की ओर से यह कहा गया कि यह बिल की परिधि बढ़ायी जा रही है और उसके ऊपर रूलिंग श्रीमन्, ने अपनी रिपोर्ट रिजर्व रखी। उसके बाद राज्यपाल महोदय के पास भी लिखा गया और राज्यपाल महोदय ने यह आज्ञा दी कि कैन्टोनमेंट को भी इस बिल में लाया जा सकता है। तो आपत्ति यह है कि जब राज्यपाल जी ने आज्ञा दी उसके बाद इस बिल को वापस लिया जाना चाहिये और फिर से ड्राफ्ट करके आना चाहिये। यह आपत्ति नम्बर एक है।

दूसरी आपत्ति यह है कि माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल का जो संशोधन उपस्थित किया जा चुका है, जब उन्होंने उपस्थित किया था उस समय माननीय राज्यपाल जी ने कन्टोनमेंट को इस बिल की परिधि में लाने की आज्ञा उनको नहीं दी थी और अगर आज्ञा बाद को आयी तो वह आज्ञा विद रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट नहीं हो सकती है कि चार दिन पहले जो रखा गया उसको भी वह वलिडट कर सके। तो माननीय जगदीशशरण जी अगर उसको पुनः रखें तब तो उस पर सदन में विचार हो सकता है और राज्यपाल की आज्ञा आने के पहले जो उन्होंने रख दिया वह रखा हुआ माना नहीं जा सकता और न उस प्रस्ताव पर कोई बहस हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं एक बात अर्ज कर दूं। उसके बाद शायद जरूरत न रहे। माननीय राज्यपाल महोदय का जो पत्र है, उसमें यह है कि इस संशोधन को रखने के लिये उन्होंने इजाजत दी है। इससे और कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सब एतराज, जो आपने किये हैं, इस पत्र को पढ़ने के बाद खत्म हो जाते हैं।

श्री कृष्णपालसिंह---मेरा एतराज इसलिये रह जाता है कि राज्यपाल महोदय ने इस संशोधन को रखने की इजाजत दी है, लेकिन यह संशोधन उनकी आज्ञा आने से पूर्व ही सदन में रखा जा चुका था। अगर उन्होंने इसकी आज्ञा दी है तो माननीय जगदीशशरण अग्रवाल को आज फिर सदन में खड़े होकर इस संशोधन को दोबारा मूव करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने संशोधन पेश किया। उस पर एतराज हुआ। इस पर राज्यपाल महोदय ने यह आज्ञा दी कि वह संशोधन पेश किया जा सकता है। ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर अब बहस हो। इस पर अध्यक्ष महोदय की रूलिंग हो चुकी है। मैं उस रूलिंग को संशोधित नहीं कर सकता हूं। मैं यह समझता हूं कि वह रूलिंग बिलकुल ठीक थी और उस पर कोई विचार नहीं हो सकता। इस संशोधन पर आपत्ति की गई थी जो खत्म हो गई क्योंकि वह संशोधन पेश हो चुका था।

श्री कृष्णपालसिंह---मैं अध्यक्ष महोदय की रूलिंग को चेलेन्ज नहीं करता हूं। मेरा मतलब यह है कि राज्यपाल महोदय ने जिस दिन स्वीकृति प्रदान की, पेश करने की उस के बाद यह पेश होना चाहिये। यह उसके पहले पेश हो चुका है जो कि अवैध है।

श्री उपाध्यक्ष---अगर ऐसा भी था तो आपको उसी समय बतलाना चाहिये था। हमने जब इस प्रस्ताव को मूव हुआ मान लिया है। तो फिर इस समय कोई आपत्ति उस विषय में नहीं हो सकती। उन्होंने इजाजत दे दी कि यह संशोधन पेश किया जा सकता है।

श्री कृष्णपालसिंह---मैं मानता हूं कि यह संशोधन पेश किया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल महोदय ने यह इजाजत नहीं दी है कि जो संशोधन मूव किया जा चुका है उसको मान लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष---अगर यह बात आपको कहना था तो उस समय कहते जब इस पर डिस्कशन शुरू हुआ था। अब इतना डिस्कशन इस पर हो गया।

श्री कृष्णपालसिंह---किसी भी स्टेज पर प्वाइंट आफ आर्डर उठाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---अगर आप यह कहते कि इसको दोबारा प्रस्तुत किया जाय तो दोबारा प्रस्तुत किया जा सकता था। जब इस पर इतना डिस्कशन हो चुका है तो इस पर बहस अब नहीं हो सकती है।

श्री कमलासिंह यादव---मेरा भी एक प्वाइंट आफ आर्डर है। और वह यह है कि माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी ने इस संशोधन को पेश किया था। वह इस समय यहां पर मौजूद नहीं है। मेरा यह खयाल है कि शायद वह इसको पेश करना नहीं चाहते हैं तो सदन क्यों आग्रह करे कि इसको प्रस्तुत किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---कुछ और उनके साथ थे जो यहां पर हैं। यह जरूरी नहीं है कि वह उपस्थित रहें। उनके साथी मौजूद हैं। वह पहले उपस्थित किया जा चुका है अब उसके उपस्थित करने की जरूरत नहीं है।

श्री कृष्णपालसिंह---मेरी आपत्ति केवल इतनी है कि जब राज्यपाल महोदय ने इसके लिये आज्ञा दी है, तब उसके बाद ही यह प्रस्तुत होना चाहिये। वह आज्ञा आने के पहले प्रस्तुत हो चुका था।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने इसको रूल आउट कर दिया है।

श्री कमलासिंह यादव---इसमें केवल माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी का नाम है।

श्री उपाध्यक्ष---पहले जितने मूवर थे उन सब का नाम उसमें था। जब वह इसको पेश कर चुके हैं तो फिर उनके रहने की जरूरत नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---जिन्होंने इसको पेश किया था, उनको उपस्थित रहना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष---उनकी उपस्थिति यहां पर जरूरी नहीं है।

***श्री सैयद अली जहीर**---मुझे बहुत ज्यादा कहना नहीं है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि कैन्टोनमेंट एरिया इसमें पहले शामिल नहीं था। अब हम उसको तफसील के लिये एक डेफिनिशन ला रहे हैं। उसके जरिये से जरूरी है कि उस ऐक्ट का एप्लीकेशन उसके ऊपर होगा। हमारे जो सोशलिस्ट भाई हैं उन्होंने ने भी बड़े जोर के साथ इसकी ताईद की है कि कोई वजह नहीं है कि कैन्टोनमेंट एरिया क्यों इससे मुस्तस्ना किये जायं। जब हम टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि उनको छोड़ा जाय। मुझे कोई ज्यादा कहना नहीं है। इसको मन्जूर होना चाहिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---आज इस समय श्रीमन्, कुछ बहस हो गयी और आपने उस पर एक रूलिंग दी कि चूंकि यह शुरू किया जा चुका है और पहले आपत्ति नहीं उठायी गयी, इसलिये इसको चलने दिया जाय। मैं, श्रीमन्, एक मिनट में यह कहना चाहता हूं कि अगर हमने यहां कोई ऐसी कार्यवाही कर दी है कि जो अवैधानिक थी तो वह अवैधानिक रहेगी और उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आप बैठिये। वह कोई कार्यवाही अवैधानिक नहीं थी।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---इसी सदन के अन्दर आपने मेरे संशोधन को मेरी अनुपस्थिति में, एक मिनट लेट आने पर खारिज कर दिया था और उसे फिर रखने नहीं दिया। तो यह संशोधन उधर से आया है उस पर यह व्यवस्था क्यों लागू नहीं होती। आज क्या आप दो तरह की व्यवस्था देंगे?

श्री उपाध्यक्ष---आप समझे नहीं हैं। आप विराजिये।

श्री दीपनारायणसिंह---मेरे न आने पर मेरा संशोधन आपने नामन्जूर किया है।

श्री उपाध्यक्ष---आप नहीं थे, इसलिये मैंने उनको मूव करने के लिये एलाऊ नहीं किया।

श्री दीपनारायणसिंह---एक विषय पर आपकी दो तरह की व्यवस्था कैसे हो सकती है?

श्री उपाध्यक्ष---दो तरह की व्यवस्थायें नहीं हैं। आप गलत समझते हैं। आप की समझ का इलाज मेरे पास नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह---क्या यह नहीं हुआ? आपने मुझे तो बोलने भी नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिये जायं---

"(२---क) "छावनी" का तात्पर्य कैन्टोनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ की धारा ३ के अधीन कैन्टोनमेंट के रूप में घोषित किसी स्थान से है,

(२---ख) "छावनी बोर्ड" का तात्पर्य कैन्टोनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ की धारा १३ के अधीन संघटित कैन्टोनमेंट बोर्ड से है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री यादवेन्द्रदत्त---उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इस समय कन्टोनमेन्ट का जो मामला लिया जा रहा है मुझे ऐसा खयाल है कि उस दिन मेरी माननीय बनारसीदास जी से जो बात हुई है, उसमें आपके सामने, उसे अलग-अलग करके रखने का विचार प्रकट किया गया था। अभी माननीय उपनेता जनसंघ ने आपके सामने प्रश्न उठाया था, उस पर क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष---उस पर रूलिंग हो गई है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मैं यह कह रहा हूं कि जो उसके ऊपर वाद-विवाद बढ़ गया है तो.....

श्री उपाध्यक्ष---एक खण्ड उपस्थित किया गया और उस पर चैलेंज किया गया डिवीजन के लिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या यह डिवीजन उपस्थित करने के लिये हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष---जी हां। श्री जगदीशशरण अग्रवाल जी का जो संशोधन था, उसके लिये डिवीजन होने जा रहा है और उसी के लिये घंटी बजाई जा रही है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---उस पर क्या डिसकशन हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष---जी हां, उस पर डिसकशन हो गया है। उस विषय पर श्री राधेश्याम शर्मा जी बोले और भी माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त---यदि और लोग भी बोलना चाहते हों तो क्या आप आज्ञा देंगे ? इस पर जो डिबेट हो गया तो क्या वह केवल घंटे और आधे ही घंटे का था ?

श्री उपाध्यक्ष---देखिये, जब कोई नहीं खड़ा होता है, तो क्या मैं जबर्दस्ती किसी सदस्य को खड़ा कर दूं। (व्यवधान) माननीय दीपनारायण जी रूलिंग के बारे में कुछ कह रहे थे....

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कह रहा था.....

श्री बनारसीदास---उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर पेश करना चाहता हूं। जिस वक्त कोई प्रश्न उपस्थित हो जाता है, तब उस पर कोई बहस नहीं हो सकती है।

श्री रामेश्वरीप्रसाद---उपाध्यक्ष महोदय, आपको चिल्लाकर संबोधन करना यह पार्लियामेन्टरी नहीं है। अभी माननीय बनारसीदास जी ने आपको चिल्लाकर संबोधन किया था।

श्री उपाध्यक्ष---अब मैं किस-किस को कहूं, कभी आप लोग चिल्लाते हैं और कभी ये लोग।

श्री दीपनारायणसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका नियमावली के नियमों की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप विराजिये, इससे रूलिंग की अवहेलना होती है।

श्री दीपनारायणसिंह---पहले आप स्वयं कानून की अवहेलना कर रहे हैं। यह जो संशोधन माननीय जगदीशशरण अग्रवाल का है, इसमें कानून के खिलाफ कोई भी व्यवस्था

नहीं मानी जा सकती है। अगर मानी जाती है तो कानून की किताबें बेकार हैं। क्या आप संविधान की नियमावली के विरुद्ध भी कोई निर्णय दे सकते हैं?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--माननीय दीपनारायण जी आप बैठिये या बाहर चले जाइये।

श्री दीपनारायणसिंह--मैं व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहा हूं और आप पूछने नहीं दे रहे हैं। क्या आप नहीं पूछने देंगे? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप संविधान का भी पालन नहीं कर रहे हैं। यह संविधान की अवहेलना है। यह उचित नहीं है। मैं तो माननीय श्री जगदीशशरण अग्रवाल के संशोधन पर नियम १४० व संविधान के अनुच्छेद २०७ व ३०४ के अन्तर्गत आपत्ति उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--डिवीजन होने जा रहा है। यदि आप नहीं मानते हैं तो मैं आपको इंगित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह--मैं सदन छोड कर जा रहा हूं।

(श्री दीपनारायणसिंह ने सदन का त्याग किया।)

(व्यवधान)

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--९१,

विपक्ष में--५४।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी आपने व्यवस्था दी है कि डिवीजन में प्वाइन्ट आफ आर्डर कोई रेज नहीं हो सकता है। मैं एक किताब की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह मेरे पास इस समय नहीं है, आप देख लीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष--आप नाम बता दीजिये, मैं पढ़ लूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--एस० एन० मुखर्जी की लिखी हुई है। उसमें १०१ पेज पर है कि "ऐट दि टाइम आफ डिवीजन भी एक सदस्य, अगर सब्जेक्ट के कांट्रेरी है तो उस समय प्रश्न उठा सकता है और उस पर व्यवस्था दी गयी है और आपने कह दिया कि प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज नहीं किया जा सकता।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--श्रीमन्, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता माननीय गेंदासिंह सो रहे हैं, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--विराजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा--यह उन्होंने नेता सदन से सीखा है।

श्री टम्नेश्वरीप्रसाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कि आपने तो माननीय दीपनारायणसिंह से कह दिया कि बाहर जाओ और फाटक आपकी आज्ञा से बन्द है तो वह बाहर कैसे जायंगे?

श्री उपाध्यक्ष--मुसीबत यह है कि यह बात सुनना ही नहीं चाहते थे।

श्री टन्डेश्वरीप्रसाद--आपने एक सदस्य से कहा कि "निकल जा बाहर", वह जा नहीं सकता क्योंकि डिवीजन का टाइम है, फाटक बन्द है। फिर आप इंगित करते हैं। वह बेचारा तो महीने भर के लिये निकाल दिया जायगा। मैं पूछता हूं कि वह कहां जाय ? मैं समझता हूं ऐसी सेंसलेस आज्ञा आप थोड़े ही देंगे।

श्री उपाध्यक्ष--यह उनसे ही पूछिये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं कि "खंड २ के उपखंड (९) में मद (घ) के बाद निम्नलिखित मद बढ़ा दी जाय--

"(ङ) किसी छावनी की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में, उस छावनी के छावनी बोर्ड से है,"

मान्यवर, मैं समझता हूं कि मुझे इस विषय में सदन का ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सदन ने जो अभी इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम अमेंडमेंट, कैंट तक इस बिल की परिधि बढ़ाने का स्वीकार किया है, यह उसका ही कान्सीक्वेन्शियल अमेंडमेंट है और मैं समझता हूं कि सदन को कोई एतराज इसे स्वीकार करने में नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

*श्री हरीशकुमार गंगवार--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने को इसी संशोधन तक सीमित न रख कर, पहले वाले संशोधन पर भी अपने विचार व्यक्त करूंगा क्योंकि उस संशोधन पर बोलने का मुझे समय नहीं दिया गया और ऐसा करके मैं अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करूंगा। मुझे यह बात देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे संशोधन प्रस्तुत कर्ता महोदय ने पहले जब नगर में टैक्सों के सम्बन्ध में बात चीत चल रही थी तो उस समय विवाद में भाग लेते समय कई बार यह आपत्ति की थी कि नगरों पर टैक्स नहीं लगना चाहिये और यह बड़ा कुठाराघात होगा नगरों के रहने वालों पर। लेकिन आज उन्होंने ही इस विधेयक में एक संशोधन पेश किया जिससे उनका मन्तव्य स्पष्ट हो गया कि वास्तव में उनको नगर क्षेत्र से कोई हमदर्दी नहीं थी। अगर होती तो वे इस बिल की परिधि बढ़ाने की बात न करते और अपने नाम से उसके लिये संशोधन न रखते।

श्रीमन्, पहले से ही नगर क्षेत्रों में अत्याधिक टैक्स लगे हुए हैं। इसलिये यह जो और टैक्स लगाये जा रहे हैं मैं उसका प्रबल विरोध करता हूं। अगर बिल में छावनी क्षेत्र छूट गया था तो सरकार को इस गलती के प्रायश्चित स्वरूप इसको यों ही छूटे रहने देना चाहिये था ताकि जनता में उस क्षेत्र की जनता के लिये ही एक खुशी की लहर रहती। किन्तु अब सरकार ने उस क्षेत्र को भी शामिल कर लिया। वहां के रहने वालों की आमदनी के साधन बहुत ही सीमित हैं। सरकार को उस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिये था। इसलिये इस संशोधन पर मैं अपनी असहमति प्रकट करते हुए यह मांग करता हूं कि इसको ऐसे ही रहने दिया जाय और उस क्षेत्र को शामिल न किया जाय क्योंकि उस समय उसको बहुत सोच-समझ कर छोड़ा गया था। अतः इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री लखीसिंह---उपाध्यक्ष महोदय जी, इस संशोधन पर पहले मन्त्री जी कह रहे थे कि एक सोशलिस्ट ने ताईद की है। कोई सोशलिस्ट कर गया होगा, उसके विचार होंगे। लेकिन मैं तो न इसकी ताईद करूंगा और न विरोध। क्यों नहीं करता, इसका कारण है मुझे डेढ़ लाख जनता ने चुनकर यहां भेजा है और मैं उसका सही इस्तेमाल करूंगा। जनता में क्षमता या ताकत नहीं है नये टैक्सों को बर्दाश्त करने की। ज्यों-ज्यों यह सरकार गरीब और भूखी जनता पर टैक्स लादेगी यह ज्यादा दिन जिन्दा नहीं रह सकती। टैक्सों के बोझ से जनता पहले ही कराह रही है। हम देख रहे हैं कि जब से यह स्वराज्यवादी या रामराज्यवादी सरकार बनी है तब से टैक्स मच्छर की तरह से बढ़ रहे हैं जैसे चौमासे में मच्छर बढ़ते हैं। विकास के बहाने, उद्योग धंधे के बहाने, कहीं भी चलो, चाहे नगर में चलो या देहात में चलो, टाउन एरिया में जाओ या नगरपालिका में जाओ, हर जगह टैक्स। और जब हम सवाल करते हैं सुबह को कि फलां विकास खंड में गबन हुआ, तो अव्वल तो नम्बर ही सवाल का नहीं आता है और अगर कहीं किसी खुशकिस्मत का २, ४ या १०, १२ में नम्बर आ भी गया तो मन्त्री जी कह देते हैं कि सूचना की आवश्यकता है। हम पूछते हैं कि फलां विकास खंड में १५ साल में क्या विकास हुआ है तो नहीं बताया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में पंजाब के बराबर भी विकास होता तो भी हम मानते। मगर यहां तो सरकार जनता की हड्डी से पैसा निकालना चाहती है।

श्री बसन्तलाल शर्मा---मैं आपका ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियमावली के नियम २९१ की ओर आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय लखीसिंह जी बराबर उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे हैं जो यहां कही जा चुकी हैं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय लखीसिंह जी, आप विषय पर ही रहें।

श्री कृष्णपालसिंह---उनके दल ने छावनी पर टैक्स लगाना स्वीकार कर ही लिया है और आपने उन्हें बोलने की इजाजत दी है, तो वह बोलेंगे क्या? उसके अलावा ही तो बोलेंगे।

श्री लखीसिंह---मसला चल रहा है छावनी पर टैक्स का। मेरी राय है कि टैक्स कहीं भी न लगाया जाय। अगर सरकार जबरिया टैक्स लादेगी तो हम पग-पग पर विरोध करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि इसे परमात्मा सद्बुद्धि दे। माननीय मन्त्री जी अपने ठंडे दिल से सोचें कि जनता कराह रही है। इन टैक्सों को वापस लें।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्तुत संशोधन के विरोध में अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

जैसे अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, इस संशोधन के द्वारा इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा इस विधेयक के नाम से प्रकट है, केवल नगर के क्षेत्रों पर ही यह कर लगाया जाने वाला है। परन्तु कैन्टूनमेंट बोर्ड के अर्थ से जाहिर है कि अब यह टैक्स नगर के मकानों पर तो लगेगा ही मगर उन मकानों पर भी जो देहात में हैं, लेकिन कैन्टूनमेन्ट बोर्ड के अन्दर हैं उन पर भी यह टैक्स लगने जा रहा है। बहुत-सी जगह कैन्टूनमेन्ट एरिया में देहात के घर भी हैं। कैन्टूनमेन्ट बोर्ड के एरिया, इलाके, में बहुत से गांव सम्मिलित हैं। इस प्रकार इस विधेयक का अर्थ ही भिन्न हो जायगा। इस प्रकार से संशोधन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दयाराम शाक्य]

लाना बिलकुल अनुचित है। संशोधनों को देखकर कि सरकार जो संशोधन ला रही है उनसे शायद जनता का कुछ हित हो जायगा, एक शेर याद आ जाता है कि—

मुन्तजिर थे किरन फूटे शहर जागे मगर,
यह रात तो और काली होती जाती है।

हम सोचते थे कि जनता को कुछ राहत मिलेगी परन्तु आज जो संशोधन पेश हो रहा है उससे इस टैक्स की परिधि से जो बाहर थे उन्हें और जो अन्दर थे उन्हें एक साथ रखा गया है। इस विधेयक के सिलसिले में केवल इस प्रकार का संशोधन लाया जाना चाहिये था कि यह टैक्स नगर की जनता तक ही सीमित रहेगा परन्तु यह टैक्स नगर की जनता के अतिरिक्त देहात की जनता पर भी पड़ रहा है जिन पर और टैक्सों का बोझ भी पड़ रहा है। एक तो उनके ऊपर जोत कर लगेगा दूसरे शहरों पर लगने वाला यह टैक्स भी लग जावेगा। इस प्रकार देहाती इलाके पर दोहरा तिहरा टैक्स लग जावेगा। इस बात को देखते हुए इस संशोधन के रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। इन शब्दों के साथ संशोधनकर्ता से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को वापस लेकर बुद्धिमत्ता का परिचय दें ताकि गांव वालों पर दुहरा टैक्स न लगे और सदन भी इसके विरोध में मत देकर इसको अस्वीकार करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री रघुनाथसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन.....

श्री सैयद अली जहीर—उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह देखना है कि इस समय किस संशोधन पर बहस चल रही है। ३-क संशोधन के जरिये से सदन ने यह तय कर दिया कि छावनी एरिया पर भी टैक्स लगाया जाय। अब आगे जिस संशोधन पर बहस हो रही है वह तो एक कांसीक्वेंशियल अमेंडमेंट है। अगर इसके बारे में कहा जाय तो मुझे कोई एतराज न होगा, लेकिन उस संशोधन के बारे में जो कि पास हो चुका है और उन्हीं बातों को कहना जो कही जा चुकी हैं, मुनासिब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि अब रघुनाथसिंह जी को मैंने पुकार लिया है, उनको बोल लेने दें।

श्री रघुनाथसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी के एतराज के बाद अब मैं और सजग होकर अपनी बात करूंगा जिससे वे यह न कह सकें कि मैं वही बातें कह रहा हूं जो कही जा चुकी हैं। मैं अपने सुझाव भाषण के रूप में न कह कर स्पष्टीकरण के रूप में रख रहा हूं। हमारी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने इस संशोधन के पक्ष में बात कही। इससे कुछ लोगों को गलतफहमी हो सकती है। जब यह संशोधन जगदीशशरण जी द्वारा लाया गया था तो उसके समर्थन में उन्होंने यह बात कही थी कि यदि छावनी पर भी यह टैक्स लगा दिया जाय तो ३०-४० लाख रुपये की आमदनी और हो जायगी। जिससे नगर की गरीब जनता पर कर-भार हलका होगा। हमारे माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने इस संशोधन पर अपनी सहमति प्रकट की थी और प्रसन्नता भी प्रकट की थी, यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं। तो केवल मूल प्रस्ताव विधेयक के लाने में उनकी सहमति थी या उन्होंने जो इस विधेयक के लाने के उद्देश्य के सम्बन्ध में दिया है कि इससे ३०-४० लाख रुपये की और प्राप्ति से गरीबों पर कर-भार हलका होगा उसमें भी सहमति है?

श्री उपाध्यक्ष—आप तो डाक्टर हैं, सब समझते ही हैं।

श्री रघुनाथसिंह—अकेले मेरे समझने से क्या होता है, यह तो मतदान के लिये सब के समझने की बात है।

श्री कृष्णपालसिंह—मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है कि माननीय सदस्य जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं वे किस नियम के अन्दर दे रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—उस पर बोलते हुए कुछ बातें वे स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री रघुनाथसिंह—यहां अगर एक-एक बात में नियम कानून चलने लगे तो कोई कैसे बोल सकता है? हम तो यह जानना चाहते हैं कि माननीय मन्त्री महोदय इस बात का भी स्पष्टीकरण करें कि माननीय अग्रवाल जी के संकेत के आधार पर यह ३०-४० लाख रुपया जो छावनी से प्राप्त होगा वह उसी २ करोड़ के अन्तर्गत रहेगा और इस प्रकार नगरों की गरीब जनता पर कर-भार हल्का किया जायगा या यह ३०-४० लाख रुपया इस दो करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर के रूप में प्राप्त होगा? इसी पृष्ठभूमि में माननीय राधेश्याम जी ने जिस ढंग से इसका समर्थन किया वह मुझे कोई बुरा भी न लगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—श्रीमन्, माननीय लखीसिंह जी के भाषण को तो मैं समझ ही नहीं सका, इसलिये उसके बारे में मैं क्या निवेदन करूं। माननीय उपनेता जनसंघ की बात सुनने के बाद मैं समझता था कि कम से कम जनसंघ के सदस्य उन धाराओं में नहीं बहेंगे जो उधर से प्रवाहित हुई है। मैं बधाई देता हूं माननीय हरीशकुमार जी को कि उन्होंने स्पष्ट बात कही कि यद्यपि इस संशोधन की परिधि के बाहर की बात है फिर भी उन्हें कुछ कहना है और उन्होंने मेरे ऊपर आरोप किया—उन्हें मुझसे आशा नहीं थी खास कर जब मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में, फर्स्ट रीडिंग के समय ही उसके विरोध में बहुत कुछ कह दिया था तो उन्हें ऐसी आशा नहीं थी कि मैं स्वयं इस संशोधन की परिधि को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। यदि वे मुझसे स्पष्टीकरण मांगते हैं तो मैं अभी इसको स्पष्ट कर दूं कि मैंने कैन्टूनमेंट की मुख्य धारा को प्रस्तुत करते समय यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मेरा मुख्य लक्ष्य ज्यादा टैक्स को बढ़ाना नहीं है बल्कि टैक्स घटाने के साधनों को उपलब्ध करना है। सोशलिस्ट पार्टी ने भी मेरे लक्ष्य को और मेरे मन्तव्य को ठीक समझा और इसलिये उसका समर्थन किया। कुछ सदस्यों में शंका पैदा हुई है और कुछ ने एपोलोजिटिक रूप से उसके बारे में कहा है। मैं समझता हूं कि इस के लिये किसी तरह का पश्चाताप करना उनकी गलती है। अब माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री के आश्वासन देने या स्पष्टीकरण का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि दफा ६ में कर लगाने के सम्बन्ध में कुछ एक्जेम्प्शन देने का अधिकार दिया गया है। उसका विस्तार न करके मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ कर के साधन उपलब्ध करना ही इस संशोधन का उद्देश्य है। इससे जो धनराशि इकट्ठी हो जायगी उससे सरकार के लिये आसानी हो जायगी। यदि नीचे वाली लिमिट ज्यादा से ज्यादा ऊंची कर दी जाय और उस रेट को भी कम कर दिया जाय तो अच्छा ही होगा। टैक्स की दर कम करने की घोषणा तो माननीय मन्त्री जी कर चुके इसी दौरान में।

अब दूसरी बात रह गयी कि न्यूनतम सीमा कितनी हो? मैं तो बहुत मजबूती के साथ यह समझता हूं कि वह न्यूनतम सीमा बहुत ज्यादा होनी चाहिये और कम से कम १५ रुपये माहवार के मकान जरूर एक्जेम्ट होने चाहिये। डेमोक्रेटिक सेट अप में सरकार हर एक की बात सुनती है। चाहे इस पक्ष से बात कही जाय, चाहे उस पक्ष से कही जाय। अगर हम यह साधन प्रस्तुत कर देंगे और सरकार के सामने विस्तार बढ़ा कर इस पर अपने विचार व्यक्त कर देंगे तो मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी और सरकार अवश्य इसमें प्रसन्नता अनुभव करेगी और वह गरीब जनता जिसके ऊपर कर का बोझ पिच कर रहा है, कर के बोझ को हल्का कर सकेगी। यही बात मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कही थी और मैं माननीय हरीशकुमार गंगवार जी से नम्र निवेदन करूंगा कि मेरे उस भाषण में और इस संशोधन में तनिक भी विरोधाभास नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि यह कर कैन्टूनमेंट क्षेत्र पर भी लगना चाहिये क्योंकि वहां के लोगों की क्षमता किसी प्रकार भी टाउन एरिया के लोगों की क्षमता से कम नहीं है। अब जहां तक इस संशोधन का प्रश्न है यह तो केवल कांसीक्वेंशियल चीज है जब छावनी का समावेश इस में हो गया है तो यह अपने आप आ जाता है। जब सदन उस को स्वीकार कर चुका तो यह तो अपने आप आ जाता है और इस को तो बिना विवाद के स्वीकार करना चाहिये था। मैं भी क्षमा चाहता हूं कि मैंने इस को प्रस्तुत करने में इतना समय लिया।

श्री रघुनाथसिंह---माननीय अग्रवाल जी द्वारा मेरा स्पष्टीकरण अब भी नहीं हुआ कि यह २ करोड़ ही रहेगा या ३०-४० लाख और बढ़ जायगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, जब हम ने तखमीना आय का दिया था तो उस समय यह कैन्टूनमेंट शामिल नहीं था, यह बाद में आये उसके अलावा यह है और उस २ करोड़ में यह शामिल नहीं है। बाकी जैसा कि जगदीशशरण जी ने कहा यह सही है कि कैन्टूनमेंट की परिधि इस में आने से हमें कुछ आय अधिक होगी और उससे हमारी क्षमता बढ़ती है। मैंने सचिव को आदेश दिये हैं कि वह एक स्टेटमेंट बना कर दें कि ५ तक या दस तक करने से क्या स्थिति आती है या १-२ रुपया घटा-बढ़ाकर क्या उस के फिगर आते हैं। उस के बाद हम विचार करेंगे कि जो लोग ऐसे हैं कि इस बोझ को उठा सकते हैं और इस यज्ञ में शामिल हो सकते हैं उन को इस में लेंगे और बाकी को कहां तक हम छोड़ सकते हैं, इस पर हम विचार करेंगे और अगर हो सका तो कुछ को छोड़ने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अभी कुछ कहना उचित न होगा क्योंकि वह फिगर अभी सामने नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (९) में मद (घ) के बाद निम्न-लिखित मद बढ़ा दी जाय--

"(ङ) किसी छावनी की सीमाओं के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में, उस छावनी के छावनी बोर्ड से है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड २ के उपखंड (२२) में शब्द 'या टाउन एरिया' के स्थान पर कामा तथा शब्द, 'टाउन एरिया या छावनी' रख दिये जायं।

मान्यवर, मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन पर सदन का एक मिनट भी व्यय करना उचित न होगा। यह एक कांसीक्वेंशियल संशोधन है और रूल्स के अन्दर यह बिना संशोधन लाये हुये भी संशोधन किया जा सकता था। इसलिये इसे स्वीकार किया जाय।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२२) में शब्द 'या टाउन एरिया' के स्थान पर कामा तथा शब्द, 'टाउन एरिया या छावनी' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४---(क्रमागत)*

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---उपाध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो मैं श्री राममूर्ति 'अंचल' के संशोधन को उपस्थित कर दूं, मुझे उन्होंने अधिकृत किया है...

श्री उपाध्यक्ष---वह पेश हो चुका है। केवल राय लेना बाकी है।

---

* १२ सितम्बर, १९६२ की कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि, खंड ४ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(१) यदि भूमि या भवन के वार्षिक मूल्य (annu l value) का अवधारण यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ या यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ या नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ या केन्टोनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ के अधीन पहले ही किया जा चुका हो---

(क) और उपखंड (ख) के अधीन कोई आदेश न हो, तो इस प्रकार अवधारित वार्षिक मूल्य अथवा उपर्युक्त किसी अधिनियम के अधीन समय-समय पर यथा परिवर्तित वार्षिक मूल्य;

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी भूमि या भवन के विषय में कर निर्धारण प्राधिकारी की यह राय हो कि उसका इस प्रकार से अवधारित वार्षिक मूल्य, भूमि या भवन में उस वार्षिक मूल्य के अवधारण के बाद में होने वाले किसी परिवर्तन के कारण, अपर्याप्त या अत्यधिक हो गया हो तो वह खंड (२) में दी हुई रीति से उसका कर-मूल्य अवधारित कर सकता है, और

(ख) यदि राज्य सरकार ने, यह राय होने के कारण कि किसी स्थानीय क्षेत्र में उपर्युक्त किसी अधिनियम के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य सामान्यतः अपर्याप्त या अत्यधिक है, आदेश द्वारा यह निदेश दिया हो कि उस स्थानीय क्षेत्र में भूमि या भवनों का कर-मूल्य खंड (२) में दी हुई रीति से अवधारित किया जाये, तो उक्त रीति से अवधारित कर-मूल्य; और"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ४ के उपखंड (१) में संख्या '१९१४' के बाद शब्द तथा संख्या 'या केन्टोनमेंट्स ऐक्ट, १९२४' बढ़ा दिया जाय।"

यह संशोधन भी केवल एक फ़ारमल और कांसीक्वेंशियल है। इसको बढ़ा देने से कुछ स्पष्टीकरण हो जाता है। लेकिन बहुत आवश्यक है अगर मंत्री जी समझें कि स्पष्ट करता है तो स्वीकार करें नहीं तो वापस लेता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, यह आवश्यक नहीं है, माननीय सदस्य इसको वापस ले लें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट---मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, ३५ नम्बर का संशोधन बाकी है, जिसको आपने कहा था आखिर में होगा।

श्री उपाध्यक्ष---यह सामान्य संशोधन है, पहले ३४ नम्बर का पेश किया जायगा।

श्री रक्षपालसिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "विधेयक में शब्द 'पूंजीगत मूल्य' जहां जहां प्रयोग किये गये हैं, उनके स्थान पर शब्द 'वार्षिक मूल्य' रख दिये जायं।

यह संशोधन बहुत ही आवश्यक है और सरकार ने जब देखा कि पूंजीगत मूल्य गलत ढंग से विधेयक में प्रयोग हो गया तो उन्होंने भी इसको बदलने की कोशिश की। पूंजीगत मूल्य पर टैक्स लगाना जितनी उसकी कीमत लगी है बड़ा विचित्र था और सरकार ने उसको ठीक करने की कोशिश की। परन्तु मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में पूंजीगत मूल्य की जगह वार्षिक मूल्य जिसको मैंने संशोधन द्वारा रखा है पसन्द नहीं आया। आगे 'कर मूल्य' है और संभवतः उसे हमारे मंत्री महोदय स्वीकार भी कर लेंगे। नगरपालिका अधिनियम, टाउन एरिया ऐक्ट और महानगरपालिका ऐक्ट के अन्तर्गत पहले से ही यह शब्द डिफाइंड है 'एनुअल वैल्य' और पहले से ही यह शब्द प्रयोग में चला आ रहा है। इसलिये इसको मानने में कोई आपत्ति मंत्री महोदय को नहीं होनी चाहिये। वैसे तो 'कर मूल्य' शब्द रखा गया है वह भी भ्रामक होगा। इसलिये "एनुअल वैल्यू" रख दिया जाय क्योंकि यह शब्द ज्यादा उचित है और पहले से अधिनियमों में भी है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं यह प्रार्थना करूंगा कि मूवर महोदय, जो दूसरा संशोधन आ रहा है उसे स्वीकार कर लें। इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। आशय उसका यही है जिसे वार्षिक मूल्य कहते हैं, उस पर यह कर लगेगा, पूंजी पर नहीं लगेगा। पूंजीगत मूल्य इसलिये हटा रहे हैं कि उससे भ्रम पैदा हो गया और उसकी जगह कर मूल्य रखा है।

श्री रक्षपालसिंह—ज्यादा अच्छा तो यही है कि वह शब्द रखा जाय जो पहले से अधिनियमों में हो।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—जिस शब्द का प्रयोग किसी विधेयक में किया जाता है तो उसकी व्याख्या कर दी जाती है, लेकिन इस विधेयक में पूंजीगत मूल्य तो लिखा दिया, लेकिन उसका कहीं विवरण नहीं है कि पूंजीगत मूल्य से क्या मतलब होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने बतला तो दिया है।

श्री हरिनाथ तिवारी—इसलिये मेरा कहना यह है कि जहां जहां 'पूंजीगत मूल्य' रखा गया है वहां वहां 'एनुअल वैल्यू' रख दिया जाय जैसा कि अन्य ऐक्ट में है। उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, जहां व्याख्या दी गयी है वहां पर पूंजीगत मूल्य के स्थान पर कर मूल्य आ जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधेयक में शब्द 'पूंजीगत मूल्य' जहां जहां प्रयोग किये गये हैं, उनके स्थान पर शब्द 'वार्षिक मूल्य' रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक में जहां भी शब्द 'पूंजीगत मूल्य' आये हों उनके स्थान पर शब्द 'कर-मूल्य' रख दिये जायं।

मुझे इसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि इन सारे ऐक्ट में शायद ही कोई दूसरा शब्द ऐसा हो जिसके बारे में हमारे प्रदेश की जनता में बिना पढ़े लिखे लोगों में ही नहीं बड़े से बड़े लोगों से इतनी भ्रान्ति फैली हो। कुछ दिन पहले सरकार की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा इस शब्द के सम्बन्ध में भ्रान्ति दूर करने की कोशिश की गयी। इस संशोधन का अभिप्राय यही है कि जो मूल शब्द थे उनमें जो भ्रान्ति की गुंजायश थी उसे दूर किया जाय हालांकि कंटेंट्स में कोई फर्क नहीं था। इसको कर मूल्य कर देने से वह भ्रान्ति दूर हो जायगी।

हमारे एक मित्र ने यह कहा कि वार्षिक मूल्य का रखना कर मूल्य से अच्छा होता। हम उसे रिजेक्ट कर चुके, लेकिन वार्षिक मूल्य से भी वही भ्रान्ति रह जाती। एसेस्ड वैल्यू, कर मूल्य, से सारा मतलब साफ हो जाता है।

जो वास्तव में इस शब्द का उद्देश्य था। मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन का स्वागत होगा और एक मत से हम इसको पास करेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी---श्रीमन् इस संशोधन के विरोध में मैं यह कह रहा हूं कि फिर वही शब्द भ्रामक रह जाता है। आप कर मूल्य तो कर देते हैं लेकिन परिभाषा कहीं नहीं आती है विधेयक में। कर मूल्य से क्या मतलब होगा.....

श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट--- क्लाज ४ में इसकी परिभाषा है, वहां पर भी कर-मूल्य हो जायगा।

श्री हरिनाथ तिवारी---कहां है इसमें? (थोड़ी देर एजेन्डा देखने के पश्चात् श्री हरिनाथ तिवारी बैठ गये।)

श्री रक्षपाल सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। विरोध करने का कारण यह है कि नगरपालिका, टाउन एरिया और नोटिफ़ाइड एरिया अधिनियमों में तो वार्षिक मूल्य लिखा हुआ है। तो कोई आदमी जब उनके सम्बन्ध में किसी वकील के पास जायगा तो वार्षिक मूल्य कहेगा और इस सम्बन्ध में जब मुकदमा लड़ेगा तो कर मूल्य कहेगा। यह बड़ा विचित्र-सा है। इस प्रकार से भ्रम पैदा करना ठीक नहीं है। मैं यह तर्क की बात कहता हूं वैसे बहुमत के बल पर आप पास करा लें वह तो दूसरी बात है, लेकिन यह संशोधन उचित नहीं है। इसलिये मैं कर-मूल्य का विरोध करता हूं।

श्री विचित्र नारायण शर्मा---अगर माननीय सदस्य दफा ४ को अच्छी तरह से पढ़ लेते तो कोई भी भ्रम न होता। जहां तक म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट का सम्बन्ध है, उसमें कोई दिक्कत वास्तव में इसकी वजह से नहीं पड़ने वाली है। इसको हमने एक तरह से वैसे ही मान लिया है। लेकिन म्युनिसिपैलिटीज में भी आज वह सब प्रथा होने के बावजूद कुछ जमीनें ऐसी बची हुई हैं जिन पर हम कर लगा सकते हैं और वह उस डेफ़िनीशन में नहीं आती हैं इसलिये हम को थोड़ा सा भिन्न करना पड़ा। बहुत सोच विचार करने के बाद जो सब से अच्छा शब्द जंचा उसको रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि विधेयक में जहां भी शब्द 'पूंजीगत मूल्य' आये हों उनके स्थान पर शब्द 'कर-मूल्य' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१---(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह अनुसूची में उल्लिखित नागर क्षेत्रों में १ जुलाई, १९६२ से प्रचलित हुआ समझा जायेगा और शेष नागर क्षेत्रों में उन दिनांकों से प्रचलित होगा जिनका निदेश राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा दे और, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, विभिन्न नागर क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री रक्षपाल सिंह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "विधेयक के शीर्षक तथा खंड १ के उपखंड (१) में शब्द "नागर क्षेत्र" के पूर्व और पश्चात् के कोष्ठक चिह्न हटा दिये जायं।"

यह अनावश्यक है। वैसे इसी सरकार ने जो अरबन एरियाज जमींदारी एबालिशन ऐक्ट बनाया है, उसमें ऐसा कोष्ठक नहीं है। इससे एक भ्रम पैदा होता है कि जब कोष्ठक के अन्दर कोई शब्द रहता है तो वह अनावश्यक है या थोड़े मतलब का है, ऐसा एक बोध होता रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसमें से नागर क्षेत्र शब्द के पूर्व और पश्चात् के कोष्ठक हटा दिये जाते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम भवनों तथा भूमियों के ऊपर यह विधेयक लागू होगा ब्रैकिटों को हटा देने से यह अच्छा मालूम होता है। इसलिये शब्द "नागर क्षेत्र" से पूर्व तथा पश्चात् के बाद कोष्ठक हटा दिये जायं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मुझे यह मंजूर नहीं है और ठीक से मैं समझ भी नहीं सका कि उनका क्या मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष---उनका मतलब तो केवल इतना है कि अगर कोष्ठक हटा दिया जाय तो मतलब साफ हो जाता है।

श्री सैयद अली जहीर---उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते होंगे कि शीर्षक में जो शिड्यूल हैं.....

श्री उपाध्यक्ष---उनका मतलब यह है कि ब्रैकिट हटा दिये जायं तो साफ रहेगा।

श्री सैयद अली जहीर---वह मंजूर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि विधेयक के शीर्षक तथा खंड १ के उपखंड (१) में शब्द "नागर क्षेत्र" के पूर्व और पश्चात् के कोष्ठक चिह्न हटा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट---मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से संशोधन उपस्थित करता हूं कि "खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"(३) यह १ जुलाई, १९६२ से प्रचलित हुआ समझा जायगा।"

मान्यवर, इसमें भी मैं कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं समझता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, यह स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख लिया जाय---

"(३) यह १ जुलाई, १९६२ से प्रचलित हुआ समझा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भीखाभाल (जिला उन्नाव)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न संशोधन उपस्थित करता हूं कि---

"खंड १ का उपखंड (३) बदलकर इस प्रकार रख दिया जाय---

"यह समस्त नागर क्षेत्रों में उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसका निदेश राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा दे।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन इसलिये दिया है कि जैसा अभी तक विधेयक का उपखंड (३) था उसके दो मतलब थे। एक तो अनुसूची जो विधेयक में है जिसमें

८५ म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया हैं केवल उनमें यह विधेयक लागू होगा और दूसरे यह कि १ जुलाई, १९६२ से लागू होगा। मेरा मतलब यह है कि जिस तारीख से भी लागू हो यह पूरे प्रदेश में लागू हो और राज्य सरकार वह तारीख निश्चित करके गजट करे। मेरे संशोधन का एक पार्ट तो माननीय जगदीश शरण जी के संशोधन के मंजूर हो जाने से पूरा हो गया है। उसका मतलब यह है कि १ जुलाई, १९६२ से सारे प्रदेश में लागू होगा। लिहाजा एक हिस्सा मेरे संशोधन का मंजूर हो गया है। दूसरा यह है जिसमें मुझे यह एतराज है कि अभी विधेयक सदन में प्रस्तुत है, उस पर विचार हो रहा है और अभी पास नहीं हुआ है और लागू होगा यह १ जुलाई, १९६२ से तो मैं समझता हूं कि यह न्यायपूर्ण नहीं है। जो अभी तक पास नहीं हुआ है उसको रिट्रोसपैक्टिव अफैक्ट देना ठीक नहीं है। यह साधारण सी बात है कि जिस समय सदन इसे पास कर देता है, यह ऐक्ट की शक्ल ले लेता है तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि कोई तारीख निश्चित करके घोषित करे कि कब से यह लागू होना चाहिये। यह रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू होना चाहिये। मेरा ऐतराज सीधा है। मैं समझता हूं कि इसको माननीय मंत्री जी मानने में गुरेज नहीं करेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, अभी सदन ने जगदीश शरण अग्रवाल जी का संशोधन मान लिया कि पहली जुलाई से होगा। उसके बाद यह रूल आउट होता है। लेकिन फिर भी मैं इतना निवेदन कर दूं कि यह छः माही में वसूल किया जाता है, पहली जुलाई से इसलिये ठीक है। किसी को असुविधा नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ का उपखंड (३) बदल कर इस प्रकार रख दिया जाय—

"यह समस्त नागर क्षेत्रों में उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसका निदेश राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा दें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची—(क्रमागत)

श्री बृजभूषण शरण—श्रीमन्, अनुसूची का विरोध करना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूची का विरोध मैं इस लिये कर रहा हूं कि जो माननीय जगदीश शरण अग्रवाल का संशोधन स्वीकार कर लिया गया है कि खंड १ के उपखंड (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(३) यह १ जुलाई, १९६२ से प्रचलित हुआ समझा जायगा।" तो अनुसूची के कोई मानी नहीं रहते हैं। इसलिये अनुसूची बिलकुल बेकार हो गयी है। इसलिये इसे निकाल दिया जाय।

***श्री कमलासिंह यादव**—मेरा विरोध है। वह इसलिए है कि जब तक गवर्नर महोदय ने जो सैंक्शन दिया है इस विधेयक के ऊपर वह परिशिष्ट में जो सूची है उनमें जो नगर हैं उन्हीं के बारे में दिया है। अब इस का दायरा समस्त उत्तर प्रदेश तक बढ़ाया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं। यह हो नहीं सकता किसी कीमत पर। (व्यवधान) गवर्नर का आदेश पढ़ लें जो विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया था, उस विधेयक के सम्बन्ध में गवर्नर महोदय ने अपना रेकमेंडेशन किया है। आज जो यह संशोधन लाया जा रहा है, उसके जरिये और भी दायरा बढ़ाया जा रहा है। बहुत से जिले हैं जिनकी टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज और म्युनि-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

सिपैलिटीज छोड़ दी गयी हैं । अब उनको सम्मिलित किया जा रहा है । इसलिये दायरा बढ़ाया जा रहा है । उन म्युनिसिपैलिटीज को जिनको छोड़ दिया गया है उनको नहीं लिया जा सकता है ।

*श्री ब्रजभूषणशरण---मान्यवर, यह गलत है । छोड़ा नहीं गया था । माननीय सदस्य ने इसे पढ़ा नहीं है । जैसा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया उसमें यह लिखा था---"यह अनुसूची में उल्लिखित नागर क्षेत्र में १ जुलाई, १९६२ से प्रचलित हुआ समझा जायगा और शेष नागर क्षेत्रों में उन दिनांकों से प्रचलित होगा, जिनका निदेश राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा दे और, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, विभिन्न नागर क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।" तो गवर्नर महोदय ने जो स्वीकृति दी थी तमाम उत्तर प्रदेश के नगरों पर टैक्स लगाने के लिये थी । राज्य सरकार को अधिकार रहेगा कि जिस जिस तारीख को चाहे प्रचलित कर दे । फिर जब यह संशोधन स्वीकार हो गया तो उस अनुसूची के कोई मानी नहीं रहते ।

श्री उपाध्यक्ष---जी हां, अनुसूची तो अब आउट आफ आर्डर है । देखिये हमने पास कर दिया यह बात कि पहली जुलाई से यह लागू माना जायगा । तो अब अनुसूची तो उसमें से निकल गई । सबके लिये कर दिया तो अब वह सवाल नहीं रहा ।

श्री कमलासिंह यादव---नहीं, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उद्देश्य और कारण की तरफ दिलाना चाहता हूं । उसमें पूंजीगत मूल्य पर कर लगाने का आदेश गवर्नर महोदय ने दिया था, लेकिन अब उसको संशोधित करके कर मूल्य कर दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---देखिये, मैं आपसे अर्ज करूं कि जब विधेयक होता है तो उसमें संशोधन तो हो ही सकता है । इसलिये गवर्नर महोदय कभी भी इस विधेयक में या किसी भी विधेयक में हाउस को बांध तो नहीं सकते कि कोई संशोधन उसमें न हो । इसलिये उसमें संशोधन हुआ है । पूरे विधेयक पर गवर्नर महोदय की रेकमेंडेशन है । आप एक-एक लफ्ज को लिये अगर चाहें तो वह नहीं हो सकता है । इसलिये मैं समझता हूं कि आपका आक्षेप आउट आफ आर्डर है ।

श्री कमलासिंह यादव---मेरी एक बात सुन लें । आप उद्देश्य और कारण को पढ़ लें, पूंजीगत मूल्य पर कर लगाने के लिये उन्होंने कहा और माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि डेफिनीशन सीमित है, कर मूल्य हो जाय तो दायरा और बढ़ जायगा और बहुत-सी ऐसी चीजें जो इसमें नहीं आतीं, कर मूल्य रख देने से उसका दायरा बढ़ जायगा और वह आ जायेंगी । तो मैं समझता हूं कि वह दायरा जिसको गवर्नर महोदय ने रेकमेंड किया था, उसको आप बढ़ा रहे हैं और यह प्रवैधानिक है ।

श्री विश्वनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि यह पूंजीगत मूल्य और कर मूल्य से ऐसी कोई बात होने वाली है । उस समय तो कर मूल्य सामने था ही नहीं । बाकी मैंने जो कहा था वह तो रेंट के लिये कहा था कि रेंट रखने से वह कई जगह नहीं लग सकेगा । एक प्रार्थना और करनी थी कि अनुसूची का जहां कहीं भी जिक्र इस विधेयक में हुआ है उस सब के लिये कांसीक्वेंसियल चेंजेज भाषा में आप अपने आप कर लेंगे । उस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---तो अनुसूची आउट आफ आर्डर है । इस पर वोट लेने की जरूरत नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२

उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्रों में भूमि और भवनों पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिए;

विधेयक

यह आवश्यक और इष्टकर है कि नियोजित विकास के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित वित्तीय साधनों की वृद्धि करने की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश के नागर क्षेत्रों में स्थित भूमि या भवनों अथवा दोनों पर कर लगाने की व्यवस्था की जाये;

अतएव भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२ पारित किया जाय । श्रीमन्, इसके ऊपर जितनी बहस हो चुकी है, उसके बाद यह अन्याय होगा कि मैं इस आदरणीय सदन का और समय नष्ट करूं । हर पहलू से इस पर विचार हो चुका है और मेरा खयाल है कि विचार से ज्यादा कुछ और भी हो चुका है । इसलिये मैं ज्यादा समय न लेकर प्रार्थना करूंगा कि इसको पारित करें ।

श्री* कमला सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं और विरोध का कारण यह है कि डबुल टैक्सेशन पालिसी इस गवर्नमेंट की है । आज सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि जितने नगर और शहर हैं इनके विकास के लिये हम टैक्स लगाना चाहते हैं क्योंकि नगरों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनके विकास के लिये हमें धन की और आवश्यकता है ताकि हम उनकी और मदद कर सकें । लेकिन जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है अगर ईमानदारी से देखा जाय तो जो अभी तक कहा जा रहा है कि धनी को धनी बनाया जा रहा है और गरीब को गरीब बनाया जा रहा है, वह मसला बिलकुल सत्य है । अभी तक जो उसूल नगरों के मुताल्लिक रहा है वह यह रहा है कि हमेशा कोई भी स्कीम बने, वह सड़क बनायें या ड्रेनेज स्कीम बनायें या वाटर स्कीम वगैरह चलायें तो नगर पालिका के जितने भी कर वगैरह रहे हैं वह हमेशा कंडीशन पर रहे हैं और कंडीशन का जहां तक सम्बन्ध है यह देखा गया है कि जब तक नगरपालिका या म्युनिसिपल बोर्ड उस कंडीशन को पूरा न करें तब तक कोई किसी स्कीम की इमदाद सरकार की ओर से नहीं मिलती । अब जहां तक ...रपालिका या म्युनिसिपल बोर्ड का सवाल है, यह देखा गया है कि उनका दायरा सीमित है ...के टैक्स लगाने का दायरा भी सीमित है । वह हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सरकम्स-

श्री टैक्स लगाते हैं । जहां तक इन सब टैक्सों का सवाल है उनमें वाटर टैक्स तो चरम पहुंच चुका है । कोई भी ऐसी नगरपालिका या टाउन एरिया नहीं होगी जहां पर टैक्स चरम सीमा तक न पहुंचा हो लेकिन जहां तक हाउस टैक्स का सवाल है उसमें

श्री सम्भावना थी कि म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया को मौका था कि वह अपनी आमदनी

आपने कहने से बढ़ाते । १, २ परसेन्ट अपनी आमदनी को बढ़ाकर वह अपनी वित्तीय हालत को कते थे । इस विधेयक के जरिये से सरकार म्युनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका के

श्री ों को चुनौती दे रही है । उनके सामने एक मौका था अपनी आमदनी के बढ़ाने का और ालत को सुधारने का । उस पर सरकार ने आघात किया है । मैं समझता हूं यह सरकार इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

विधेयक को लाकर नगरपालिका और टाउन एरिया के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ रख रही है । उनकी आमदनी को बढ़ाने के जो उनके पास जरिये थे उनको समाप्त करके यह सरकार अपने लिये इस्तेमाल करने जा रही है । एक तरफ तो यह कहा जाता है कि टाउन एरिया और नगर-पालिकाओं का विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह से टैक्स लगाने की बात सोची जा रही है । यह उनका ह्रास करना है । इस तरह से उनकी आमदनी का जो जरिया था उसको आप बरबाद करने का ढंग कर रहे हैं ।

दूसरी बात यह है कि अभी तक टाउन एरिया वगैरा जो थे वह अपने तरीके पर टैक्स वगैरा लगाते थे और एक अच्छी आमदनी कर लेते थे । उसका नतीजा यह होता था कि सरकार से भी उनको मदद मिलती थी । अपनी आमदनी के जरिये से सरकार की जो कंडीशन होती थी उनको वह पूरा करते थे और इसी तरीके पर अपने यहां सड़क, ड्रेनेज या वाटर सप्लाई का काम या और जो काम नगरपालिकाएं करती हैं उनमें उनको प्रोत्साहन मिलता था, लेकिन जब सरकार स्वयं इस टैक्स को लगा रही है नगरपालिकाओं के ऊपर और उनकी जो आमदनी थी उसको वह खुद ले रही है तो उनके पास कोई जरिया नहीं रह जाता है कि वह अपनी आमदनी को किसी तरह से बढ़ा सकें । इस विधेयक के जरिये से यह बतलाया गया है कि करीब २० लाख रुपया असेसमेंट अधिकारियों पर और असेसमेंट करने वालों पर खर्च होगा । इस विधेयक के अन्दर इस बात को कहा गया है कि ५ परसेंट खर्चा इसका नगरपालिकाओं को दिया जायगा । मैं समझता हूं कि यदि ५० प्रतिशत कर दिया जाता और सरकार को जितनी आमदनी उस टैक्स से होती उसमें से नगरपालिकाओं को आधा हिस्सा दे देती तो जो टैक्सेशन बढ़ रहा है उसके जरिये से म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया अपनी योजनाओं को पूरा कर सकती थी । वह अपने जरिये को भी बढ़ा सकती थी और उनको भी इससे लाभ पहुंचता और वे किसी तरीके से अपने यहां की कठिनाइयों को मोट कर सकते । लेकिन जो यह ५ परसेन्ट की बात रखी गई है, इससे नगरपालिकाओं को बहुत क्षोभ है । इसी तरीके से नगरपालिकाओं और टाउन एरियाओं के सामने बहुत-सी दिक्कतें मौजूद हैं । मैं समझता हूं माननीय मन्त्री जी ने अखबारों में पढ़ा होगा कि कोई नगरपालिका या टाउन एरिया ऐसी नहीं है, जिसने माननीय मन्त्री जी को बधाई दी हो । जितने लोग हैं सब ने प्रस्ताव पास किया है कि सरकार को किसी किस्म के टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिये । यह विधेयक जो लाया गया है तो इसको सरकार को वापस लेना चाहिये । मैं समझता हूं कि कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड या टाउन एरिया ऐसा नहीं है जिसने स्वागत किया हो बल्कि हर एक ने इसका विरोध किया है ।

दूसरी बात यह है कि जहां तक नये साधन ढूंढ़ने का सवाल है और जैसा कि अभी इस सदन के सामने उद्देश्य हैं, उनके लिये हमारा आबजेक्शन अब भी मौजूद है । उसमें यह कहा गया है कि "पहली तथा दूसरी पंच वर्षीय योजनायें राज्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन की नींव को मजबूत करने में सहायक हुई हैं और उन्होंने उसके औद्योगिक तथा आर्थिक विकास को अनुप्राणित किया है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक लक्ष्यों को और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है और उनकी प्राप्ति की ओर यह एक बहुत बड़ा कदम है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार को बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं के कारण यह आवश्यक हो गया है कि आय के नये साधन ढूंढ़े जायं । नगरों और शहरों के बढ़ते हुये महत्व को और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि राज्य सरकार को अपेक्षाकृत अधिकाधिक उत्तरदायित्व वहन करना होगा, यह उचित समझा गया है कि समाज के पूर्ण लाभ के लिये नागर क्षेत्रों में स्थित भूमियों या भवनों अथवा दोनों के पूंजीगत मूल्य, मैं श्रीमन्, इस शब्द की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं--पर कर आरोपित किया जाय । प्रस्तुत विधेयक में इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था की गयी है । तो श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सवाल है जो गवर्नर महोदय के यहां रेकमेंडेशन के लिये भेजा गया था, उसमें पूंजीगत मूल्य का जिक्र था, लेकिन उसके बाद यहां सदन में उस शब्द को कर मूल्य में परिवर्तित कर दिया गया है । अभी मंत्री जी ने इन्कार किया

कि इससे सीमा बढ़ जाती है, लेकिन जो शब्द जोड़ा गया है अगर उसे देखा जाय तो पता लगेगा और अभी उन्होंने इस सिलसिले में बोलते हुये कहा भी कि बहुत सी ऐसी भूमि है कि जिस पर हम टैक्स नहीं लगा सकते थे, लेकिन इसके जरिये लगा सकते हैं । पूंजीगत मूल्य शब्द रहने से वह भूमियां कर से वंचित रह जातीं । तो मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन किया गया है उससे इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है और इसके लिये गवर्नर महोदय के कोई आदेश नहीं हैं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के परिवर्तन होने के कारण यह विधेयक अवैधानिक है ।

अभी तक सदन को यह अधिकार रहा है कि विधेयकों के संबंध में जो नियम बनाये जाते थे वह सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे और उन पर सदन अपने विचार व्यक्त कर सकता था । लेकिन इस विधेयक में इस सदन के सदस्यों को इस अधिकार से वंचित रखा जा रहा है । इसकी धारा ६ के (३) में दिया हुआ है "ऐसी अन्य भूमियां और भवन, जिनका पूंजीगत मूल्य ऐसी धनराशि से अधिक न हो जो राज्य सरकार आदेश द्वारा तदर्थ निश्चित करे:" यहां श्रीमन्, आदेश शब्द का मतलब है कि सरकार को अख्तियार है कि जो चाहे वह करे । सरकार को चाहिये यह था कि वह जो नियम बनाती वह सदन के सामने रखती और इसलिये संशोधन द्वारा आदेश के स्थान पर नियम शब्द रखा गया था, लेकिन सरकार ने अपने बहुमत के बल पर कोशिश की है कि शब्द आदेश ही रहे और इसे ही पास करवा लिया ताकि वह जिस तरह से चाहे टैक्स लगा सके । मैं समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित है ।

तीसरी चीज यह है कि मैं फिर बारीकी में जाना चाहता हूं । गवर्नर महोदय ने जितनी नगरपालिका और टाउन एरियाज हैं उन पर पूंजीगत मूल्य के संबंध में ही आदेश दिया है और यहां उसे कर मूल्य में परिणत किया जा रहा है । इस कर मूल्य पर गवर्नर महोदय ने कोई रेकमेंडेशन नहीं की है । इसलिये यह कानून के खिलाफ है और इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि सदन इस पर फिर गौर करे और आशा करता हूं कि वह इसे पास न होने देगा ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—डिप्टी स्पीकर महोदय, आप मुझे माफ करेंगे इसलिये कि मैं आपको डिप्टी स्पीकर महोदय कह कर एड्रेस करता हूं । इसका कारण यह है कि यह मेरी धारणा है कि स्पीकर शब्द का ट्रान्सलेशन हिन्दुस्तान भर में किसी भाषा में न तो आज तक हुआ है, न हो सकता है और न होगा ही । अध्यक्ष तो बहुत से हैं, सभी को हम अध्यक्ष कह सकते हैं म्युनिसिपल बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, टाउन एरिया के भी अध्यक्ष हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्पीकर कह कर एड्रेस करने की इजाजत दें ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस सदन की भाषा हिन्दी है और 'उपाध्यक्ष' जो नाम है वह उन तमाम संज्ञाओं की पूर्ति करता है जो और हैं । हमने किसी शब्द का ट्रान्सलेशन नहीं किया है । हमने 'अध्यक्ष' और 'उपाध्यक्ष' स्वयं इन शब्दों को चुना है और इनका प्रयोग करते हैं । उपाध्यक्ष जान बूझ कर किसी कारणवश नहीं रखा है । इसलिये मैं चाहता हूं कि इन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—यह बात सही है । हमारे विधान में स्वयं इस शब्द को जगह दी गई है । कोई ट्रान्सलेशन का सवाल नहीं है । इसलिये आप आइन्दा से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही कह कर संबोधित करें । स्पीकर और डिप्टी स्पीकर न कहें ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—आपकी बात मुझे शिरोधार्य है, इसलिये मैं इसको मानता हूं । आगे से उपाध्यक्ष ही कहूंगा । इस बिल के संबंध में मुझे अफसोस है । इस बिल के ऊपर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं । जहां तक मैंने देखा है कि इस बिल में इतनी सारी आपत्तियां हैं कि क्या बताऊं । इसकी भाषा गलत, इसकी मंशायें गलत और सरकार को खुद कई संशोधन करने पड़े हैं । यह देखा गया है कि हर एक बिल का एक शेड्यूल होता है ।। इसमें शिड्यूल हैं और उसमें जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, उन्हीं पर यह बिल लागू हो सकता है

[श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर]

इसलिये यह ठीक नहीं है कि शेड्यूल निकाला जाय। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें इतनी आपत्तियां हैं, तो मैं यदि कोई आपत्ति पेश करूं तो आप मुझे क्षमा करेंगे।

मैं सरकार से यह बतला देना चाहता हूं कि इस सदन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार की आय को बढ़ाने की कोशिश न करे या बढ़ाना न चाहे। मैं तो इसी दृष्टिकोण का हूं। परन्तु मैं इस बिल का विरोध करूंगा। हमारी सरकार यह कहती है कि बिना हाउस टैक्स के हमारा काम नहीं चलेगा। परन्तु जो बिल प्रस्तुत किया गया है वह तो वैसे ही है जैसे कि कहा जाता है :—

"Killing the hen which lays the golden eggs."

यह बिल सबसे ज्यादा लागू होगा मिडिल क्लास पर। यदि आप गहराई से देखें तो आपको मालूम होगा कि सारे देश और प्रदेश में यह मिडिल क्लास ही हमारे समाज का और हमारे प्रशासन का स्तम्भ है। इन्हीं मिडिल क्लास के लोगों की वजह से आज सरकार कायम है और कायम रहेगी। ऐसे कानून द्वारा आप उसका सत्यनाश कर रहे हैं। इससे बड़ा भारी संकट हमारे सामने आने वाला है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरा उन लोगों की दशा को देखें जो शिक्षा प्राप्त करके दूर-दूर से आकर यहां शहरों में छोटी—मोटी नौकरी कर लेते हैं और जिनको बहुत ही मामूली तनख्वाह मिलती है वे बेचारे किसी तरह से कोई प्रबंध करके अपना छोटा-मोटा मकान या झोपड़ी बना लेते थे वह अब नहीं हो पायेगा। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बेचारे कैसे इतना कर लेते हैं। उनपर आपका यह टैक्स बहुत ही अनुचित है। एक तो उन लोगों के ऊपर पहले ही से हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और दुनियां भर के टैक्स लदे हैं और अब आप एक नया टैक्स और उनके ऊपर लगा रहे हैं। यह घोर अन्याय की बात है। आप तो जो मकान किराये पर भी न हों उन पर भी टैक्स लगायेंगे, जो जमीन खाली पड़ी है, बेकार है उस पर भी आप टैक्स लगायेंगे तो कहां तक न्यायसंगत है। या आप ऐसा करते कि जिसके मकान का किराया ५०—१०० रुपये से कम होगा उस पर टैक्स नहीं लेंगे या जिसमें मकान मालिक खुद रहता हो उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। परन्तु जो मकान किराये पर न हो उस पर भी टैक्स न लगे यह कौन इंसाफ की बात है कि मकान से कोई आमदनी नहीं है खाली पड़ा हुआ है भुतहा मकान है जिसको कोई किराये पर नहीं लेता कि इसमें भूत हैं और आप उससे भी कर लेना चाहते हैं? क्या भूत से भी कर लेंगे? कर तो किसी आमदनी पर ही लगता है। सरकार जो कहती है कि ज्यादा मकान बनें तो अब कौन मकान बनायेगा? १० साल में तो मकान आपका हो गया। अब आप कुछ कम कर रहे हैं टैक्स की दर १० के बजाय ५ परसेंट कर रहे हैं तो फिर २० साल में मकान आपका हो जायगा। तो इस तरह से मकान १०—२० साल में सरकार का हो जायगा उसे क्या फायदा जो मकान बनायेगा?

दूसरी बड़ी भारी आश्चर्य की बात है कि सिविल मामलों में सिविल केस बनाकर रुपया वसूल होता है लेकिन आप पीनल ढंग से केस बना कर वसूल करना चाहते हैं। ठीक है आपने बहुमत के कारण चाहे जो करें वह दूसरी बात है। आपने बताया कि १८१ लाख रुपया आपकी इसमें कमाई होगी और २०—२१ लाख टैक्स वसूली में खर्च हो जायेंगे, तो बचा कितना गुनाह बेलज्जत इसी को कहते हैं हो जायगा। इस तरह से आपने मिडिल क्लास को अपना दुश्मन बना लिया वह हमेशा खिलाफ रहेंगे। और आमदनी हुई १६० लाख। इतनी भी शायद न हो क्योंकि कितने ही लैप्सेज निकलेंगे। इन सब बातों को देखते हुए मैं अपना फर्ज समझता हूं कि मैं यह बतला दूं कि इस किस्म का कानून जो सरकार लायी है वह हानिकारक है और उससे उसे नुक्सान पहुंचेगा और हम सब लोगों को भी पहुंचेगा। नतीजा यह होगा कि लोग मकान बनाकर शहरों में बसना छोड़ देंगे। हां, यह अवश्य होगा कि बहुत से पढ़े-लिखे लोग गांव छोड़ कर नौकरी की तलाश में बाहर नहीं आयेंगे। गांव में ही रहने लगेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐक्ट तो आपने बना लिया अब सरकार इसका इस तरह से प्रयोग करे कि वह इतना

हानिकारक न रहे। ५ वर्ष तक तो आप जो चाहें कर ही लेंगे, लेकिन फिर आगे का सवाल पदा होता है जिसको हमें ध्यान में रखना है।

सरकार आमदनी चाहती है तो मैं बतला सकता हूं। अगर सरकार एक रुपया हर वर्ष पर लगा दे एक बालक पैदा होते ही हर एक को एक रुपया देना पड़ेगा। क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई आदमी है जो एक रुपया न दे सके। इसी तरह से प्रत्येक शादी में ५ रुपया टैक्स लगा दें तो करोड़ों रुपया पैदा हो सकता है। ऐसे मौकों पर जैसे शादी में लोग हजारों रुपया खर्च कर देते हैं तो ५ रुपया क्या मालूम होगा? इसलिये यह विधेयक लाकर तो अपने पैर में अपने आप कुल्हाड़ी मारना है।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे दुख है कि इस सदन में भी तृतीय योजना के लिए धन इकट्ठा करने के संबंध में उचित सुझाव दिये गये और बाहर भी उच्च अधिकारियों ने काफी गम्भीरता के साथ सुझाव प्रस्तुत किये, लेकिन सरकार ने आंख और कान बन्द करके इनकार कर दिया कि वह इन सुझावों पर विचार करने के लिये तैयार नहीं है। सरकार इस बात पर दृढ़ है कि वह इस प्रदेश की जनता पर जिसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है टैक्स लगायेगी। इस विधेयक का प्रभाव नागर क्षेत्र पर ठीक वैसा ही होगा जैसा कि जोतकर विधेयक का गांवों के अन्दर। इसका प्रभाव ठीक गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा और माननीय मंत्री जी दलील देते हैं कि हम तो बहुत मामूली-सा टैक्स लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम १० प्रतिशत टैक्स लगाने का अधिकार ले रहे हैं मगर हम ५ प्रतिशत ही लगायेंगे।

श्रीमन्, आज प्रदेश की जितनी भी नगरपालिकायें हैं उन्होंने पहले से ही १० और १५ प्रतिशत तक टैक्स लगा रखा है। अब सरकार १० प्रतिशत तक और टैक्स लगाने का इरादा रखती है। इस तरह से कितना टैक्स का भार उस गरीब जनता पर पड़ेगा। यह कहा जाता है कि उनकी मजबूरी है। मैं कहता हूं कि सरकार के ऊपर ऊपर से इसके लिये दबाव पड़ता है। मगर सरकार जो नगरपालिकाओं और अन्तरिम जिला परिषदों के चुनाव की घोषणा यहां करती है तो उस संबंध में कोई दबाव ऊपर से क्यों नहीं पड़ता? आज प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि उसके ऊपर १० प्रतिशत टैक्स और बढ़ने जा रहा है। यह सब मिलाकर २५ फीसदी टैक्स का भार गरीब जनता को वहन करना पड़ेगा। श्रीमन् इसका दोहरा असर उन पर पड़ेगा। पहले नगरपालिका का अपना टैक्स और फिर यह टैक्स उनको देना होगा। यहां मंत्री जी कहते हैं कि हम विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं। नीचे ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने जा रहे हैं, मगर आज यह टैक्स भी लगाया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि क्या आपको राजधानी की नगर महापालिका ने तथा बनारस और कानपुर आदि की नगर महापालिकाओं ने एक प्रस्ताव पास करके इन टैक्सों का विरोध नहीं किया है? आज साधनों का संकट उन नगर पालिकाओं के अन्दर है। अगर उनको यह अधिकार होता कि अगर वे ठीक समझें तो टैक्स बढ़ावें तो ठीक होता। लेकिन आज उनकी राय का अनादर करते हुये, चुने हुये प्रतिनिधियों की राय का अनादर करते हुये यह टैक्स बढ़ाया जा रहा है। आज जनता में इसका रोष बहुत है आप यह न समझ लें कि बिल पास होने के बाद वह रोष ठंडा हो जायेगा। हाई कोर्ट के एक माननीय भूतपूर्व जज श्री विन्दबासिनी प्रसाद ने भी अखबारों में तथा सरकार से गहरी चिन्ता व्यक्त की है इस संबंध में। मैं पूछता हूं कि इसी सरकार के आफिसरों की कान्फ्रेन्स में, जो अभी हुई थी, आफिसरों ने यह सुझाव नहीं रखा था कि ५ करोड़ रुपये की सालाना बचत हो सकती है अगर फौजी कदम उठाये जायं। आज मंत्री जी कहते हैं कि हमने सचिव को लिखा है कि वे इस बात की जांच-पड़ताल करें कि प्रदेश के अन्दर १०–१५ रुपये देने वाले लोग किस श्रेणी में आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वे यह जानना चाहते हैं तो मेरे साथ लखनऊ की गलियों में चल कर देखें। उनको मालूम हो जायेगा कि किस के ऊपर बोझ पड़ने जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

चाहे वह गरीब जनता पर पड़े, विद्यार्थियों पर पड़ें, छोटे कर्मचारियों पर पड़ें या मिल में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ें, पड़ेगा उन्हीं लोगों पर जो अभी भी करों के बोझ से दबे हुए हैं। मिल के मजदूरों के बारे में संतसिंह यूसुफ जी ने कहा कि न उनके यहां बिजली है और न पानी का कोई प्रबंध है, लेकिन किराया उनको देना पड़ता है १५ रुपया माहवार। ५० रुपया माहवार पाने वाले को १५ रुपया किराया देना पड़ता है। फिर अब आप चाहते हैं कि उनका पता लगाया जाय। सरकार ११ सालों के अन्दर यह भी न जान पायी कि १० रुपया देने वाले कौन लोग हैं और उसके बारे में सचिव को आपने आदेश दिये हैं जो साल भर में छानबीन करेगा कि उनका भार किन लोगों पर पड़ने जा रहा है।

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सरकार की यह प्रवृत्ति होती जा रही है कि सदन के अन्दर जो विधेयक आते हैं, उनको रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है। इस बिल को भी १ जुलाई से लागू किया जा रहा है। अभी यह बिल पास भी नहीं हुआ है कि आपने यह अधिकार ले लिया कि एक जुलाई से किराया वसूल कर लें। उसको पता भी नहीं है कि पिछले ढाई महीने का किराया उससे आप वसूल करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी यह नहीं जानते हैं कि इसका प्रभाव ऐसे लोगों पर पड़ने जा रहा है जिनके पास दवा के लिये एक रुपया भी नहीं है बच्चे की एक रुपया फीस वे दे नहीं सकते हैं। अतः इस बिल से एक बड़ा भारी आघात जनता के ऊपर होने वाला है।

मैं संक्षेप में सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह अपनी योजनाओं को मुस्तैदी के साथ लागू करे बकाया रुपये की वसूली में, सख्ती बरते। कानपुर के मिल मालिकों की ओर सरकार की निगाह ही नहीं जाती उनसे अगर सख्ती के साथ वसूली की जाय तो शायद इस बिल को यहां लाने की ही आवश्यकता न होगी। सरकारी योजनाओं में फिजूलखर्ची हो रही है उसको रोकने के सरकार कदम उठाये तो नये टैक्स लगाने की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। आज जनता की भावना सरकार के इस कदम से उभड़ रही है। सरकार यह न समझे कि यह किसी दल के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन जनता स्वयं भी उठ रही है क्योंकि टैक्सों के बोझ से उसकी कमर टूट गयी है और आगे आने वाली योजनाओं से भी उसको यह आशा नहीं है कि उसकी आमदनी बढ़ने वाली है। इस जनता की भावनाओं का आदर करते हुये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बिल को पारित करने की आज्ञा न दे। जब तक सरकार और तरीके कार्यान्वित नहीं करती उसको मध्यम श्रेणी के लोगों पर इस प्रकार के टैक्स लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि अब बहस बंद की जाय। ४ बजे तक इस बिल को पास हो जाना चाहिये था अब साढ़े चार हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—अभी बहस कम हुई है। माननीय नेता विरोधी दल बोलना चाहते हैं, १-२ सदस्य और बोल लें उसके बाद यह प्रस्ताव ले लिया जायगा।

श्री बनारसीदास—मैं यह अर्ज करना चाहता था कि माननीय नेता विरोधी दल ने यह तय किया था कि ४ बजे तक इस बिल को पास कर दिया जाय सिवाय कंसेंटमेंट वाले संशोधन के। उस एग्रीमेंट में दूसरा और तीसरा वाचन भी था। इसके अलावा डेढ़ घंटा विरोधी-कर संशोधन विधेयक के लिये था। आशा है अपने एग्रीमेंट को देखकर माननीय नेता विरोधी दल मुझसे सहमत होंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं माननीय बनारसीदास जी का। इन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है इस सम्बन्ध में मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी 'रिप वान विंकिल' जिसको देशी भाषा में कहते हैं सावन के अंधे को हरियाली ही हरियाली

दिखायी देती है। जो बात कही गयी वह तो उस दिन के लिये तय हुई थी। आज तो फ्रेश बात है इसलिये उस दिन की बात को आज लागू करना अनुचित होगा। इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं और ऐसे अपनी ब्रूट मेजारिटी की बिना पर आप इसे पास तो कर ही लेंगे। लेकिन, गैगिंग होने पर हम इसका बड़े जोर से विरोध करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जिस स्पिरिट में अभी तक बहस हुई है उसी स्पिरिट में इसे आज ५ बजे तक पास कर दिया जाय।

श्री कृष्णपालसिंह—श्रीमान् प्रथम वाचन में ऐसा लगता था कि सरकार यह बिल वापस ले लेगी। बहुत से सदस्य द्वितीय वाचन में भी नहीं बोल सके हैं। अब सरकार कर लगाने जा रही है तो फिर लोगों को बोलने का कब मौका मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष—अब १०-१० मिनट की चार स्पीचेज होंगी।

श्री राधेश्याम शर्मा—श्रीमान् १५ मिनट का समय कर दिया जाय।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन कर दूं कि अपनी तरफ से आप ४, साढ़े चार या ५ बजे का कोई टाइम लिमिट न लगावें क्योंकि जो साधारण पद्धति है उस पद्धति का पालन होना चाहिये यह आप जरूर देख लें, लेकिन आप अपनी ओर से टाइम लिमिट न लगावें।

श्री उपाध्यक्ष—इधर से फौरन क्वेश्चन पुट करने की बात है तो मेरा मतलब यह था कि थोड़ी और स्पीचेज हो जायं क्योंकि बार-बार मुझे भी ऐसे क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा और इसलिये मेरी भी दिक्कत है। इसलिये मैं कहता हूं कि ४ स्पीचेज और हो जायं उसके बाद क्वेश्चन पुट हो।

श्री यादवेन्द्रदत्त—जो आपने स्पष्टीकरण करते हुये कहा कि आपको मजबूरी से ऐसा करना पड़ रहा है, तो वे तो मैजारिटी में हैं, बहुमत के बल पर वे जो चाहें करें, लेकिन यह साधारण बात है कि आप हमारे ऊपर टाइम लिमिट किसी प्रकार का भी न लगावें।

श्री कमलासिंह यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना यह है कि जब तक यह संशोधन चल रहा था तो हम लोगों ने देखा कि सरकार की तरफ से माननीय बनारसीदास और विरोधी दल के नेता इन दोनों ने यह तय किया था कि हम लोग जब खड़े होते थे तो सरकारी पक्ष से शर्मा जी कह देते थे कि नामंजूर और फिर हम लोग बैठ जाते थे और इस तरह से यह रिहर्सल इस सदन में चलता रहा। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेहरबानी करके हम लोगों को दो दो मिनट अपने अपने संशोधनों पर बोलने का मौका दिया और अब अगर तीसरे वाचन के समय भी लिमिट लगाया जाता है तो यह कहां तक उचित होगा इसको समझ सकने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं। यह तो सारे प्रदेश की उन गरीब जनता और किराये दारों का सवाल है जो बहुत ही गरीब हैं और जिनके पास कोई साधन नहीं हैं कि टैक्स वगैरह अदा कर सकें। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय आपसे मेरी प्रार्थना है कि सदन के माननीय सदस्यों को मौका दिया जाय कि वे अपने दिल के उद्गार इस सदन के सामने रख सकें और उनके साथ न्याय हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—अभी मैं क्वेश्चन पुट नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग और बोलेंगे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया था, उसका विरोध करने के लिये मैं प्रारम्भ में ही खड़ा हुआ था अब संशोधन स्पष्टीकरण और आश्वासनों के बाद इसका रूप काफी परिवर्तित हो गया है और मैं समझता हूं कि इसके तीसरे वाचन में अधिक समय लेना उचित नहीं है। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से केवल दो बातों के लिये दो-तीन मिनट लूंगा। इस बिल में मुख्य बातें मेरे नजदीक सारभूत केवल तीन हैं। एक तो यह कि कितना टैक्स लगे, एक यह जिसके ऊपर मैं

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

कई बार कह चुका हूं कि किस सीमा तक टैक्स लगे और तीसरी बात यह है कि इस टैक्स के इम्प्लीमेंटेशन की क्या मशीनरी हो। बिल पास हो चुका मुख्य उद्देश्य जो बिल का है, उसका समर्थन यह सदन कर चुका। लेकिन इन तीनों बातों की तरफ में माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान दिलाना अपना पुनीत कर्त्तव्य समझता हूं। जब इस बिल की तीसरी धारा हम पास कर चके तो हमने अपने उस अधिकार को सरकार में निहित कर दिया और इसलिये अब सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह उस प्रकाश को इस्तेमाल करे जो प्रकाश कि उसे इस सदन के विवाद से मिला। जितने भी सदस्य इस सदन में इधर से चाहे उधर से बोले सभी ने इस बात का एकमत से प्रबल समर्थन किया कि इसकी न्यूनतम सीमा ऊंची होनी चाहिये। जिस से गरीब आदमी शहरों में रहने वाले इस कर के बोझ से त्रस्त न हों। मैं बड़ा आभारी हूं माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने ५ प्रतिशत की घोषणा कर के एक शंका को खत्म कर दिया।

(इस समय ४ बजकर २९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

माननीय चन्द्रजीत जी यादव अभी कह रहे थे कि इस घोषणा के बाद भी वह १० प्रतिशत ही कर लगायेंगे। उन का कहना था कि आज ५ प्रतिशत की बात है, लेकिन बाद में वह अवश्य ही इसे दस प्रतिशत कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं उन से कि यदि वह माननीय विचित्रनारायण जी को अच्छी तरह से जानते होते तो वह अवश्य ही उन की बात का विश्वास कर लेते और समझ लेते कि वह कहने के बाद अपनी बात वापस नहीं ले सकते। लिहाजा ५ प्रतिशत की घोषणा का हमें विश्वास करना चाहिये।

अब प्रश्न न्यूनतम लिमिट का है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं इस संबंध में अपने कर्मचारियों द्वारा जानकारी करा रहा हूं कि १०–१५ रुपया किराया देने वाले आदमी किस श्रेणी में हैं और अगर वह सन्तुष्ट हो जायेंगे तो निम्नतम श्रेणी के जो व्यक्ति होंगे वह मुक्त कर दिये जायेंगे। मैं चाहता हूं कि उन पर इस तरह की कृपा करें। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस तरह का आश्वासन किया, लेकिन मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि यह विषय अब किसी इन्क्वायरी का मोहताज नहीं है और इस में किसी जानकारी की आवश्यकता नहीं है और यह तो एक मोटी-सी एरिथमेटिकल प्रोपोजीशन है कि १५ रुपया जिस मकान का किराया है वह एक ऐसा छोटा मकान होगा कि जिस का मूल्य ३ हजार रुपया होगा। आपने ही स्वयं इस बिल में और दूसरे एक्ट्स में जो मूल्यांकन का प्रिन्सिपल माना है रजिस्ट्रेशन एक्ट में और दूसरे अन्य एक्ट्स में जिस सिद्धान्त को आपने स्वयं माना है उस के अनुसार भी कैलकुलेट कर के १५ रुपया माहवार का मकान ३००० के मूल्य का होता है और मंत्री जी को या किसी भी माननीय सदस्य को यह समझने में देर न लगेगी कि आज ३००० की लागत का मकान कितना बड़ा होता है और उसमें रहने वाले व्यक्ति समाज की किस श्रेणी के व्यक्ति होते हैं। मैं चाहता हूं कि वह इन न्यूनतम श्रेणी के लोगों की तकलीफ पर जरूर ध्यान दें। हम जनता के चुने हुये सदस्य भी जनता की भावनाओं के प्रतीक हैं। आप कर्मचारियों की सलाह का आदर करें, लेकिन आप जनप्रतिनिधियों की बात का भी विश्वास करें और यकीन करें कि १५ रुपया तक किराया मास में देने वाले व्यक्ति समाज के निम्नतम श्रेणी के आदमी हैं और उन के ऊपर टैक्स लगाना अन्याय होगा, उस से अशान्ति पैदा होगी, असन्तोष बढ़ेगा, हाहाकार होगा और जनता में चीत्कार होगा और उस का बुरा परिणाम आप पर, सरकार पर और आप के संगठन पर पड़ेगा। इसलिये मैं बड़ी नम्रता के साथ अपने पूरे बल से प्रार्थना करूंगा कि जब आप नियम बनायें और जब आप इन अधिकारों का प्रयोग करें तो गरीब जनता को इस कर से मुक्त करने की तरफ ध्यान दें और आखिरी बात मैं इसी के साथ यह भी कहूंगा कि जो मशीनरी आप इस टैक्स के इम्पलीमेंटेशन के लिये बनायें वह एक शुद्ध, सीधी और एक क्लीन मशीनरी हो। आज प्रदेश उस मशीनरी से आजिज आ चुका है जिस के जरिये से आज काम हो रहा है। रोज लैंड रेवेन्यू और अन्य वसूलियों के मुताल्लिक करप्शन, भ्रष्टाचार और ज्यादतियों की बातें सुनने को मिलती है। आज हमें इस बात का हर्ष है कि स्वायत शासन

विभाग की बागडोर एक ऐसे कर्मठ व्यक्ति के हाथ में है जो हृदय से भ्रष्टाचार के खिलाफ है और मैं आशा करता हूं कि वह अवश्य ही इन भावनाओं के प्रकाश में जो कि सदन में प्रकट की गई है ऐसी मेशीनरी इस बिल को इम्पलीमेंट करने के लिये देंगे जो जनता में विश्वास पैदा कर सके, जिसमें कि जनता की आस्था हो और जिस के द्वारा उस उद्देश्य की पूर्ति अच्छी तरह हो सके जिस के लिये कि यह बिल यहां आया है और जिस पंचवर्षीय योजना की पूर्ति का ध्येय हम सब के सामने है, जिस को पूरा करना देश के हरएक शुभचिन्तक का नैतिक कर्त्तव्य है।

श्री अध्यक्ष—माननीय श्रीपालसिंह जी १० मिनट ही बोलियेगा।

*कुंवर श्रीपालसिंह—बहुत अच्छा श्रीमन्। अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ तो नहीं इसमें कहना है परन्तु कुछ इसमें संशोधन ऐसे किये गये, जिनके द्वारा और कुछ पुरानी बातें जो गलत थीं जिनको हम लोग सोचते थे शायद दूर कर दी जायंगी वह नहीं दूर हुईं, इस लिये इसका विरोध करना पड़ रहा है। और कुछ ऐसी बातें भी आ गईं जो शायद आगे चल कर श्रीमन्, आपके पेशे वाले लोग उसकी खाल उधेड़ देंगे तो असली शक्ल तब सामने आयेगी। और तब सरकार फिर संशोधन लायेगी।

श्री अध्यक्ष—हम लोग बना भी सकते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—वह यहां। लेकिन वहां तो उधेड़ते ही हैं। इसका विरोध महज इसलिये करना पड़ रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं, जहां विमुक्तियां दी गई हैं, उनमें धारा ६(१) में सरकारी मकानों के लिये छूट है, जो किरायेदार उनमें रहते हैं उन पर कर नहीं लगेगा। इसका औचित्य मेरी समझ में नहीं आया। १५ रु० माहवार किराया देने वाले पर तो सरकारी टैक्स पड़ जायगा उसको मन्त्री जी ने अपनी कृपा पर ले लिया है, अगर वह चाहेंगे तो उसे छोड़ देंगे नहीं तो नहीं। कोई बाध्यता नहीं है। परन्तु सरकारी मकानों में सरकार के ३,००० रुपये माहवार पाने वाले सेक्रेटरीज रहते हैं उनके ऊपर कर नहीं लगेगा। यह इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। किन पर टैक्स लगेगा जो राज्य सरकार के पट्टेदार या अनुदान गृहीता के रूप में हों। सरकारी मकानों के किरायेदारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन पर असर पड़ेगा जो मामूली किरायेदार हैं, जो स्वयं अपने मकान में रह रहे हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी पर टैक्स पड़ जायगा क्योंकि वह अपने मकान में रहते हैं, मगर उनके सेक्रेटरीज जो सरकारी मकानों में रह रहे हैं, उन पर टैक्स नहीं पड़ेगा। यह कैसा न्याय है ?

जो पूंजीगत मूल्य का कर मूल्य इसके उद्देश्य में बढ़ा दिया गया, इससे एक तमाशा खड़ा हो गया। पूंजीगत मूल्य और कर मूल्य के माने दूसरे हो गये। कर मूल्य के माने यह हुये जिस पर कर लगाया जाय। वह मूल्य कौन निर्धारित करेगा? जिसको सरकार मुकर्रर करे। यानी 'कर मूल्य' शब्द रख देने के माने यह हुये कि सोलह आने सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। पूंजीगत मूल्य फिर भी किसी दूसरे के हाथ में था। मान लीजिये पूंजी का अर्थ यही माना जाता कि मकान कितने में खरीदा तो कम से कम मकान में रहने वाले को डाकूमेंट पेश करने का हक था कि इतने का हमने मकान खरीदा है। लेकिन जब कर मूल्य कर दिया तो इसके माने यह हैं जिस मूल्य पर कर लगाया जाय, वह निर्धारण सरकारी अधिकारी करेगा। सरकार की तरफ से जो सरकारी अधिकारी होगा वह जो मूल्य निर्धारित करेगा उसी पर कर लगेगा, वही कर मूल्य कहलायेगा। जो चाहे सरकार, जिस पर जितना चाहे टैक्स लगा दे। आज माननीय मुख्य मन्त्री हैं, कल अगर दुर्भाग्य से मुख्य मन्त्री न रहे तो यह कर निर्धारण अधिकारी मन्त्री मुख्य को चक्कर खिला सकता है, इनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

मकान का कर मूल्य बढ़ा करके कुछ का कुछ कर दें। उस समय हमारे मुख्य मन्त्री जो बेचारे हैं उनको पता नहीं कहां से ला कर टैक्स देना पड़ जायगा। तो इसी प्रकार की इसमें गलतियां हैं जो बहुत ही बड़ी हैं।

वैसे हैं छावनी शब्द लाकर इसके क्षेत्र को बढ़ा लिया। आमदनी तो जरूर बढ़ जायगी मगर वह टैक्स वसूल किससे होगा, जरा इसको देखें, वह टैक्स वसूल होगा मिलीटरी वालों से, क्योंकि वहां मिलीटरी का पर्सनल ज्यादातर किराये पर रहता है। तनख्वाह उनकी पहले ही कम कर दी गयी है और उनके हृदयों के अन्दर एक दुर्भावना यों ही पैदा हो गयी है। अब इस ऐक्ट की वजह से उनके ऊपर इस कर का टैक्स भार और पड़ेगा, इसका नतीजा क्या होगा? आज हमारी सीमाओं पर जो हालत है उसको देखते हुये मिलीटरी के व्यक्ति को हमें सन्तुष्ट रखना चाहिये और अगर हम उसे असन्तुष्ट रखेंगे तो उसका खामियाजा कहीं बहुत ज्यादा खराब भुगतना न पड़े। सब महात्मा गांधी नहीं हैं, न मुख्य मन्त्री हैं। इस संसार में समाजवाद और भौतिकवाद के प्रचार की वजह से पैसा ही सब कुछ हो गया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बरेली में एक वक्तव्य दिया था। अखबारों में पढ़ा था और यह उस वक्तव्य में निकला था कि जहर तक में मिलावट होने लगी है। तो जब जहर तक में मिलावट होने लगी है, पैसा कमाने के लिये चार, चार आने पर कत्ल किये जाते हैं, तो यह सोच लेना कि मिलीटरी के आदमी की तनख्वाह कर द्वारा कम कर दी जायगी तो उसके हृदय में कुछ विरोधी भावना पैदा नहीं होगी, यह बिलकुल असम्भव-सी बात है। इसका नतीजा बहुत खराब होगा।

अभी बनारसीदास जी ने कहा कि अतिरिक्त समय लिया जा रहा है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आप अतिरिक्त रुपया लेना चाहते हैं तो क्या अतिरिक्त समय भी नहीं देंगे? वैसे आपका बहुमत है जो चाहें कर लें।

श्री अध्यक्ष—अब मैं समाप्त कर रहा हूं। काफी समय आपने ले लिया है।

कुंवर श्रीपालसिंह—थोड़ी सी बातें और कहनी हैं। वैसे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैंने सोचा था कि सरकार में कुछ थोड़ी सीधापा आजाय और यह चीजें नहीं होनी चाहिये थी। दीवानी अदालतों से क्यों सरकार भड़कती है? उसका औचित्य नहीं दिखाई देता। आखिर दीवानी के जजेज भी तो इस सरकार के ही मुलाजिम हैं। जब कोई विधेयक आयेगा यह जरूर लिखा होगा कि इसकी अपील किसी दीवानी अदालत में नहीं हो सकती है। कौन सा होता बैठा है दीवानी अदालत में जिससे सरकार भड़कती है? सद्भावना से कोई काम किया गया हो तो उसकी अपील करने की जरूरत नहीं है। इसका निर्णय कौन करेगा कि सद्भावना हुई। वह जो अधिकारी सद्भावना करेगा वही उसका निर्णय करेगा या उसके लिये कोई अदालत होगी, जज होगा? जज के लिये तो आपने मना कर दिया है। सद्भावना से सोच लें कि सारा काम किया गया है तो यह तो केवल सोचना मात्र ही रह जायगा।

एक चीज और निवेदन करनी है। बड़े जोरों से कहा गया कि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना वहां से पूरी हो? कर के अलावा कोई दूसरा साधन हमारे पास न हो तो जरूर कर लगाइये। लेकिन अभी जो आडिट रिपोर्ट हमारे पास बटी है उसमें देखने को मिला कि कई लैप्सेज हुये हैं। साढ़े १६ करोड़ जो मदों में दिया गया था उसे खर्च नहीं किया गया। तो अब यह तरीका है कि साढ़े १६ करोड़ रुपया लैप्स करके बैठे हैं तो उसे क्यों नहीं खर्च कर लेते या इनकी योजना ऐसी गलत बनी हुई है कि उनको पूरी नहीं कर पाते हैं जिसके कारण हर साल बजट हो जाता है हालांकि शुरू में दिखलाते घाटे का है। यह सारी चीजें यह सिद्ध करती हैं कि यह टैक्स इस मतलब से नहीं लगाया जा रहा है कि इससे तृतीय पंचवर्षीय योजना की पूर्ति होगी, बल्कि यह इसलिये लगाया जा रहा है, जैसा कि मुख्य मन्त्री

जी ने सवेरे कहा था, कि अभी हमने अपने मस्तिष्क का सन्तुलन नहीं खोया है। जिस दिन संतुलन खो जायगा उस दिन ऐसे टैक्स नहीं लगेंगे। अभी चूंकि सन्तुलन कायम है इस लिये जो गलतियां हैं उनको छिपाने के लिये, जो नहीं खर्च कर पाते हैं उसको छिपा कर रखने के लिये, जो आडिट में हेर फेर बतलाया गया है उसे छिपाने के लिये यह जरूरी है कि घाटे का बजट लायें और यह कहें कि हमको रुपये की जरूरत है और जिस कर से अधिक से अधिक लोग परेशान हों वही कर लगाया जाय ताकि अधिक से अधिक लोग यह समझें कि सरकार गलत तरीकों में जा रही है। यह सन्तुलन रखने के कारण ही है वरना जिस दिन सन्तुलन खो जायगा वे सारी आडिट रिपोर्ट की बातें सामने आ जायंगी।

एक चीज और। पेनाल्टी के लिये ५० रुपये रख दिये हैं कि अगर ३० दिन से ३१ वां दिन हो गया तो ५० रुपये पेनाल्टी पड़ जायगी। १५ रुपये माहवार किराया देने वाले पर १० फीसदी बढ़ने के माने हैं कि दो, चार रुपये पड़ेंगे लेकिन ३१वें दिन ५० रुपये पेनाल्टी पड़ जायगी। यह पेनाल्टी कौन लोग देंगे? क्या टाटा, बिड़ला, डालमियां के ऊपर यह कर लगने जा रहा है? जो मकान बना कर किराये पर देने के लिये व्यापार करता होगा, जिसको पूंजी कहते हैं और पूंजी का नाम निकालने वाले श्री कार्ल मार्क्स ने जो कहा है कि पूंजी से पूंजी पैदा होती है उनको तो यह कहीं छूता नहीं है क्योंकि उनके ऊपर अगर आप १०, १५, २० फी सदी बढ़ा दीजिये तो वे अपने किरायेदार से वसूल कर लेंगे। अगर किरायेदार बचता है तो वह केवल सरकारी मकानों का और यह पता नहीं कि उसको क्यों बचा दिया गया, मेरी समझ में नहीं आता सिवाय एक तर्क के कि यह सरकार न तो मन्त्रि मण्डल की है न सदस्यों की है, केवल सेक्रेटरीज की है, जो उन्होंने बना के दे दिया उस पर उन्होंने ऐग्रीड लिख दिया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्रीमन्, यह थर्ड रीडिंग चल रही है। इसमें तो कोई टाइम लिमिट का प्रश्न है नहीं। तो फिर श्रीमान् जी ने कैसे यह कहा था कि अब मैं आपका समय समाप्त कर रहा हूं?

श्री अध्यक्ष—मेरी उनकी बातचीत हो चुकी थी कि दस मिनट में खत्म कर देंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त—ऐसा तो कोई नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं निवेदन कर दूं। अगर स्ट्रिक्टली रूल्स को फालो करना है तो वह बातें नहीं होनी चाहिये जो कि हम प्रिंसिपिल्स और खंडों को डिसकस करते समय कह चुके हैं। प्रिंसिपिल तो यह है कि थर्ड रीडिंग में ओवर-आल पिक्चर आप रखिये। माननीय श्रीपालसिंह जी इसके खंडों आदि पर जो बात कह चुके थे, उसको भी कहना चाहते थे। तो बजाय इसके कि मैं उनसे कहता कि समाप्त करिये, मैंने उनसे कह दिया कि दस मिनट में खत्म करिये, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है।

*श्री राधेश्याम शर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के तृतीय वाचन में नयी बात सदन के सामने रखना चाहिये। संशोधन में जो बातें हुईं उनको दोहराना मैं लाभप्रद नहीं समझता। सवाल तो इस बात का है कि सरकार तो केवल दो करोड़ रुपया इस विधेयक से लेना चाहती थी और जो ४० लाख रुपया उससे अधिक कन्टूनमेंट बोर्डस से मिल रहा है वह तो विधेयक को पेश करते वक्त मन्त्री जी के खयाल में आया वरना पहले तो केवल दो करोड़ की ही बात थी। तो कम से कम अब नैतिकता के आधार पर केवल दो करोड़ रुपये ही सरकार को इस विधेयक द्वारा लेना चाहिये और ४० लाख छोड़ देने चाहिये। यह एक नयी बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। दो ही करोड़ रुपया वसूल करिये। यह जो ४० लाख रुपया वसूल करने जा रहे हैं यह कोई नैतिकता की बात नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेश्वर सहाय]

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम पंच वार्षीय योजना में १६६ करोड़ रुपया खर्च हुआ, दूसरी योजना में २२१ करोड़ रुपया खर्च हुआ और इस तीसरी योजना में ४२७ करोड़ रुपया खर्च होगा। १४७ करोड़ रुपया इस प्रदेश की सरकार को लगाना है और बाकी ३५० करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन देगा। अब मुझे पता चला है कि प्लानिंग कमीशन ने यह छूट कर दी है कि हम अपना रुपया दे देंगे और आप अपनी जनता के ऊपर जितना जरूरी समझें, टैक्स लगायें। श्रीमन्, जो यह टैक्स हमारे माननीय मन्त्री जी लगाने जा रहे हैं यह आटे में नमक के बराबर ही होगा। इसलिये इससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इसलिये मैं शासन को बताना चाहता हूं कि यदि टैक्स किरायेदारों पर लगता है या उन पर लगता है जिनके पास केवल एक ही मकान है तो इससे ज्यादा और कड़ा प्रहार जनता के ऊपर नहीं हो सकता है। जिन लोगों के पास एक से ज्यादा मकान हैं अगर उनके ऊपर यह कर लगाया जाता तो हमारी सोशलिस्ट पार्टी को इससे कोई विरोध नहीं होता।

श्रीमन्, दुनिया के इतिहास को पढ़िये और दुनिया के शांति के इतिहास को देखा जाय, हमारे यहां रूस और चीन की क्रांति की बात चली, लेकिन हमारे यहां नियोजन एक अजीब ढंग से चल रहा है। दुनिया के किसी देश में भी ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों के पास खाने का कोई इन्तजाम नहीं है, पहनने को कोई कपड़ा नहीं है, शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है, ऐसे लोगों पर टैक्स लगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। अगर दुनिया के किसी देश में ऐसा हुआ हो तो मुझे बताया जाय। दुनिया में जहां कहीं भी नियोजन हुआ तो उन्हीं पर टैक्स लगा जो दे सकते हैं। मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं कि गरीब से लेकर अमीर को एक ही कानून से बांधते हैं इसलिये आपका नियोजन सफल होने वाला नहीं है।

श्रीमन्, नियोजन को चलाने के लिये क्रांति बतलाती है कि धन काम नहीं करता है, बल्कि जनता की भावना काम करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जबरिया धन तो मिल जायगा लेकिन आप ८ करोड़ जनता के खाने को विसर्जित कर देंगे जिससे आपको जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। आपको धन अवश्य मिलेगा, लेकिन जनता की आस्था नहीं मिलेगी। आपको नैतिक समर्थन नहीं मिलेगा। आप गरीबों पर जो टैक्स लगाने जा रहे हैं उससे आप को जनता का नैतिक समर्थन नहीं मिलेगा। यह बात दुनिया का इतिहास बताता है।

माननीय मुख्य मन्त्री जी तथा अन्य मन्त्रीगण तृतीय पंच वर्षीय योजना का वर्णन करते हैं और विरोधी पार्टी की ओर से कहा जाता है कि सरकार के कामों में फिजूलखर्ची होती है। श्रीमन्, यह बड़ा घिसा घिसाया और पिटा-पिटाया शब्द हो गया है। लेकिन हम यह तर्क रखते हैं कि हमने २ करोड़ ३५ लाख रुपये के सम्बन्ध में पढ़ा तो मालूम हुआ कि इसमें फिजूलखर्ची और गबन इत्यादि हुआ है। दुनिया के किसी देश में भी इतनी बड़ी गलतियां नहीं मिलेंगी जितनी कि हमारे यहां की आडिट रपट में हैं। इसलिये श्रीमन्, जब हम फिजूलखर्ची और गबन इत्यादि की बात कहते हैं तो सरकार को मान लेना चाहिये। सरकार की आडिट रपट में इतनी भारी फिजूलखर्ची और गलतियां हुई हैं। इसलिये हमारी सरकार को यह मान लेना चाहिये कि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना सफल होने वाली नहीं है।

श्रीमन्, आज देश में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो न चाहता हो कि देश की बेकारी मिटे, भुखमरी मिटे और देश की तरक्की के लिये टैक्स न लगाया जाय। हम भी चाहते हैं कि सरकार जरूर टैक्स लगाये, लेकिन उन पर टैक्स लगाया जाय जो देने के काबिल हैं। इसका भी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है कि कितनी पूंजीगत लागत म्युनिसिपिलिटीज, टाउन एरिया आदि में है। इस सरकार को कोई अन्दाजा नहीं है और न सरकार के पास कोई कागजात ही हैं। पहले सर्वेक्षण कराना चाहिये था और मकानों की पूंजीगत लागत

तय कर लेनी चाहिये थी और नगरपालिकाओं को अधिकार देने के बाद फिर यह चीज आनी चाहिये थी। इसके बाद विधेयक लाया जाता तो सरकार को सही बात का पता चलता। यह बात तो हवा में कह दी गई है। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा मिल जाय क्योंकि उनके पास कोई स्थायी हल नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के नाम पर नये-नये टैक्स जो सरकार लगा रही है, यह जरूर है कि आप उनको मनवा लेंगे, लेकिन जब इस देश का इतिहास लिखा जायगा तो जनता भावनात्मक कद्र आप की नहीं करेगी। यह इस देश और माननीय विरोधी दलों का कुसूर है, किसी भी देश में ऐसी हठवादी सरकार नहीं टिकी है। माननीय राजस्व मन्त्री जी ने उस दिन कहा था और मैं उस बात की कद्र करता हूं कि आज अगर सरकार फेल हो जाय तो विरोधी दलों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। यह बात सत्य है। जिस देश में शक्तिशाली विरोधी दल नहीं होता वहां सरकार रोज गलतियां करती चली जाती है। यहां की जनता अशिक्षित है, गरीब है, प्रजातन्त्र को अच्छी तरह से समझ नहीं पायी है, विरोधी दल में अलग-अलग पार्टियां हैं वह एक सिद्धान्त पर अपनी बात नहीं रखतीं। इसलिये जनता धपले में पड़कर सरकार का साथ देती है।

मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वह गम्भीरता से सोचें कि जो टैक्स देने के काबिल नहीं हैं, उन पर टैक्स न लगायें पहले सर्वेक्षण करवायें, उसके बाद इस विधेयक को लाइये। जिनके पास एक ही मकान है उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। इस विधेयक को प्रवर समिति में सुपुर्द किया जाय, वहां इस का विश्लेषण हो, उसके बाद फिर यह जनमत जानने के लिये टाउन एरिया और नगरपालिकाओं को जाय, और तब सदन में आये। तब कोई बात हो।

विभिन्न समितियों के निर्वाचन-कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--मुझे एक सूचना देनी है सदन को। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के चार सदस्यों, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के तीन, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के पांच तथा उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल के एक सदस्य के निर्वाचन हेतु हम लोगों ने तिथियां निश्चित की थीं कि किस दिन नामांकन पत्र प्राप्त होंगे, किस दिन वापसी होगी, किस दिन सूक्ष्म परीक्षा होगी, आदि के लिये सब तिथियां निश्चित की थीं। आज नाम वापसी के लिये तिथि निश्चित थी। मुझ से प्रार्थना की गयी है कि आज के बजाय २२ तारीख तक नाम वापसी की तिथि बढ़ा दी जाय और २१ तारीख को निर्वाचन होने वाला था, अब २१ के स्थान पर २५ सितम्बर, १९६२ निश्चित किया जाय। मुझे यह भी बताया गया है कि इस सुझाव से सभी दलों के नेतागण सहमत हैं। अतः मैंने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और घोषित करता हूं कि नाम वापसी का समय बढ़ाया जाता है और यदि निर्वाचन की आवश्यकता हुई तो २१ सितम्बर के बजाय २५ सितम्बर को होगा।

उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन-कर विधेयक, १९६२

(क्रमागत)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक नागर क्षेत्र में भवन और जमीन पर कर लगाने के हेतु प्रस्तुत किया, पढ़ा और उस पर अपने विचार भी व्यक्त किये थे, लेकिन माननीय मंत्री से और उधर के बैठने वाले सदस्यों से इतना जरूर कह देना चाहता हूं और मेरा यह पुनीत कर्तव्य है, कि वह कानून जो कि जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है वह कानून कानून नहीं होता। यह बात सही है कि जनता ने आपके हाथों में ताकत दी है। आप मैजारिटी में हैं और आप उसके बल पर कोई भी विधेयक जो जनता की आकांक्षाओं और उनके हितों के खिलाफ हो वह आज पास करा सकते हैं लेकिन मान्यवर, मैंने २७ जुलाई को पत्र लिख कर के माननीय मुख्य मंत्री जी को सुझाव दिया था। मेरा एक दो पेज का पत्र नहीं था सात पेज का पत्र था

[श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय]

और मैंने स्पष्टतया यह लिखा था कि आप की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बहुत से जरिये हैं और उन जरियों को अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी योजनायें कार्यान्वित हो सकती हैं। उसमें सुझाव दिये गये थे लेकिन अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं विरोधी पार्टी का हूं इसलिए विरोधी पार्टी के होने के नाते मैं कितनी भी बढ़िया बात क्यों न कहूं लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी उसे क्यों सुनेंगे? उनको तो आज कल एक ही इल्हाम हो गया है कि मुझे टैक्स चाहिए और टैक्स के लिए अंग्रेज तो मान्यवर, खून चूसते थे, लेकिन अब यह सरकार हड्डी पर भिड़ गई है, यह हड्डी को निचोड़ना चाहती है। माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत ही शान के साथ कहते हैं कि हमको टैक्स चाहिए, हमको रुपया चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कि १९६०-६१ की जो आडिट रिपोर्ट है उसको क्या उन्होंने ध्यान से पढ़ा? अगर उसे ध्यान से पढ़ा होता तो यह आपको पब्लिक में कहने की जरूरत न होती कि आप वहां टैक्स की बात करते? आप को सोचना पड़ेगा कि आखिर इतनी फजूलखर्ची होती है, इस तरह के साठ-साठ हजार के आडिट आब्जेक्शंस होते हैं, करोड़ों रुपये का आदान-प्रदान तथा गबन होता है। इतना ही नहीं होता, आप के पैसे लैप्स कर जाते हैं। आप योजनाओं के लिए भी पैसा खर्च नहीं करते। करोड़ों रुपया फिजूल खर्च हो रहा है। चन्द आफिसर आप के रुपये का इस्तेमाल करते हैं।

श्री अध्यक्ष---माननीय नरसिंह नारायण जी, यह सब बातें तो आपके पहले भाषण में लिखी हुई हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---श्रीमन्, वही तो मैं बहुत मामूली तरीके से अर्ज कर रहा हूं। तो मैं यह कह रहा था कि फिर भी आप चाहते हैं कि आज उस जनता पर टैक्स लगायें। यह कहां तक आप इन्साफ़ कर रहे हैं। और कहां तक नेकनीयती का कार्य कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि अब तो नगर और देहात दोनों क्षेत्रों की जनता साफ तरीके से समझने लगी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार चन्द पूंजीपतियों को छोड़कर के ८० फीसदी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती। हां, कुछ पूंजीपति जरूर हैं जो कि उनकी इस टैक्स की नीति को पसन्द करेंगे क्योंकि उनकी तोंद साफ नहीं की जा रही है। जनता तो बेचारी गरीब की गरीब होती ही जायगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि अगर यह टैक्स लगा तो माननीय मुख्य मंत्री जी सुन लें, कान खोलकर सुन लें, बहुत बड़ा विद्रोह होगा, जनता आन्दोलित होगी और आप यह समझ लें कि चन्द मुट्ठी भर अफसर आप की रक्षा नहीं कर पायेंगे। आज जो आप जनतंत्र की दोहाई देते हैं उस जनतंत्र के ये अफसर विरोधी हैं और अपना पेट भर रहे हैं और आपकी हुकूमत को खतम करने के लिए इस प्रकार के सुझाव दे रहे हैं। आज भी अगर आप को अक्ल हो तो इस विधेयक को वापस ले लीजिए और जनता में जनमत के लिए इसे प्रसारित कीजिए। जनमत प्राप्त हो जाय तब आप इसे इस सदन में लाइए। तब आप यह टैक्स लगा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मेरा दुर्भाग्य है कि माननीय नरसिंह नारायण जी की वक्तृता के बाद मुझे बोलने का मौका मिला। ऐसा समझा जाता है कुछ जैसे अपनी लड़की की शादी के वास्ते या दावत करने के लिए हम यह टैक्स लगा रहे हैं। बार-बार यहां कहा गया कि जनता गरीब है, जनता की क्रय शक्ति घटती जा रही है, जनता भूखी और नंगी है और मैं जितना ही इन बातों को सुनता था उतना ही मुझे तरस आता था उन मित्रों की बातों पर कि वह यह नहीं समझते हैं कि यह दरिद्रता और यह जो हमारे देश की आज हालत है वह कायम नहीं रहनी चाहिये। हमारे देश के अन्दर और उसको दूर करने के जो साधन हैं वह हमको शीघ्र से शीघ्र इकट्ठा करने चाहिए। (व्यवधान) १२ साल से करते चले आ रहे हैं। उसके बाबत मैंने

उस रोज भी निवेदन किया था कि अगर थोड़ी देर के लिए हम मान लें इस बात को, तो भी मैं कहूंगा कि आज की हालत में इम्प्रूवमेंट है। कोई भी आदमी अपनी समझ को कायम रखते हुए यह नहीं कह सकता कि आज हम वहीं हैं जहां १२ साल पहले थे। अगर माननीय सदस्यों ने कष्ट किया होता जानने के लिए, सिर्फ योजना शब्द को हौवा न समझ लिया होता और उसके वास्तविक रूप को समझने के लिये थोड़ा सा अपने दिमाग के अन्दर ध्यान रखा होता कि हम किस चीज का विरोध कर रहे हैं तो अच्छा होता। क्या हम चाहते हैं कि पुल न बनें? क्या हम चाहते हैं कि सड़कें न बनें? क्या हम चाहते हैं कि स्कूल न बनें? क्या हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के अन्दर पानी की सिंचाई का, बिजली का प्रबन्ध न हो? वास्तविक योजना तो यही। न वह हमारी योजना है और न आपकी योजना है। योजना सिर्फ इस देश में यह है कि कोई भूखा न रहे, गरीबी न रहे, नंगा न रहे, जड़ता न रहे, बीमारी न रहे। इन सब बातों के लिये योजना है। अगर हम यथार्थ में इसको मान लें और हम सरकार का विरोध न करें तो हम देखेंगे कि इस प्रदेश के अन्दर हजारों मील सड़कें बनी हैं, सैकड़ों पुल बने हैं। क्या ये योजनायें पूरी नहीं हुई हैं? जो हमारे यहां स्कूल खुले हैं या जो अस्पताल खुले हैं क्या वे नये नहीं हैं? इस देश के अन्दर हमारी आबादी बढ़ती जाती है फिर भी हमारे यहां एक्सपेक्टेशन आफ लाइफ बढ़ती गई है। अब वह ४८॥ है। पहले जिस तरह से लोग कालरे से मरते थे, मलेरिया से मरते थे क्या वह लोग उसी तरह से आज भी मरते हैं? क्या हम यह ऐसे ही मान लें कि यहां पर यह सब ऐसे ही हो गया है? क्या हमारे यहां इन सब बातों पर करोड़ों रुपया खर्च नहीं हुआ है?

इसलिये यह समझना कि यह बातें सरकार की तरफ से आ रही हैं इसलिये विरोध करना है तो यह आपको अधिकार है। आप जनता को भड़का सकते हैं। हिन्दू मुसलिम नाम को लेकर शहरों में जायं और आपस में झगड़ा करा सकते हैं। बहुत से मित्र इस तरह की बातें कहते हैं। बाहर भी इस तरह की बातें कहते हैं। आप जनता को गुमराह कर सकते हैं और लोगों के आपस में सिर फूट सकते हैं। आग लग सकती है। दूकानें लूटी जा सकती हैं। इस बदकिस्मत देश में यह अनेक बार हुआ है। प्रान्तीयता के नाम पर ऐसा हुआ है और धर्म के नाम पर ऐसा हुआ है। यह दृश्य हम सबने देखा है। सिर्फ इसलिये कि हम जनता को बहकाकर ले जा सकते हैं, इसलिये यहां पर धमकी देते हैं कि हम जनता को इस बात पर गुमराह कर सकते हैं। यह देश सेवा की बात नहीं है। हां, अगर यह बात कही जाय कि हमको सड़कों की जरूरत नहीं है। हमको पुलों की जरूरत नहीं है, हमको सिंचाई योजनाओं की जरूरत नहीं है तो आप खर्चा कम कर दीजिये, लेकिन जिस समय बजट का सवाल आता है, जब मांग का सवाल आता है तो हर एक आइटम पर यह कहा जाता है कि इसमें रुपये की कमी है और ज्यादा सके लिये रुपया होना चाहिये। जब यहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो पूछा जाता है कि यह सड़क कब बनेगी, यह हमारा काम कब होगा? सरकार की तरफ से जवाब देना पड़ता है कि हमारे पास साधनों की कमी है। जब जनता की मांग है और भूखी नंगी जनता की मांग है कि हमारे लिये और ज्यादा चाहिये तो जितना जनता के पास से आयेगा उतना ही व्यय किया जायगा। आज भी हम उधार लेकर, दूसरे देशों से मांग कर और उनकी शर्तों पर तैयार न होकर अपनी सुविधा के अनुसार उनकी शर्तों को मंजूर करके रुपया लेते हैं और अपने यहां का काम चलाते हैं। आज अरबों रुपया हमारे देश के अन्दर बाहर के देशों से आ रहा है। दूसरे देशों की भी एक सीमा है। उनके भी खर्चे हैं, उनके सामने भी दिक्कतें हैं लेकिन फिर भी हम बाहर से लेने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने भी कठिनाई है और उन सब कठिनाइयों के रहते हुए भी हम अपनी योजनाओं को चला रहे हैं।

जिस भूख और गरीबी का ढिंढोरा पीटा जाता है उसको ही हम मिटाना चाहते हैं और इस देश से हटाना चाहते हैं, ताकि देश की जनता नंगी न रहे, भूखी न रहे। दूसरा हमारे पास चारा नहीं है। इसी जनता से टैक्स लिया जायगा और फिर उसी की गरीबी को दूर करने में वह खर्च किया जायगा। इतनी कोशिश हमारी जरूर रहेगी कि जो टैक्स देने लायक है

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

उसी को टैक्स देना होगा। इतना विवेक हम कर सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा गरीब हैं उनको छोड़ने की कोशिश की जाय। इसलिये इस विधेयक के अन्दर यह गुंजाइश रखी गई है कि उसको सरकार अपने विवेक से छोड़ दे और कम से कम लगाये। इस हालत में इस विधेयक का विरोध करना मैं नहीं समझता कि कोई विवेक की बात है। आज तक यही कहा जाता था कि जो टैक्स का भार पड़ता है वह देहातों पर ही जाकर लगता है। यह कहा जाता था कि शहरों पर क्यों नहीं लगाते? अभी तक पूंजीपतियों के लिये कहा जाता था। जैसे सड़कें, स्कूल, कालेज और अस्पताल सब पूंजीपतियों के लिये ही बन रहे हों। ज्यादातर यह पैसा गरीबों के लिये खर्च हो रहा है। मैं श्रीमन्, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पहले थोड़ा सा योजना को पढ़ें और अगर उसमें कोई दोष हो तो बतायें, उसके लिये सुझाव दें, लेकिन हमारे मित्रों ने इस पर विचार करना ठीक नहीं समझा। विचार कर के सुझाव देना उचित नहीं समझा। अब इस भूमिका में टैक्स लेने की बात उठती है। यह कहा जाता है कि आपके आफिसर्स की मीटिंग हुई थी और उसमें इतनी बचत की बात कही गयी थी। आफिसर्स की मीटिंग हमने अपने आप ही तो बुलायी थी और क्या आफिसर्स की मीटिंग में जो सुझाव हमको मिले उनको हमने किसी ताक में रख दिया या केवल वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया? जिन्होंने यह सुझाव दिये थे उन्हीं को हिदायतें दी गयी हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा बचत करने की कोशिश करें और उन सुझावों के मुताबिक हर विभाग कोशिश कर रहा है कि जितनी भी बचत कर सकता है, करे। इसके अतिरिक्त यदि गम्भीरता से माननीय सदस्य उधर के चाहते हैं कि इस विषय पर विचार हो तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अगर इसके लिये कोई कमेटी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन उसकी एक हद है। बार-बार कहा गया कि इतना रुपया बकाया है। उसे भी हम अपनी गणना में गिन लेते हैं और उसके अलावा भी कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि रुपया लैप्स हो जाता है। वह भी हिसाब में गिन लिया जाता है और वह कहीं चला नहीं जाता। वह हमारी योजना के लिये जो साधन हैं उनमें गिना जाता है और यदि उसे हम ५ साल बाद भी खर्च न कर सकें तो अगली जो चौथी योजना आयेगी उस समय वह बचा हुआ पैसा आप के पास रहेगा और उसे आप अपने काम में ला सकेंगे। उस समय अगर हम इस स्थिति में हों कि हम इन टैक्सों को डिस्कंटीन्यू कर सकें तो वह कर दिये जायंगे। यह जनता का पैसा है, जनता के पास चला जायगा। ऐसी कोई जिद नहीं है कि पैसे की जरूरत न होते हुए भी हमको टैक्स लगाना ही है। मैंने उस दिन भी निवेदन किया था कि आखिर जो टैक्स हम लेते हैं...

श्री काशीनाथ मिश्र---आप विषय से परे बात कर रहे हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जो बातें थर्ड रीडिंग में कही गयी हैं मैं उनी का जवाब दे रहा हूं। जो पैसा हम लेते हैं वह पैसा हम जोड़ने के लिये नहीं लेते। यह भी हम जानते हैं कि यह टैक्स जनता को प्रिय नहीं है और जिनको करोड़ों की आमदनी है वह भी टैक्स देना नहीं चाहते। पहले जब त्यागी जी डिप्टी मिनिस्टर फाइनेंस थे उस समय इन्कम टैक्स का करोड़ों रुपया जो छिपा हुआ था, निकाला गया था, फिर भी पैसा देना किसी को अच्छा नहीं लगता। हम यह भी जानते हैं कि इस की वजह से हम को लोक अप्रियता को सहन करना पड़ेगा, लेकिन हम केवल अपना स्वार्थ ही नहीं देखते। अगर हम केवल यह देखें कि हमारे वोट पर इसका क्या असर पड़ेगा और उसे ध्यान में न रखें जो नेक चीज है, जो काम भूख और गरीबी को दूर करने के लिये जरूरी है, उसे न करें तो यह क्या उचित होगा? हमको क्या इतना स्वार्थी समझा जाता है? और आप यह निश्चय जानें कि इस देश की जनता इतनी मूर्ख और गंवार भी नहीं है कि वह इन साधारण बातों को न समझे। आप धमकी दे सकते हैं कि आप खराबी करा कर देंगे, लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वह हर आदमी के बहकावे में आ जाय। मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ लोगों को अपनी बात कहनी चाहिये और यह बात सीखनी चाहिये। हां, यह हो सकता है कि इस बात

को लेकर कुछ लोग भूख हड़ताल करना चाहें, वह करें, जितनी उनको कैपेसिटी हो उतनी करें, आजन्म भूख हड़ताल करें, लेकिन जनता की बात बार-बार कह कर धमकी देना, कोई बड़ा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपुल के मुताबिक नहीं है। श्रीमन्, इसी भूमिका में हम इस विधेयक को लाये हैं। अब मैं दो-तीन बातें ऐसी हैं जिनकी बाबत गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं।

बहुत से पढ़े लिखे आदमियों ने कहा कि २० लाख रुपये इससे इकट्ठा करने में खर्च हो जायेंगे। हमारे इस्टीमेट्स में यह भी कहा गया है कि २० लाख रुपया कलेक्शन चारजेज हैं और १० लाख एसेसमेंट के, लेकिन आप को मालूम होना चाहिए कि एसेसमेंट हर साल नहीं करना पड़ता है। वह ५ साल के बाद होता है और यह जब तक दूसरा एसेसमेंट न होगा लागू रहता है। ६-७ साल बाद भी हो सकता है। तो आप देखें कि मुश्किल से २ लाख रुपये ऐसेसमेंट का खर्च पड़ेगा। एक बात और कि लोग यह भी सोचेंगे कि कन्टूनमेंट वगैरह में अगर वहां हाउस टैक्स पहले नहीं लगता होगा तो शायद खर्चे में कुछ और वृद्धि हो जाय। यह भी कहा गया कि जो म्युनिसिपैलिटीज का एक मात्र सोर्स था उसको छीन ले रहे हैं। किसी बहुत बड़े समझदार भाई ने यहां तक कहा कि वाराणसी में १५ प्रतिशत हाउस टैक्स है। उसमें वाटर और हाउस दोनों ही टैक्स शामिल हैं। खाली १५ प्रतिशत हाउस टैक्स नहीं है। उसमें अगर हम वाटर टैक्स निकाल दें तो मुश्किल से ५-७॥ प्रतिशत से ज्यादा नहीं पड़ता है। इसके अलावा ऐसी भी म्युनिसिपैलिटीज की संख्या कम नहीं है, जिन्होंने इस टैक्स को लगाया ही नहीं है। आपने यहां तक कहा कि हम म्युनिसिपैलिटीज का हक ले रहे हैं, परन्तु मैं आपको बार बार यह बता देना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। यह सब बातें सोचना आप की भूल है। हम जितना उचित होगा, उतना ही लगायेंगे। उससे अधिक हम ले नहीं सकते हैं। सारी पिक्चर देखने के बाद वहीं तक, उसी सीमा तक टैक्स लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देश की जरूरत समझने के बाद, जनता कितना वहन कर सकती है, कितना सहन कर सकती है, इन सब बातों का संतुलन करने के बाद ही यह सब किया जा रहा है और किया जायेगा। ऐसा हमको करना पड़ेगा।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल जी ने एक बात कही कि यह सरकार १५ रुपये की बात मान लेगी। साधारणतया अगर मकानों पर रेन्ट कंट्रोल न होता तो शायद मुझे इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं होती और मैं मान लेता, लेकिन रेन्ट कंट्रोल जब हुआ था, आज से कोई १०-१२ साल पहले, उस समय जो किराये थे वह किराये बहुत पुराने किराये चले आ रहे थे। उस समय जो मकान की वैल्यू थी, वह बहुत कम थी। आज से उस वक्त में क्रय-शक्ति अधिक थी। उस समय जो मकान १५ रुपये में मिल जाता था वही आज १५ में नहीं मिल सकता है। तो यह एक फैलेसी है लोगों के दिमाग में। आज आप देखें कि ज्यादातर मकान ऐसे हैं, जिन पर रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट लागू है। इसलिये आप देखें कि आप की बातें कहां तक ठीक हैं। मैं उनकी बात मान लेता, अगर उनकी बात साधी-सादी होती।

अभी कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने बड़ा विद्वतापूर्ण लेक्चर दिया, लेकिन वह किताब जो उनके सामने रखी है, उसको अगर वह पढ़ लेते तो उनकी बात थोड़ी और विद्वतापूर्ण हो जाती। तब वे ऐसी भूल न करते, जो उन्होंने की है। मुझे उनकी बातों का खंडन करने में दुःख होता है। यह मैं नहीं कहता हूं कि वे उसे समझ नहीं पाये होंगे, हां यह अवश्य कह सकता हूं कि उन्होंने उसको समझने की कोशिश नहीं की होगी। उनकी बातों से तो यह साफ जाहिर है।

यह आपकी नितान्त भूल है कि सरकारी अफसरों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उन्हें भी देना पड़ेगा। उसमें यह जरूर है कि सरकारी मकानों पर टैक्स नहीं लगेगा बशर्ते किसी को पट्टा-वट्टा न दिया हो, पट्टे का रेन्ट दिया हो, लीज दी हो। एक ब्राडर टर्म पट्टा इस्तेमाल किया गया है। वह इसमें इनक्लूडेड है, इसलिये सरकारी अफसर टैक्स से बरी नहीं हैं। सब को देना पड़ेगा। इसलिये वह तो केवल पढ़ने की भूल है। बिल की भूल नहीं है। मैं समझता हूं कि गलतफहमी की वजह से उन्होंने विरोध किया।

श्री चन्द्रजीत यादव—सरकारी अफसरों को एग्जेम्पशन है। धारा ६ (१) में दिया हुआ है "... राज्य सरकार के पट्टेदार या अनुदानग्रहीता"। अगर सरकारी अफसर रहेगा तो बच जायगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—नहीं बचेगा। आप जरा इसको ठीक से पढ़िये। लिखा है, "पूर्वोक्त उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी कोई कर न लगाया जा सकेगा", उसके बाद है "यदि वह भूमि या भवन" उसका भाग न हो तो राज्य सरकार के पट्टेदार या अनुदान-ग्रहीता के रूप में किसी व्यक्ति के अधिकार में हो।"

श्री अध्यक्ष—यह तो स्पष्ट है, आप जारी रखिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो भूल समझने की है जिसका मैंने एक उदाहरण दिया। लेकिन उधर तो विरोध करना ही है, जो भी चीज इधर से कही जाय। कभी-कभी तो ऐसा हुआ कि एक संशोधन का विरोध करने में जो बातें कही गयीं, दूसरे संशोधन के विरोध में ठीक उनके विपरीत कहा गया। तो विरोध करना ही है, यह कोई बड़ी अच्छी परिपाटी नहीं है।

एक सदस्य—श्रीमन्, आपने समझ लिया, हम नहीं समझ पाये।

श्री अध्यक्ष—पट्टे का मतलब है कि कैसा भी हो। "लेसी" माने कोई भी शख्स जिसने किराये पर लिया हो।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जहां तक पूंजीगत मूल्य और कर मूल्य के लिए कहा गया कि बड़ा भारी अन्तर आ गया है तो इसलिए किया गया कि पूंजीगत मूल्य से लोगों में आशंका थी कि यह मिस्अप्रोप्रिएशन है, हमारी पूंजी पर टैक्स है। एक जज महाशय का नाम बताया गया कि उन्हें भी गलतफहमी हो गयी। तो जब इतने बड़े-बड़े लोगों को गलतफहमी हो सकती है तो उसे दूर करना आवश्यक था जो कि भाषा वास्तव में वारंट नहीं करती है। तो हम ने सोचा कि इसको बदल दें। रेंटल वैल्यू हम रख सकते थे, लेकिन उसमें दूसरी दिक्कतें हो सकती थीं, इसलिए सब से जयादा अप्रोप्रिएट शब्द रखे गये और वह डिफाइंड भी है कि किस तरह से असेसमेंट होगा। जहां म्युनिसिपल बोर्ड और टाउन एरिया ने लगा दिया है, हम उसी को मान लेंगे। तो उसके अन्दर न करप्शन की बात है और न कोई दूसरी बात है, कोई कनफ्यूजन की बात नहीं है। मैं जगदीश प्रसाद जी को विश्वास दिला सकता हूं कि करप्शन की गुंजायश नहीं रखी गयी है और जितना सावधान रह कर काम किया जा सकता है उतना किया जायगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसा कि मैंने प्रस्ताव किया है कि सदन इसे पारित करे, उसे यह सदन स्वीकार करे।

श्री टनकेश्वरीप्रसाद—श्रीमन्, लाबी में विभाजन की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष—अभी तो मैंने पुट ही नहीं किया। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश (नागर क्षेत्र) भूमि और भवन कर विधेयक, १९६२ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, विभाजन लाबीज में होना चाहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—लाबीज में विभाजन श्रीमन् दे दें, क्योंकि यही सदस्यों की राय है।

श्री टनकेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, मैंने उपाध्यक्ष महोदय से एक जानकारी प्राप्त करनी चाही थी कि विभाजन के समय जब सब दरवाजे बन्द हों और किसी माननीय सदस्य को बाहर जाने के आदेश दिये जायं तो वह कैसे बाहर जायेगा? (हंसी)

श्री अध्यक्ष—मैं किसी को ऐसे आदेश नहीं दूंगा (हंसी)।

जब तक यह प्रक्रिया चलेगी, सदन बैठा रहेगा ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और सदन के निम्नलिखित रूप में विभाजित होने पर स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१५७

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रताप सिंह, श्री
अब्दुल समी, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कनारानी मिश्र, श्रीमती
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नवलकिशोर, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
पंचमदास, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बृजबिहारी, श्री

बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
भगौतीदीन श्री
महमूद अली खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, वर्मा श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबलोल मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन शुक्ल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखराम दास, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह त्रिसेन, श्री

विपक्ष में—७०

अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
उग्रसेन, श्री
ऊदल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
गंगाधर मंठाणी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजा प्रसाद, श्री
गेंदासिंह, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जमादारसिंह, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्योधन, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धूमप्रशाद, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
परमाई, श्री
पुरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बेदराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
यादवेन्द्रदत्त, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामचरण शाह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजन, श्री
सूरजलाल, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमराज, श्री

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन के १० बजकर ३० मिनट तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१७ सितम्बर, १९६२ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ट ५७७ पर)

सम्पूर्णानन्द शिविर, घूर्मा, जिला मिर्जापुर

यहां के बन्दी सीमेंट फैक्टरी चुर्क में काम करते हैं । उन्हें २.४ टन पत्थर तोड़ने पर प्रति बन्दी को प्रति दिन २ रु० १२ नये पैसे की दर से मजदूरी मिलती है । २.४ टन से अधिक पत्थर तोड़ने पर प्रति २.४ टन पर १२ नये पैसे की दर से अतिरिक्त बोनस मिलता है ।

किशोर सदन, बरेली

इस सदन के २५ किशोर अवस्था के बन्दी कत्था फैक्ट्री, आई० वी० आर० आई० तथा इरीगेशन वर्कशाप में कार्य करने जाते हैं । प्रत्येक बालक को औसतन ५६ रु० प्रति मास वेतन व भत्ते के रूप में मिलता है । इस सदन में दो बैंड हैं, एक ब्रास बैंड दूसरा पाइप बैंड प्रत्येक बैंड पार्टी में २० बन्दी है जो बैन्ड बजाने के लिये बाहर जाते हैं । प्रति बैंड को प्रति दो घंटे के लिये ८० रु० मिलते हैं जिनमें से प्रति बन्दी को ५० नये पैसे मेहनताने के रूप में मिलता है । बाकी पैसा बैंड के खाते में जमा हो जाता है ।

जिला जेल, उन्नाव

इस जेल के १८ बन्दी बैन्ड बजाने के लिये बाहर जाते हैं । प्रति २ घंटे के लिये ७० रु० मिलते हैं, किन्तु इस में से बन्दियों को कुछ नहीं मिलता ।

आदर्श कारागार, लखनऊ

यहां के दो बन्दी कैन्टीन के लिये सामान खरीदने बाहर जाते हैं जिसके लिये उन्हें कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता ।

वेजेज स्कीम (Wages Scheme) के अन्तर्गत २० बन्दी उपज बेचने के लिये बाहर जाते हैं । आजकल कोई बन्दी इस कार्य के लिये बाहर नहीं जाता ।

दो बन्दी माली की ट्रेनिंग के लिये गवर्नमेन्ट गार्डेन्स आलमबाग जाने के अधिकारी हैं । इसके लिये उन्हें २० रु० प्रति मास वजीफा मिलता है, किन्तु इस समय माली ट्रेनिंग का कोर्स नहीं चल रहा है ।

रिफारमेटरी स्कूल, लखनऊ

इस स्कूल में १५ बालकों का एक बैंड है । यह बैंड पार्टी २० रु० प्रति घंटे की दर से बैंड बजाने के लिये भेजी जाती है । जो धन प्राप्त होता है वह सब बालकों में बराबर-बराबर बांट दिया जाता है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८६ पर)

फार्म फारेस्ट्री (फारेस्ट्री का विस्तार) की रूपरेखा

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना काल में विविध विकास खंडों में, जिनमें लगभग २६,००० ग्राम होंगे और ८ एकड़ प्रति ग्राम के हिसाब से लगभग २,०८,००० एकड़ भूमि होगी, फार्म फारेस्ट्री (फारेस्ट्री का प्रसार) की योजना लागू करने का निश्चय किया गया है । मगर वास्तविक कठिनाइयों के कारण यह आदेश दिया गया है कि इस योजना को उन गांवों में भी लागू किया जाय जहां २ एकड़ का चक मिल सके । योजना केवल उन्हीं ग्रामों में लागू की जायेगी जिनमें भूमि उपलब्ध है और पेड़ों के लिये पर्याप्त पानी भी सुलभ है । इस योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण पर होने वाले अनुमानित व्यय, जो ५० रु० प्रति एकड़ है राज साहायित आधार पर होगा । वृक्षारोपण पर होने वाला तथा अन्य प्रकीर्ण व्ययों की आधी धनराशि राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में दी जायगी और शेष आधी धनराशि संबंधित ग्रामीणों से श्रमदान के रूप में प्राप्त होगी । राज्य सरकार को पौधशालाओं के अनुरक्षण पर भी कुछ व्यय करना आवश्यक होगा जब तक कि वे इस योग्य न होजाय कि ग्राम पंचायतों को अनुरक्षण के निमित्त हस्तान्तरित की जा सके । वृक्षों का वास्तविक रोपण और अनुरक्षण संबंधित व्यय पंचायतों द्वारा जिन्हें, समय-समय पर राज सहायता और दूसरे व्ययों के लिये आवश्यक धनराशि दी जाती रहेंगी, किया जायेगा, किन्तु योजना के अन्तर्गत प्राविधिक सहायता वन विभाग द्वारा दी जायेगी जो अपनी पौधशालाओं से बीज, पौध इत्यादि की भी व्यवस्था करेगा । विकास खंडों के कर्मचारी भी पंचायतों को पूरा सहयोग देते हुये योजना से संबंधित रहेंगे ।

२—इस योजना के फलस्वरूप ग्रामीणों को कृषि यंत्रों तथा इमारतों के लिये प्रकाष्ठ के अतिरिक्त चारा और ईंधन भी उपलब्ध होगा । गोबर जो इस समय ग्रामीणों द्वारा जलाने के लिये प्रयोग में लाया जाता है, का उपयोग समुचित रूप से खेतों में खाद के रूप में किया जाने लगेगा । इसके फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी और राज्य के ग्रामों की आर्थिक व्यवस्था में भी सुधार होगा ।

उत्पादन/लाभ संबंधी कार्य-क्रम

मद	इकाई	तृतीय आयोजना के लिये योग	तृतीय आयोजना के प्रत्येक वर्ष के लिये विभाजन				
			१९६१-६२	१९६२-६३	१९६३-६४	१९६४-६५	१९६५-६६
खंडों की संख्या	खंड	२६०	१२	२५	५२	८०	९१
गांवों की संख्या	गांव	२६,०००	१,२००	२,५००	५,२००	८,०००	९,१००
क्षेत्र जिसमें वन लगाया जायेगा	एकड़	२,०८,०००	९,६००	२०,०००	४१,६००	६४,०००	७२,८००

३—व्यय के अनुमान—

	रु०
(क) कुल लागत (१९६१–६६)—	६०,००,०००
(ख) अन्तिम आवर्तक व्यय	२,८०,०००

वर्ष		आवर्तक	अनावर्तक	योग
		रु०	रु०	रु०
१९६१–६२	..	५२,०००	२,१०,०००	२,६२,०००
१९६२–६३	..	१,०८,०००	५,३०,०००	६,३८,०००
१९६३–६४	..	१,६०,०००	१०,४०,०००	१२,००,०००
१९६४–६५	..	२,००,०००	१६,००,०००	१८,००,०००
१९६५–६६	..	२,८०,०००	१८,२०,०००	२१,००,०००

वृक्षारोपण पर होने वाले ५० रु० प्रति एकड़ के अनुमानित व्यय का आधा भाग राज्य सरकार राज-सहायता के रूप में पंचायतों के माध्यम द्वारा देगी । शेष आधी धनराशि संबंधित ग्रामीणों से श्रमदान के रूप में प्राप्त होगी ।

इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय का ५० प्रतिशत भाग सरकार से राज सहायता के रूप में मिलने की संभावना है ।

विधान सभा प्रदेश मध्य

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९१ पर)

Copy of D. O. no. 4758/XXII—1471, dated October 17, 1959, from Sri Anup Singh, Upa Sachiva, Uttar Pradesh, Shasan, Griha Vibhag (Karagar), Lucknow to Dr. C. .P. Tandon, Pradhan Karagar Nirikshak, Uttar Pradesh, Lucknow.

I am desired to refer to the correspondence resting with your D. O. letter no. 1138/ESII(T), dated October 5, 1959, regarding transfers of jail teachers and to say that although Government agree that the post of teachers should remain transferable yet teachers should not, as a rule, be frequently transferred.

संसद पुस्तकालय सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९२ पर)

No. 4852/XIV—A

FROM

SRI R. K. TALWAR, I. A. S.
SACHIV, UTTAR PRADESH SHASAN.

TO

All DISTRICT MAGISTRATES,
UTTAR PRADESH.

/AN (KA)
/IBHAG

Subject: **Preservation of Wild Life in Uttar Pradesh**

Dated Lucknow, September 17, 1960

SIR,

As you are aware, Government have been recently taking various measures in order to enforce the Wild Birds and Animals Protection Acta nd the instructions contained in various notifications relating to close seasons issued thereunde: from time to time, so as to preserve the fast dwindling wild life in the State. The attention of District Officers as well as other responsible authorities has been drawn to this problem on various occasions during the last two years.

2. While it is obvious that it is not necessary to preserve every form of wild life like pests or animals which destroy agricultural crop, etc., it is of vital importance that other forms of wild life, which used to once abound our forests, and which was a source of pride, beauty and sport, be preserved. Some of the species of wild life are becoming almost extinct on account of indiscriminate shooting, netting and other methods of indiscriminate killing. The general rules and laws framed by Government to regulate hunting, shooting and fishing, apply to the reserved forests.

The Government have besides also enacted the Wild Birds and Animals Protection Act in order to protect and preserve these wild birds and animals in the whole of the State, including the areas which are not part of the reserved forests.

3. It has been brought to the noitice of Government that even people in responsible positions and others, who are in charge of enforcing the laws of the land are under misapprehension that there is no close seasson for the shooting of any of the animal soutside the reserved forests. It has been noticed that shooting of animals and birds goes on in areas outside the reserved forests freely and with impunity during such period which is officially declared close for particular species of birds and animals. Government feel that this should be stopped forthwith and its officers should look upon it as their sacred duty to prevent imprope and unlawful destruction of wild life, contrary to the rules and laws of Government. They should particularly set an example by refraining themselves and preventing their friends and associates from such acts, to the best of their ability.

4. A special Division of Forest Officers under a Chief Wild Life Warden of Uttar Pradesh has been constituted to detect and prevent breach of Government rules and laws, so far as the reserved forests are concerned. But in respect of the areas outside the reserved forests your help and cooperation is very necessary, because here only the District aurhorities can take the initiative and prevent breach of the rules through their staff. It is, therefore, reques-

ted that you will do your best to implement the instructions, which are issued from time to time in notifications under the Wild Birds and Animals Protection (U. P. Amendment) Act, 1934, declaring certain periods to be close for certain types of wild bird or animal, and ensure that these are strictly followed, and that no destruction of animals, is resorted to by people in your district in contravention of your instructions. All offenders who indulge in such unlawful activities, should be suitably dealt with according to law.

5. It has also been brought to the notice of Government that the meat of Wild animals is unlawfully sold in the market and also exported outside the State. Steps may please be taken to prevent these activities also.

6. I am to request that the action taken by you on this communication may please be intimated to Government.

Yours faithfully,
(Sd.) R. K. TALWAR,
Sachiv.

No. 4852(i)/XIV—A—

Copy forwarded to the Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh All Conservators of Forests, Uttar Pradesh, the Chief Wild Life Warden, Uttar Pradesh, with the request that suitable action should be taken against persons who contravene the provisions of the existing rules and law relating to hunting, shooting, fishing, and the protection of wild birds and animals.

By order,
(Sd.) T. N. MATHUR,
Anu Sachiv.

No. 4852(ii)/XIV—A—

Copy also forwarded to the Commissioners of Divisions for information and necessary action. In this connection attention is invited to G. E. no. 4310/XIV dated August 22, 1958.

By order,
(Sd.) T. N. MATHUR,
Anu Sachiv.

No. 4852/IIIXIV—A—

Copy also forwarded to the Secretary to Government U. P., in the local Self Government Department with the request that the Local Bodies and the Panchayats may be requested to co-operate in the preservation of wild birds and animals by taking suitable action against all offenders and by the prevention of sale of meat of wild animals and their export.

By order,
(Sd.) T. N. MATHUR,
Anu Sachiv.

Attested
(R. K. SHARMA),
Superintenednt,
Forest (A) Department.

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५९३ पर)

बन्दियों से संबंधित अन्य सूचना की तालिका

बन्दी का नाम तथा स्थान		किस अन्तर से पैरोल मंजूर किया गया				
(१) श्री रामप्रसाद	निवासी—ढखिया थाना—महोली तहसील—मिश्रिख, जिला—सीतापुर ।	शासकीय आदेश	दिनांक	३०—१—६१	१	महीना
		,,	,,	१४—३—६१	१	,,
		,,	,,	१०—१०—६१	१	,,
		,,	,,	२—४—६२	१	,,
		,,	,,	२२—५—६२	१	,,
		,,	,,	२१—७—६२	१	,,
(२) श्री गुलाब लाल	,,	,,	,,	३०—१—६२	१	,,
		,,	,,	१४—३—६२	१	,,
		,,	,,	२—४—६२	१	,,
		,,	,,	१३—९—६२	१	,,
(३) श्री राम अवतार	,,	,,	,,	२—४—६२	१	,,
(४) श्री सत्यूसिंह	निवासी—बड़ा गांव, थाना—महोली, तहसील—मिश्रिख, जिला—सीतापुर	,,	,,	२—४—६२	१	,,
(५) श्री मंगला चरण	निवासी—कुर्से, थाना—सदना, तहसील—मिश्रिख, जिला—सीतापुर ।	,,	,,	३०—५—६२	१	सप्ताह

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१८३ एम० ए०—१९६२—८४५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा